लोक-सभा

गुरुवार,
१८ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . २९३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ ३५८-३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . ३८३-४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . ४८५-४८९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . ४९९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१—८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४—८२६

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९	८२६–८३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३	८३२–८४८
अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . .	८४९–८९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०.	८९२–९०६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ .	९०६–९१८
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . .	९१९ ९६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२	९६१–९६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ .	९६९–९९४
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२	९९५–१०३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०३२ १०३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ .	१०३५–१०४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ .	१०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक-सभा

गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग

*८५३. **श्री डाभी :** क्या गृह-कार्य मंत्री ३१ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है । और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य-मुख्य कृत्य क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) . कोई पृथक भ्रष्टाचार विरोधी विभाग नहीं हैं । फिर भी गृह-मंत्रालय में एक संस्था जिसका नाम 'प्रशासी सतर्कता विभाग' है, बनाई गई है । इसके कृत्यों सम्बन्धी एक ब्यौरा संलग्न टिप्पणी में दिया गया है जिसे मैं सदन पटल पर रख रहा हूं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६०]**

श्री डाभी : टिप्पणी से यह विदित होता है कि अब तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उन्हें सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता । हो सकता है कि यह कुछ ही सीमा तक सन्तोषजनक हों । क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

श्री दातार : यह कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न ढंगों से किया जा रहा है ।

श्री डाभी : इस में कहा गया है कि "गृह-मंत्री तदानुसार प्रस्ताव देते हैं कि प्रत्येक मंत्रालय को तुरन्त एक अधिकारी का नाम देना चाहिए, आदि, आदि ।" मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित होगा ?

श्री दातार : यह प्रस्ताव पहले से ही कार्यान्वित हो रहा है और निदेशक नियुक्त किया जा चुका है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि कितने सतर्कता अधिकारी कितने विभागों में नियुक्त होंगे और ऐसी नियुक्तियों का वित्तीय प्रभाव क्या होगा ?

श्री दातार : इन सब बातों पर आवश्यकतानुसार विचार किया जायगा क्योंकि अभी इसका समय नहीं है । निदेशक केवल अभी नियुक्त किया गया है । प्रस्ताव यह है कि पहिले चार मंत्रालयों में

ये अधिकारी नियुक्त किये जायें और फिर कार्य के बढ़ने पर यह योजना अन्य मंत्रालयों में लागू की जाये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री बोगावत : क्या यह सच है कि गुप्तचर विभाग सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रहा है और यह सर्तकता विभाग गुप्तचर विभाग की अपेक्षा अधिक कुशलता-पूर्ण कार्य करेगा और कि इस विभाग में भी कोई अवैध कार्य न होगा ?

श्री दातार : कदाचित मेरे मित्र को भ्रम है । यह गुप्तचर विभाग नहीं है अपितु विशेष पुलिस संस्थापन विभाग है जो बड़े २ मामलों के सम्बध में कार्यवाही करता है ।

श्री कामत : सभा पटल पर रखे हुए विवरण में लिखा है कि विषय पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार एक उच्च अधिकार वाली ऐसी भ्रष्टाचार विरोधी समिति या न्यायाधिकरण नियुक्त करने में इतनी क्यों हिचकिचाती है, जो कार्यपालिका से पूर्णतया स्वतंत्र हो और विद्यमान स्थिति में सतर्कता अधिकारियों की भांति सचिव के अधीन न हों ? यदि सरकार इस प्रकार की स्वतंत्र संस्था स्थापित नहीं करती है, तो क्या नवीन विभाग मंत्रियों और सचिवों पर लगाये गये आरोपों को मान्यता देगा ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह एक सुझाव है ।

श्री कामत : मैं .... वापिस लेता हूं....

श्री दातार : उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है । द्वितीय, यह सारा कार्य कार्यपालिका से स्वतन्त्र नहीं हो सकता । हमें कार्यपालिका द्वारा कार्य करना है ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि पुलिस शक्ति और सतर्कता विभाग के बीच एकीकरण या सह-सम्बन्ध के सम्बन्ध में काम करने का जो ढंग अपनाया जा रहा है वह क्या है ?

श्री दातार : समूचे प्रश्न पर, जब इस संस्था को कुछ अनुभव हो जायगा, विचार किया जायगा ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

*८५४. **श्री इब्राहीम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में इलाहाबाद विश्व-विद्यालय को प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया गया है ।

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परि-शिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१)**

श्री इब्राहीम : विश्वविद्यालय को अनुदान देने की सामान्य प्रक्रिया क्या है ?

डा० एम० एम० दास : सामान्य प्रक्रिया यह है : संबद्ध विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रार्थना-पत्र भेजता है । प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है । यदि विश्व-विद्यालय अनदान आयोग आवश्यक समझता है तो एक भ्रमणकारी समिति

नियुक्त की जाती है जो उस विश्व-विद्यालय विशेष का भ्रमण करती है, विश्वविद्यालय की योजना के सम्बन्ध में जांच करती है और समस्त सूचना एकत्रित करती है और विश्वविद्यालय अनुदान को अपनी सिफारिशें देती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भ्रमणकारी समिति की सिफारिशों पर अनुदान देता है।

श्री इब्राहीम : यह किस कार्य के लिए दिया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य अपने मूल प्रश्न की ओर ध्यान दें तो मेरा उत्तर यह है कि अनुदान विज्ञान प्रयोगशालाओं और विज्ञान पुस्तकालयों को सज्जित करने के लिए दिया जाता है।

जहाज से भेजे गये माल का बीमा

*८५७: **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तट-वर्ती जहाजों और समुद्र पार जाने वाले जहाजों में ढोये गए माल के कितने प्रतिशत भाग का भारतीय और विदेशी कम्पनियों द्वारा बीमा किया गया ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि क्योंकि बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन बीमा कम्पनियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे जहाजों में ढोये गए माल के बीमे और अन्य प्रकार के समुद्री बीमे के सम्बन्ध में अलग-अलग सूचना भेजें।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सरकारी सामान जहाजों से आता है उसका स्वदेशी बीमा कम्पनियों में इन्सोरेन्स होता है या नहीं ?

श्री एम० सी० शाह : सामान के बीमा के बारे में जो भारत सरकार की ओर से किया गया है, मैं कह सकता हूं कि हम ऐसे सामान का बीमा नहीं करते।

श्री रघुनाथ सिंह : सरकार ने इस साल के अन्दर अब तक कितना रुपया सामान लाने के वास्ते फारेन इन्श्योरेन्स कम्पनियों को दिया है ?

श्री एम० सी० शाह : भारत सरकार की ओर से यहां जो सामान लाया गया है सरकार उसका बीमा नहीं करती। अतः प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

क्रीड़ा संघ

*८५६: **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ शर्तें नियत की हैं जो क्रीड़ा संघों को इससे पहिले कि उन्हें अनुदान दिया जाये पूरी जांच करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें अनुदान देने के लिए अपेक्षित शर्तें सम्मिलित हैं, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६२]

श्री वी० पी० नायर : विवरण में मैं देखता हूं कि जो शर्तें निर्धारित की गई हैं उनका सम्बन्ध लेखाओं के रखने में किसी न किसी अपेक्षित बात से है। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार विभिन्न क्रीड़ा संस्थाओं को अलग-अलग रूप से देगी अथवा कि केवल उन्हीं संस्थाओं को धन देगी जो अखिल भारतीय योजना से संगत है ?

डा० एम० एम० दास : विभिन्न क्रीड़ा संस्थाओं से, जो केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता चाहती हैं, प्राप्त हुई योजनाओं को अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् को भेजा जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार क्रीड़ा परिषद् की सिफारिशों से अनुदान देगी ।

श्री वी० पी० नायर : इस तथ्य की दृष्टि से कि विभिन्न क्रीड़ा संस्थाओं के काम करने के ढंग की बहुत कुछ आलोचना हो चुकी है तथा कुछेक तो ठीक ही बदनाम भी हो चुकी हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन संस्थाओं को दिए गए एक एक पैसे के उपयुक्त प्रयोग अर्थात् खेलों को प्रोत्साहित करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ।

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य विवरण में निश्चित शर्तों को देखेंगे तो उन्हें विश्वास हो जायगा कि इन्हीं प्रयोजनों से उन शर्तों को रखा गया है ।

श्री जयपाल सिंह : मैं जान सकता हूं कि इस विशेष मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय की उपेक्षा क्यों की है ? मैं जान सकता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोई राशि क्रीड़ा संस्थाओं पर व्यय करने के लिए दी गई है ? ये अनुदान शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्यों नहीं दिए गए हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को वित्त मंत्रालय अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा जाना अधिक उपयुक्त होगा ।

विध्वंशक जहाजों की दुर्घटना

*८५६: **डा० रामा राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विध्वंसक जहाज़ आई० एन० एस० 'रंजीत' तथा आई० एन एस० 'राजपूत' में बम्बई से ६०० मील परे समुद्र में परस्पर टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या टक्कर के कारणों को ज्ञात करने की कोई जांच की गई थी; तथा

(ग) दोनों विध्वंसक जहाज़ों की मरम्मत करने की लागत क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ५२,००० रुपये ।

डा० रामा राव : इस दुर्घटना के समय प्रभारी अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

सरदार मजीठिया : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

डा० रामा राव : क्या जांच सम्बन्धित पदाधिकारी का उत्तरदायित्व सिद्ध हो चुका है ?

सरदार मजीठिया : जी हां । 'स्टीयरिंग गियर' में कुछ टूट जाने से यह टक्कर हुई थी ।

डा० रामा राव : इस मामले में विशेषज्ञों की क्या राय है ? सामान्य व्यक्तियों को बीच समुद्र में ऐसी टक्कर का लगना बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है ।

सरदार मजीठिया : मैं समझता हूं कि इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है । जब आप समुद्र में जटिल प्रकार के काम कर रहे हों तो कुछ न कुछ अवश्य ही टूट जाता है ।

श्री जो० एस० सिंह : क्या यह इन जटिल कामों के कारण टूट फूट हुई थी कि मशीनों से काम लेने के कारण ?

सरदार मजीठिया: मुझे खेद है कि मुझे इतना तो पता नहीं। हां 'स्टीयरिंग गियर' के अंशतः टूट जाने से अवश्य यह दुर्घटना हुई।

राजनैतिक पीड़ित

*८६०. **श्री भक्त दर्शन**: क्या गृह-कार्य मंत्री ९ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१०२ से उत्पन्न होने वाले एक अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता आन्दोलन में राजनैतिक पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने की योजना के सम्बन्ध में क्या तब से कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) खेद है कि ९ अप्रैल को प्रश्न संख्या २१०२ में पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर मैंने एक गलत फहमी में दिया था जो वास्तव में राजनीतिक पैन्शन से सम्बन्ध रखता था। वास्तविक स्थिति यह है कि सारे प्रश्न पर १९५० में विस्तारपूर्वक विचार किया गया था तब यही निर्णय हुआ कि यह राजनीतिक पीड़ितों का मामला शुरु से ही राज्य सरकार के विचार योग्य था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भक्त दर्शन: क्या भारत सरकार ने इस बात को मालूम करने का प्रयत्न किया है कि १८५७ से लेकर १९४७ तक जितने भी स्वाधीनता संग्राम हुये हैं उन में कितने लोग शहीद हुये हैं कितनों के परिवार दुख में हैं और क्या उस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई हिदायतें भी दी गई हैं ?

श्री दातार: जहां तक सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है, तथा यह उनका काम है कि जांच पड़ताल करें और जहां उनको सहायता का हक है, ऐसी सहायता दें।

श्री भक्त दर्शन: क्या इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इस सम्बन्ध में केवल कांग्रेस के राजनीतिक आन्दोलनों के पीड़ितों को ही सम्मिलित न किया जाये बल्कि और भी राजनीतिक पीड़ितों जैसे आजाद हिन्द फौज, पेशावर कान्ड के गढ़वाली सैनिक, फारवर्ड ब्लाक और इसी तरह से और जो आशंकवादी राजनीतिक पीडित हैं—उनको भी सम्मिलित किया जाय।

श्री दातार: राजनीति पीड़ित 'व्यक्ति' शब्द सामान्य अर्थों में लिए गए हैं—सब वे व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्र के लिए क्षति उठाई है, चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी पक्ष से हो।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या सरकार को मालूम है कि यह राजनीतिक पीडितों का प्रश्न इतना वृहद और इतना विस्तृत है कि राज्य सरकारें इसको ठीक तरह से हल कर नहीं सकती है और न ही उन के पास इतने साधन हैं कि राजनीतिक पीड़ितों को वह ठीक तरह से मुआवजा दे सकें ?

श्री दातार: माननीय सदस्य ने जो स्थिति बताई है, वह ठीक नहीं है। राज्य सरकारें इस बारे में कार्यवाही कर रही हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या सरकार को मालूम है कि राजनीतिक पीड़ितों को उनकी दशा सुधारने लिये ७५ और ८० रुपये दिये जा रहे हैं ?

श्री दातार : मैं प्रश्न का बाद का भाग नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्योरा सम्बन्धी बात है । हम अब अगले प्रश्न को लेते हैं ।

औद्योगिक वित्त निगम

*८६१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम की सहायता से कितने नये उद्योग स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) उनमें कितने उद्योगों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) औद्योगिक वित्त निगम के वर्गीकरण के अनुसार १५ अगस्त, १९४७ के बाद उत्पादन आरंभ करने वाले कारखाने नये उपक्रम समझे जाते हैं । यदि माननीय इन उपक्रमों के संबन्ध में सूचना ज्ञात करना चाहते हैं तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के ऐसे ५३ कारखानों को औद्योगिक वित्त निगम से ऋण प्राप्त हुए हैं— यद्यपि यह हो सकता है कि इस सहायता से इन कारखानों का संस्थापन न किया गया हो ।

(ख) ४७ कारखानों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है ।

डा० राम सुभग सिंह : कितने कारखाने ऐसे हैं जिन्हों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और उन ऋणों का भुगतान कर दिया है जो कि उन्हें औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये थे ?

श्री ए० सी० गुह : यह मैं अभी बता चुका हूं कि ऐसे कारखानों की संख्या ४७ है । मैं समझता हूं कि इन में से एक भी कारखाना ऐसा नहीं है जिसने ऋण का पूरा पूरा भुगतान कर दिया हो । यह किस्तें अवश्य ही अदा कर रहे होंगें ।

डा० राम सुभग सिंह : औद्योगिक वित्त निगम की सहायता से आरंभ किये गये कितने नये औद्योगिक समवाय ठप्प हो चुके हैं ?

श्री ए० सी० गुह : उस समय से चार कारखानों ने उत्पादन बंद कर दिया है ।

डा० राम सुभग सिंह : जिन कारखानों ने उत्पादन आरंभ किया है और वह कारखाने जो कि ठप्प हो गये हैं उनको दिय गये ऋणों की न्यूनतम तथा अधिकतम राशियां कितनी हैं ?

श्री ए० सी० गुह : उत्पादन बंद कर देने वाला सब से बड़ा कारखाना सोदीपुर ग्लास वर्क्स है । मैं समझ सकता हूं कि इसको दिये जाने वाले ऋण की राशि ५० लाख रुपये होगी । जब से निगम ने इस समवाय का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया तब से उसके संचालन में ५० लाख रुपया और व्यय किया गया होगा । अन्य समवायों के अलग-अलग आंकड़े मेरे पास नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : निगम द्वारा अब तक कुल कितनी राशि नये समवायों को दी गई है ?

श्री ए० सी० गुह : यह जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन में मिलेगी । तो भी, ३०-६-५५ तक की यह राशि १५,२२,५०,००० रुपये है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या कोई ऐसे भी अवसर आये हैं जब कि निगम को निधि का उचित उपयोग न किये जाने के कारण न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं, ऐसा अवसर एक बार भी नहीं आया है । केवल छै कारखाने ऐसे हैं जिन्हों ने अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है और निगम ऐसे कारखानों पर बराबर निगाह रखता रहा है । ऐसी कोई बात नहीं मालूम हुई जिससे कि यह बात ज्ञात हो कि यह कारखाने किसी प्रकार भी निधि का दुरूपयोग करते रहे हैं । हो सकता है कि उनके उत्पादन आरम्भ करने में विलम्ब हुआ हो ।

चिकित्सक छत्रसेना उड़ान दल

*८६२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय वायु दल का चिकित्सक छत्रसेना उड़ान दल कब बनाया गया था ;

(ख) आपात काल में अनभिगम्य क्षेत्रों को शीघ्रता के साथ डाक्टरी सहायता भेजने में कब और किस प्रकार उन्होंने सफलता प्राप्त की ;

(ग) उड़ान दल के डाक्टरों ने कितनी जाने बचाईं ; और

(घ) इस समय उड़ान दल की शक्ति कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) मई, १९५१ ।

(ख) (१) पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण की सागाली नामक चौकी के निकट अक्टूबर, १९५२ में एक भारतीय वायुमंड़ल का डकोटा विमान गिर कर नष्ट हो गया था । बचे हुए तीन व्यक्तियों में दो बहुत बुरी तरह जल गये थे । उस क्षेत्र में एक कम्पाउण्डर की सेवाओं को छोड़ कर और कोई डाक्टरी सहायता उपलब्ध नही थी और वह भूभाग इस प्रकार का था कि कोई और डाक्टरी सहायता बहुत देर तक साधारणतय: वहां पहुंच नहीं सकती थी । चिकित्सक छत्र सेना दो, अफसरों की जान बचाने में सफल हुआ था ।

(२) पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण के सुवांसिरी क्षेत्र में स्थित कोड़क स्थान में एक सैनिक अधिकारी १४-३-५३ को एक आदिम जातीय व्यक्ति के एक विषैले बाण से घायल हो गया था । उस क्षेत्र के अनभिगम्य होने के कारण, कोई भी डाक्टरी सहायता उस के पास दो सप्ताह से कम में नहीं पहुंच सकती थी । चिकित्सक छत्र सैनिकों ने समय पर डाक्टरी सहायता की व्यवस्था कर के उस अफसर की जान बचाई ।

(ग) तीन ।

(घ) उड़ान दल में तीन टोलियां होती हैं और प्रत्येक में एक अफसर और चार उड़ाकू होते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कोई चिकित्सक छत्र सैनिक किसी समय सहायता के लिये सिक्किम भेजा गया था ?

सरदार मजीठिया : इस का तो मुझे ज्ञान नहीं है परन्तु विभिन्न अवसरों पर यह दल किसी भी आपात में सहायता करने के लिये तत्पर रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार ने कोई छत्र सैनिक प्रशिक्षण स्कूल खोला

है, यदि हां, तो क्या चिकित्सक से विवर्ग को भी अग्रेतर प्रशिक्षण दिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : अग्रेतर प्रशिक्षण का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । हमारा एक छत्र सेना स्कूल है और छतरी से उतरने के सम्बन्ध में छः प्रकार की शिक्षा यहां दी जाती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने मुझे आपात अवसरों के सम्बन्ध में बताया है । क्या साधारण काल में मांगी जाने पर ऐसी सहायता दी जाती है ?

डा० रामा राव : जैसा कि सभा अनुभव करेगी, हमारे पास तीन टोलियां का केवल एक उड़ान दल है और जब कभी भी समूचित प्रार्थना के द्वारा उन की आवश्यकता प्रकट की जाती है तो वह सदा प्रस्थान करने के लिये तैयार रहते हैं ।

डा० रामा राव : क्या यह सहायता असैनिक संकटों, धंस जाने वाली दुर्घटनाओं इत्यादि में भी उपलब्ध होती है या क्या ऐसे कार्यों के लिये पर्याप्त संख्या में असैनिक चिकित्सक से विवर्ग को प्रशिक्षित करने की व्यवस्थो की गई है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं बता चुका हूं यह दल भारतीय वायु बल से विवर्ग में से बनाया गया है । असैनिकों का यहां प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । इसके अतिरिक्त उनको प्रशिक्षण देने में और अधिक व्यय करने की आवश्यकता होती है । जैसा कि मैं कह चुका हूं, जहां तक असैनिकों का सम्बन्ध है, जब कभी भी संकट का समय आता है, रक्षा दल सदा असैनिकों की सहायता करने के लिये आ जाता है ।

बैंकों का एकीकरण

*८६३. **सेठ गोविन्द दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व भारतीय रियासतों के बैंकों का एकीकरण करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने बैंकों का अब तक एकीकरण हो चुका है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). भारतीय राज्य बैंक के साथ राज्यों से सम्बद्ध बैंकों का एकीकरण सिद्धांतरूप में स्वीकार कर लिया गया है और इसकी घोषणा सदन में अप्रैल, १९५५ में की गयी थी । किन बैंकों का एकीकरण किया जाये और वह किस प्रकार किया जाये, ये बातें अभी विचाराधीन हैं।

सेठ गोविन्द दास : इन विषयों पर कब से विचार चल रहा है और इस सम्बन्ध में क्या कोई लिखा पढ़ी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच हो रही है ?

श्री ए० सी० गुह : राज्य सरकारों के साथ इस सम्बन्ध में काफी बातचीत हो चुकी है अभी और भी बातचीत होने वाली है । ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सम्बन्ध में एक नया विधेयक पेश करना होगा और जब वह विधेयक पास हो जायेगा तब काम पूरा होगा ।

सेठ गोविन्द दास : इस सम्बन्ध में जो विधेयक सरकार लाने का विचार कर रही है उसके कब तक आने की सम्भावना है ?

श्री ए० सी० गुह : क्योंकि हम को भी इसका बहुत ख्याल है, इसलिये जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी उस विधेयक को पेश किया जायेगा ।

श्री मुरारका : क्या सभी भारतीय राज्य बैंक भारत के राज्य बैंक में विलीन कर दिये जायेंगे या कोई अपवाद किया जायगा ?

श्री ए० सी० गुह : इन सब प्रश्नों पर विधेयक पारित करते समय विचार किया जायेगा और जब कि इन में से प्रत्येक बैंक के मामले पर प्रथक रूप से विचार किया जायेगा ।

श्री कासलीवाल : क्या यह सच है कि राजस्थान के चार बैंकों—बैंक ऑफ़ राजस्थान, बैंक ऑफ़ जयपुर, बैंक ऑफ़ जोधपुर तथा बैंक ऑफ़ बीकानेर—के एकीकरण के लिये जो वार्ता की गई है वह असफल हो गई है, और यदि हां, तो क्यों ?

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि यह जानकारी बिल्कुल ठीक नहीं है । मेरी जानकारी यह है कि इस विषय में सभी राज्य सरकारें बहुत उत्साह दिखा रही हैं और बैंक अधिकारी भी बहुत कुछ सहमत हो गये हैं । ब्योरे की कुछ बातों के संबंध में कुछ मतभेद हो सकते हैं, परन्तु जहां तक सिद्धान्त की बात है, वे सभी सहमत हो चुके हैं ।

चांदी परिष्करणी परियोजना

*८६४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९५५ के अन्त तक चांदी परिष्करणी परियोजना स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या आयात की जाने वाली मशीनें और संयंत्र प्राप्त हो चुके हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) चांदी परिष्करणी संयंत्र स्थापित करने के लिये आवश्यक असैनिक इंजीनियरिंग कार्य का लगभग ८० प्रतिशत जून, १९५५ के अंत तक समाप्त हो गया था ।

(ख) परिष्करणी स्थापित करने के लिये अपेक्षित उपकरणों में से लगभग ९७ प्रतिशत विदेशों से प्राप्त हो चुके हैं । शेष भाग जहाज में लदने के लिये तय्यार हैं और आशा की जाती है कि शीघ्र ही प्राप्त हो जायगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यह कारखाना चांदी के परिष्कृत करने का वास्तविक कार्य कब आरंभ करेगा ?

श्री ए० सी० गुह : मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हम किसी हद तक अनुसूची से पिछड़ गये हैं और हम आशा करते हैं कि १९५६ के अंत तक यह संयंत्र कार्य आरंभ कर देगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस बात पर ध्यान देते हुए कि इस कारखाने के निर्माण में विलम्ब हुआ है क्या हम ने अमरीका की सरकार से जिस को कि हमें उधार पट्टा योजना के अंतर्गत चांदी लौटानी है अवधि के विस्तार के लिये वार्ता की है ?

श्री ए० सी० गुह : यह प्रश्न केवल अनुसूचित समय के बीत जाने पर उत्पन्न होगा और मैं समझता हूं कि इस मसले को अभी उठाना ठीक नहीं होगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : अनुसूचित समय क्या है ?

श्री ए० सी० गुह : अमरीका द्वारा आपातकाल के समाप्त किये जाने के लगभग पांच वर्ष पश्चात अर्थात यह १९५७ में आयेगा । तिथि के सम्बन्ध में मुझे भली प्रकार निश्चय नहीं है और यदि माननीय सदस्य मुझे सूचना दें तो मैं उन्हें इस की जानकारी दे दूंगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या यह परिष्करणी झावर में बनाई जाने वाली है और क्या राजस्थान स्थित झावर की चांदी की खानों पर कोई कार्य आरंभ कर दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुह: इसका चांदी की खानों से कोई संबंध नहीं है । यह परिष्करणी स्ट्रेण्ड रोड़ कलकत्ता पर कलकत्ते की टकसाल वाली पुरानी जगह पर बनाई जायेगी ।

डा० सुरेश चन्द्र : एक पहले प्रश्न के उत्तर में, कि मशीनरी पुरानी है या नई, माननीय मंत्री ने बताया था कि उन के पास कोई जानकारी नहीं थी । क्या उस समय के बाद से उन्होंने इस कथन का सत्यापन किया है और क्या अब वह यह जानकारी हमें दे सकते हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मैं माननीय सदस्य का अभारी हूं कि उन्हों ने मुझे स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये यह अवसर प्रदान किया । ३० दिसम्बर १९५४ को श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने एक अनुपूरक प्रश्न के रूप में यह पूछा था कि क्या कलकत्ते की चांदी परिष्करण परियोजना के लिये मैसर्ज डे माग, एलेक्ट्रोमेटालर्जि से क्रया की गई मशीनरी पुनर्निमित थी और मूल मशीनरी नहीं थी उस समय मैं ने कहा कि यह ठीक नहीं था और यह कहा था कि कोई जानकारी मेरे पास नहीं थी । मैं ने यह भी कहा कि सरकार को इस बात से संतोष हो गया था कि जिस मशीनरी का संभरण किया गया था वह प्रमाप स्तर की थी और इस कार्य के लिये बहुत उपयुक्त थी ।

उस समय से इस विषय की ध्यान-पूर्वक जांच की गई है और सरकार संतुष्ट है कि इस परियोजना के लिये संभरित संयंत्र और मशीनरी नई है और अद्यतन प्रकार की है । इस संबंध में भी संभरणकर्ता और सरकार के मध्य हुए करार के खण्ड ३ (क) को उदधृत कर दूं, वह इस प्रकार है :—

> "उल्लिखित संयंत्र या मशीनरी.... का निर्माण संभरणकर्ता या उसके सहयोगियों या विशिष्ट प्रकार के संयंत्रों के निर्माताओं द्वारा जैसी कि स्थिति हो, किया जायेगा परन्तु यह मशीनरी प्रत्येक अवस्था में संभरणकर्ता के डिजाइनों और विशिष्ट विवरणों के अनुसार होगी जो कि समस्त संयंत्र और मशीनरी के संभरण के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा...."

इस से प्रकट होगा कि संभरणकर्ता द्वारा संभरण किया गया उपकरण नवीन होना चाहिये । इसके अतिरिक्त संभरण-कर्ताओं की ओर से सरकार को एक निश्छल और सुस्पष्ट आश्वासन भी प्राप्त हुआ है कि, संभरण किये गये सब संयंत्र और मशीनरी बिल्कुल नई है और अभिन्यास, कर्मकौशल, निर्माण रीतियों तथा सामग्री की दिस्म से संबंधित कला के तमाम वर्तमान प्रमापों को समाविष्ट करते हुए अद्यतम डिजाईन की हैं ।

भूतत्वीय परिमाप

*८६५. **श्री हेमराज** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २२ नवम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालामुखी पैट्रोलियम क्षेत्र की भूसंरचना का भूतत्वीय मानचित्रण समाप्त हो चुका है;

(ख) इस क्षेत्र का चुम्बकीय तथा भारमितीय सर्वेक्षण कब तक आरंभ होगा;

(ग) क्या इस क्षेत्र का पूर्व परीक्षण परिमाप करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये किसी विदेशी समवाय ने केंद्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो उस समवाय का नाम क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नहीं । पर मैं यह कह सकता हूं कि यह लगभग समाप्त हो चुका है ।

(ख) यह कार्य १९५५-५६ की शरद ऋतु में आरंभ किया जाने वाला है ।

(ग) हां ।

(घ) मेसर्स स्टैण्डर्ड वेकूअम आयल कम्पनी ।

श्री हेमराज : स्टैण्डर्ड वैकूअम आयल कम्पनी द्वारा जो समन्वेषण किया जायगा वह सरकारी दल के सहयोग में किया जायगा या स्वतंत्र होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : उस क्षेत्र में स्टैण्डर्ड वैकूअम आयल कम्पनी द्वारा कोई तेल समन्वेषण करने की प्रस्थापना नहीं है । उन्हों ने केवल उस क्षेत्र का भूतत्वीय पूर्व परीक्षण परिमापन करने के लिये प्रार्थना की थी ।

श्री सो० आर० नरसिंहन : अब तक मानचित्रण का जो कार्य किया गया है उसके परिणामस्वरूप क्या निश्चय किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे विशेषज्ञों के अध्ययन से प्रकट होता है और सामान्यतः यह अब तक प्रमाणित हो गया है कि ज्वाला मुखी क्षेत्र और उस के आस पास के क्षेत्र में भूमि से निकाले जाने वाले तेल के संचय के लिये उपयुक्त स्थान है ।

श्री एन० बी० चौधरी : स्टैण्डर्ड वैकूअम आयल कम्पनी का परिश्रमिक क्या होगा या वे शर्तें क्या हैं जिन के अनुसार कम्पनी कार्य करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : पारिश्रमिक का कोई प्रश्न नहीं है । वे केवल एक भूतत्वीय पूर्व परीक्षण करना चाहते थे जो हमें और उन्हें किसी बात के लिए बाध्य नहीं करता है ।

तेल और गैस डिवीजन

*८६९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तेल संसाधनों की खोज के लिये तेल और गैस डिवीज़न नियुक्त करने में चालू वर्ष में कितनी राशि के व्यय किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यह डिवीज़न किस राज्य में अपना कार्य शुरू करेगा ।

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) इस का राजकीय अनुमान लगभग ६० लाख रुपये है । एक नई

संस्था की अनिवार्य आपत्तियों को छोड़ कर यह खर्च वास्तव में कुछ कम हो सकता है।

(ख) राजस्थान।

श्री के० सी० सोधिया: यह डिवीज़न खुद काम करेगा या दूसरी कम्पनियों से करायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह खुद काम करेगा।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इसके पास मशीनरी और एक्सपर्टस (विशेषज्ञ) हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ हैं और जो और ज़रूरत होगी, वे बाहर से मंगाए जायेंगे।

श्री कामत : क्या सरकार की प्रस्थापना इस कार्य के लिये विदेशी टेकनिशियनों (प्रविधिविज्ञों) को बाहर से प्राप्त करने की है अथवा तेल तथा गैस के इस कार्य के लिये भारतीय कर्मचारी पूर्णरूप से पर्याप्त हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक भूतत्व वेत्ताओं तथा भू-भौतिकीय ज्ञाताओं का सम्बन्ध है, हमें उनकी बहुत अधिक आवश्यकता है और जहां से भी हम उन्हें ले सकेंगे हम लेने का प्रयत्न करेंगे।

श्रीमती कमलेन्दु मति शाह : क्या हमारे अपने विशेषज्ञ नहीं हैं जो दूसरी जगह से लाने पड़ते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं प्रश्न समझा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या हमारे यहां अनुभवी प्रविधिविज्ञ नहीं हैं कि हम बाहर से प्राप्त करने पर मजबूर हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे यहां बहुत से विशेषज्ञ हैं, किन्तु जब हमें अधिक लोगों की आवश्यकता होती है तो हम बाहर से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।

कराधान जांच आयोग

*८७०. **श्री मोरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कराधान जांच आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन के अध्याय १३ की कण्डिका ३५ (खण्ड २) में की गई इस सिफारिश पर विचार किया है कि प्रशासन सम्बन्धी सामान्य विषयों पर चर्चा करने के लिये प्रत्येक आयकर आयुक्त से संलग्न गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक समिति बनाई; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) अभी इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री मोरारका : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये हुए १० महीने का समय बीत चुका है, क्या मैं जान सकता हूं कि अभी इस पर विचार करने के लिये सरकार कितना समय और लेगी ?

श्री एम० सी० शाह: प्रतिवेदन में केवल यही एक सिफारिश नहीं थी, बल्कि आयकर प्रशासन सम्बन्धी पांच सिफारिशें और भी थीं। हमने इस मामले की देखभाल करने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया है। यह एक

बहुत बड़ी जांच है और हम विशेष कृत्याधिकारी के लिये जो कि जायंट सेक्रेटरी के स्तर का है, प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री मोरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विशेष कृत्याधिकारी को किसी अवधि विशेष तक प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है ?

श्री एम० सी० शाह : कोई विशेष समय निश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे राज्यों में जाना होगा जहां लगभग २१ आयुक्त हैं। उसे संगठनों से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करना तथा अन्य सम्बद्ध विषयों की, जैसे कि मामलों का शीघ्र निपटारा जन-सम्पर्क पदाधिकारियों की नियुक्तियां तथा अन्य विषयों की, पड़ताल भी करनी होगी। इस लिये इस सारे कार्य में समय लगेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कई राज्यों ने कराधान जांच आयोग की उनसे सम्बन्ध रखने वाली कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अपने संसाधनों की गणना करने में इन सिफारिशों को सम्मिलित नहीं किया है ?

श्री एम० सी० शाह : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। यहां इस समय प्रश्न आयकर प्रशासन का है और विशेषकर राज्यों के आयुक्तों से संलग्न सलाहकार समितियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। राज्यों पर प्रभाव डालने वाली कराधान जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में, माननीय मंत्री दूसरा प्रश्न रखें।

आंध्र में पुस्तकालय

*८७२. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र राज्य को अब तक अपने पुस्तकालयों के विकास के लिये कितना ऋण तथा वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) क्या आवंटित रकम का उपयोग किया जा चुका है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ऋण कुछ भी नहीं दिया गया है। १९५५-५६ के लिये एकीकृत पुस्तकालय सेवा की केन्द्रीय योजना के अधीन मंजूर हुई वित्तीय सहायता की रकम १८,२०७ रुपये है।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी मंगवाना अभी अतिशय शीघ्र है।

मैं यह भी बता दूं कि जहां तक शिक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों तथा शिक्षा संस्थाओं को जो भी ऋण मंजूर किये जाते हैं वे केवल विद्यार्थियों के छात्रावासों के निर्माण के लिये दिये जाते हैं और किसी प्रयोजन के लिये नहीं।

आंध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विद्यार्थियों के छात्रवासों के निर्माण के लिये ऋण दिये जाने की कोई प्रार्थना नहीं की थी इसी कारण से कोई ऋण मंजूर नहीं किये गये हैं।

श्री गाडिलिंगन गौड : केन्द्रीय सरकार के अनुदानों के बारे में क्या एक ही योजना है अथवा विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने की विभिन्न योजनायें हैं ?

डा० एम० एम० दास : बहुत सी योजनायें हैं जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान दिये जाते हैं, किन्तु जहां तक पुस्तकालयों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल दो ही योजनायें हैं । एक योजना के अधीन राज्य सरकारों का एक आवेदन अभी विचाराधीन है और दूसरी योजना के अधीन एक अन्य आवेदन को मंजूर कर लिया गया है । मुख्य उत्तर में रकम भी बताई जा चुकी है अर्थात् १८,२०७ रुपये है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं जान सकता हूं इस वित्तीय सहायता की पद पर अब तक कुल कितनी रकम व्यय की गई है और क्या अभी तक कतिपय राज्यों को जैसे की त्रावनकोर-कोचीन आदि को सहायता नहीं दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : सभा के सामने यह प्रश्न कई बार आया है, और मैंने आंकड़े दिये हैं । इस समय उस कुल रकम की जानकारी जो कि विभिन्न राज्यों को पुस्तकालयों के विकास के लिये अनुदानों के रूप में दी गई है, मेरे पास नहीं है । किसी राज्य विशेष को मंजूर की गई रकम उस योजना पर निर्भर करती है जो कि उस राज्य द्वारा शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाती है । यदि वह योजना विशेष केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती है, तब अनुदान दिये जाते हैं ।

जाली मुद्रा

*८७३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुद्रा और वित सम्बन्धी रक्षित बैंक के प्रतिवेदन, १९५४-५५, जैसा कि बताया गया है कि २,५२,१३६ रुपये के मूल्य की जाली मुद्रायें बनाई गई, उस के सम्बन्ध में कल कितने दावे दायर किये गये और कितन लोगों को सजायें हुईं ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने स्थानों में पुलिस ने छापा मारा और नोट बनाने वाली कितनी मशीनें पकड़ीं; और

(ग) १९५३–५४ की अपेक्षा १९५४-५५ में इस अपराध में अठ-गुनी वृद्धि होने के (जाली नोटों के मूल्य के अनुसार) क्या कारण हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (ग). वर्तमान कार्यविधि के अधीन जो जाली नोट रिजर्व बैंक में किसी एक साल में आते हैं उनमें जनसाधारण द्वारा और बैंकों आदि द्वारा भेजे गये नोट तथा वे नोट, जो कि पिछले सालों में पुलिस द्वारा मुकद्दमों के खत्म हो जाने के पश्चात रिजर्व बैंक में समुचित कार्यवाही के लिये भेज दिये जाते हैं, शामिल हैं । अतः १९५४-५५ में रिजर्व बैंक के दफ्तरों में प्राप्त जाली नोटों के मूल्य के रूप में २,५२,१३६ रुपये की जो संख्या दिखायी गयी है उसमें १,९८,३०० रुपये के जाली नोटों का सम्बन्ध उन मुकद्दमों से है, जो पुलिस ने १९५०—५४ में दायर किये । यदि १,९८,३०० रुपये की रकम २,५२,१३६ रुपयों में से घटा दी जाय तो १९९४-५५ में प्राप्त होने वाले जाली नोटों का मूल्य ५३,८३६ रुपये रह जाता है जो लगभग एक वर्ष का औसत मालूम होता है । वित्त मंत्रालय में इससे अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जाली नोट इस साल पकड़े गये हैं उनके सम्बन्ध में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, और अगर की तो क्या ?

श्री ए० सी० गुह : यह तो सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है । स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आयी

है। जो खबर यहां दी गयी है उस से ज्यादा हमारे पास नहीं है। यह ला एंड आर्डर का विषय है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से सम्बन्ध रखता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : वित्त मंत्री ने बतलाया कि इस साल भी काफी धन के जाली नोट पकड़े गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस जाली नोट बनाने के बढ़ती हुई बुराई को रोकने के लिये भारत सरकार क्या कर रही है ?

श्री ए० सी० गुह : यदि मैं अंग्रेजी का उत्तर पढ़ता तो वह अधिक ठीक तरह समझ जाते। मैं ने यह नहीं कहा है कि इस साल जाली नोटों की संख्या अधिक रही है। मैंने कहा था कि ५३,८३६ रु० की रक़म प्राय: एक वर्ष का औसत प्रतीत होती है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि नकली रुपया और छोटे सिक्के कई स्टेटों में बनाये जा रहे हैं ?

श्री ए० सी० गुह : छोटे पैमाने पर ऐसा होना संभव हो सकता है ?

दियासलाई उत्पादन शुल्क

***८७६. श्री डाभी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्यम तथा कुटीर श्रेणी के दियासलाई के कारखानों को सहायता देने की दृष्टि से उत्पादन शुल्क के बाद में भुगतान किये जाने की प्रणाली को लागू करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापित प्रणाली कब लागू की जायेगी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) सरकार इस विषय पर स्तर्क रूप से ध्यान दे रही है।

(ख) लागू किये जाने की किसी तारीख के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी सिद्धांत रूप से निर्णय किया जाना है।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस मामले पर निर्णय करने में कितना समय लेगी ?

श्री ए० सी० गुह : मैं केवल इतना संकेत कर सकता हूं कि हमें तो इस रियायत के देने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु इस में कतिपय प्रविधिक कठिनाइयां हैं जिनका परीक्षण वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मैं यह आशंका नहीं करता कि इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही कोई न कोई निर्णय कर लेंगे।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस प्रयोजन के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मेरे विचार में एक सज्जन श्री सतीश दास गुप्त जिन्हें की सामान्यतया इन छोटे पैमाने के उद्योगों तथा विशेषतया छोटे दियासलाइयों के कारखानों का प्रतिनिधि समझा जाता है, इस मामले में बार-बार अभ्यावेदन देते रहे हैं।

पौण्ड पावना

***८७७. श्री इब्राहीम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५४ से अब तक हमारे पौंड पावने में से कितनी राशि ली जा चुकी है ; और

(ख) अब उस हिसाब में अवशिष्ट राशि क्या है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) १-१-५४ से ५-८-५५ तक आठ करोड़ रुपये की राशि का पौंड पावना निकलवाया जा चुका है ।

(ख) ५-८-५५ को यह अवशिष्ट राशि ७१९ करोड़ रुपये थी ।

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि किन प्रयोजनों विशेष के लिये पौंड पावना से यह रक़म निकलवाई गई थी ।

श्री बी० आर० भगत : यह रक़म अन्तर्राष्ट्रीय वाकबद्धताओं की पूर्ति के लिये निकलवाई गई है ।

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि इस निकलवाई गई रक़म से प्रथम पंच-वर्षीय योजना की योजनाओं को कहां तक लाभ हुआ है ?

श्री बी० आर० भगत : स्टार्लिंग सम्बन्धी हमारी समस्त अन्तर्राष्ट्रीय वाक-बद्धतायें पौड पावना से पूरी की गई हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : १९४७-४८ के आरम्भ में अवशेष के रूप में कुल कितनी रक़म थी ?

श्री बी० आर० भगत : इस अवस्था पर मैं यह आंकड़े नहीं दे सकता ।

भारतीय हाकी फेडरेशन

*८७९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय हाकी फेडरेशन को ब्रिटिश हाकी टीम के भारत के दौरे का परिपोषण करने के लिये किसी अनुदान की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम मंजूर की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हाकी टीम की १९५६ में मैलबोर्न में होने वाले ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित होने के लिये प्रशिक्षण दिये जाने के निमित्त कोई रक़म मंजूर की है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

श्री वी० पी० नायर : भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हुं कि क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि भारतीय हाकी की महानता को कुछ वर्षों से गंभीर खतरा पैदा होता जा रहा है, क्यों कि दूसरे देश अपने हाकी के खेल के स्तर को सुधार कर ऊंचा करते जा रहे हैं और भारतीय हाकी के खेल का स्तर नीचा होता जा रहा है, और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या इन परिस्थितियों में क्या सरकार की यह इच्छा है कि मैलबोर्न के ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित होने वाली भारतीय हाकी टीम के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाये ?

डा० एम० एम० दास : हमारी हाकी टीम के स्तर में सुधार करने के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं हो सकता है और इसी के साथ अन्य खेलों में भी सुधार करना है और इन्हीं कारणों से भारत सरकार ने खेलों की अखिल भारतीय परिषद स्थापित की है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि न्यूजीलैंड का

दौरा करने वाली एक भारतीय हाकी टीम ने सिद्ध कर दिया है कि वहां के बुरे मौसम में भारतीय टीम की प्रधानता को चुनौती दी जा सकती है—भारतीय टीम को हराया जा सकता है—यह एक ऐसी खबर है जो कि बीसियों वर्षों के बाद पहली बार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है।

डा० एम० एम० दास: हर एक खेल की हर एक देश की टीम को चुनौती दी जा सकती है। इसमें विस्मित होने की क्या बात है?

श्री जयपाल सिंह: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार इन खेलों के संगठनों को कुछ भी नहीं देती है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस नवनिर्मित अखिल भारतीय खेल परिषद का हमारे टीमों के विदेश जाने के प्रश्न पर क्या नियंत्रण है?

डा० एम० एम० दास: प्रथमतः तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कहना गलत है कि सरकार उनको कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। इस वर्ष हम देश के विभिन्न खेलों की फेडरेशनों को १,१८,०७६ रुपये की रकम मंजूर कर चुके हैं।

निर्वाह व्यय देशनांक

*८८१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम वर्ग के निर्वाह व्यय देशनांक को संकलित करने के संबन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) इस कार्य के पूर्ण होने और इसके भविष्य में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाने की कब तक संभावना है?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत): (क) मध्यम वर्गों तथा जनता के अन्य वर्गों जैसे औद्योगिक श्रमिक वर्गों, कृषि श्रमजीवियों और कृषिकारों के निर्वाह व्यय देशनांकों को संकलित करने के प्रश्न पर सोच विचार करने के उद्देश्य से निर्वाह व्यय देशनांक अंकों के लिये एक प्रविधिक मन्त्रणा समिति नियुक्त की गयी है।

उपलब्ध आंकड़ों के परीक्षण पर, यह आवश्यक समझा गया कि ऐसे देशनांक अंकों को निर्धारित करने के लिए नवीनतम बाट बनाने और समुचित मूल्य में प्रतिवेदन प्रणाली चालू करने के हेतु समस्त भारत में विभिन्न वर्गों के पारिवारिक आय-व्ययकों के सम्बन्ध में एक समवर्ती और समान ढंग की जांच की जाय। सम्बन्धित मंत्रालयों और राज्यों के परामर्श से योजनायें बनाई जा रही हैं।

(ख) कार्यक्रम एक लम्बे समय के लिये है। जांच के १९५६ में प्रारम्भ कर दिये जाने की आशा है और आंकड़ों के संकलन का काम पूर्ण होने में एक वर्ष लग जायेगा। इस प्रकार से देशनांक अंकों को तैयार करने का कार्य उसके उपरांत ही आरम्भ किया जा सकेगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने उन सिफारिशों को पहले ही मान लिया है जिनमें ऐसा कहा गया था कि सरकार मध्यम वर्गों के अखिल भारतीय निर्वाह-व्यय देशनांक अंकों का संकलन करे। एक प्रविधिक मन्त्रणा समिति की स्थापना के सम्बन्ध में कब निर्णय किया गया था?

श्री बी० आर० भगत: प्रविधिक मंत्रणा समिति तो सभी राज्यों और केन्द्रीय सांख्यकीय संघ के सांख्यकीय विशेषज्ञों

के एक सम्मेलन के परिणामस्वरूप स्थापित की गई थी उस प्रविधिक मन्त्रणा समिति की एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि मध्यम वर्गों के लिए अखिल भारतीय निर्वाह व्यय देशनांक अंकों का संकलन करने से पूर्व नवीन प्रकार के बाट बनाने और विभिन्न मदों के लिये एक उचित भार-मात्रा निर्धारित करने के लिए समस्त भारत में पारिवारिक आय-व्ययकों के सम्बन्ध में एक नवीन समवर्ती तथा समान आधार पर जांच की जानी आवश्यक है। यह स्वयं ही एक महान समस्या है और साथ ही प्रविधिक भी है। अतः इन देशनांक अंकों का संकलन-कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, इस पर अच्छी प्रकार से विचार करना होगा, और जैसा कि मैंने कहा है इस काम में दो तीन वर्ष लग जायेंगे।

श्री टी बी० विट्ठल राव : उस प्रविधिक परामर्श दात्री समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्री बी० आर० भगत : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यह प्रश्न उत्पन्न होता है —

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये मंत्री महोदय को पूर्व सूचना की आवश्यकता है। मैं, अब अगले प्रश्न को लेता हूं।

भारत-तिब्बत गवेषणा केन्द्र

*८८२. **रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालिम-पोंग में एक भारत-तिब्बत गवेषणा केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है जिसमें एक देश के छात्र दूसरे देश की भाषा और धर्म का अध्ययन कर सकेंगे और गवेषणा कार्य भी करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). तिब्बती साधुओं को संस्कृत सिखाने और भारतीयों को तिब्बती भाषा सिखाने के लिये कालिम-पोंग में एक संस्था स्थापित करने की एक योजना विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह केन्द्र किस तिथि तक स्थापित हो जायगा ?

डा० एम० एम० दास : ठीक ठीक तिथि बताना संभव नहीं है; सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह संस्था पूरे सरकारी तौर पर चलाई जायेगी या किसी गैर सरकारी संस्था से भी इस बारे में सहयोग लिया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें कि यह कोई साधारण संस्था नहीं है—मेरा तात्पर्य यह है कि यह केवल भारतीय नागरिकों से सम्बन्ध रखने वाली आन्तरिक संस्था नहीं है। यह एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना में हमारा चीन तथा तिब्बत के साथ सम्बन्ध अन्तर्ग्रस्त है। अतः इस प्रस्थापना पर भली भाँति सोच विचार करना अत्यावश्यक है और सरकार इस पर सोच विचार कर रही है। इस समय इस विषय पर मैं और अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री कामत : क्या तिब्बत में ल्हासा अथवा किसी और स्थान पर इसी प्रकार क गवेषणा स्थान अथवा केन्द्र की स्थापना

के सम्बन्ध में तिब्बत को न्यूनाधिक स्वायत्तशासी सरकार से सीधे ही अथवा चीन की लोक सरकार के द्वारा बातचीत करने का प्रयत्न किया गया है ।

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे ज्ञात है, ऐसा नहीं किया गया है ।

ऋण तथा अनुदान

*८८४. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या :

(क) आज तक आंध्र राज्य को कितने ऋण और अनुदान मंजूर किये जा चुके हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन सभी राशियों का उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या आंध्र सरकार ने तुंगभद्रा परियोजना के लिये भूमि के कृष्यकरण के लिये कोई ऋण मांगा है ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं ।

डा० रामा राव : उन्होंने अभी अभी कहा है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है । केन्द्रीय सरकार ही आन्ध्र राज्य के लिए अनुदानों और ऋणों की स्वीकृति देती है तो फिर यह जानकारी कहां से एकत्रित की जा रही है ?

श्री बी० आर भगत : इस मंत्रालय द्वारा दिये गये ऋणों तथा अनुदानों के अतिरिक्त अन्य मंत्रालय जैसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और खाद्य और कृषि मंत्रालय भी सहकारी संस्थाओं और अन्य योजनाओं के लिए ऋण तथा अनुदान देते हैं । अतः नवीनतम स्थिति ज्ञात करने के लिए हमने आन्ध्र राज्य के महालेखापाल और वित्त सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों को लिखा है । उस जानकारी की प्राप्ति के उपरान्त ही पूर्व जानकारी दी जा सकेगी ।

उस्मानिया विश्वविद्यालय

*८८८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानिया विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त "शिक्षा समिति" ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डा० रामा राव खड़े हुए---

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि अभी समय यह है कि जो सदस्य प्रश्न पूछता है, उसे ही अनुपूरक प्रश्न पूछने का सर्वप्रथम अवसर दिया जाता है । श्री विट्ठल राव ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या समिति अभी तक कार्य कर रही है और प्रतिवेदन तैयार कर रही है ?

श्री दातार : समिति की एक बैठक हुई थी ; एक प्रश्नावली जारी की गयी थी और उत्तर प्राप्त हो चुके हैं।

श्री टी० बी विट्ठल राव : समिति ने वास्तव में अपना काम कब प्रारम्भ किया था ?

श्री दातार : इसने १९५२ में कार्य प्रारम्भ किया था ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : १९५२ में एक समिति को स्थापना की गयी थी; परन्तु सभापति ने त्यागपत्र दे दिया था अतः १९५३ अथवा १९५४ में एक अन्य समिति बनायी गयी । उस समिति के सभापति ने भी त्यागपत्र दे दिया। इसी लिए तो मैंने पूछा है कि उसने वास्तव में काम कब से प्रारम्भ किया ?

श्री दातार : इस मामले में कई कठिनाइयां हैं । कई एक सदस्य विदेशों को चले गये, सभापति बीमार हो गये और उनके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ा । इन्हीं कठिनाईयों के कारण से और प्रश्नावलि के उत्तर प्राप्त होने में देरी होने के कारण, कार्य इतनी शीघ्रता से न हो सका जितनी शीघ्रता से माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस समय समिति के कौन-कौन सदस्य है ?

श्री दातार : डा० जाकिर हुसैन-सभापति, डा० अब्दुल हक, डा० बी० बी० दे, प्रोफैसर ऐ० आर० वाडिया, डा० एम० एस० ठाकुर, श्री काशीनाथ राव वैद्य, श्री एम० हनुमन्त राव, श्री कृष्णाचार्य जोशी और डा० एस० भगवन्तम्

डा० सुरेश चन्द्र : माननीय मंत्री ने अभी यह कहा है कि समिति की बैठक इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सभापति बीमार हो गये थे । परन्तु सभापति महोदय, आचार्य नरेन्द्र देव से मेरी बात हुई है, और इन्होंने इस बात को गलत बताया है और कहा है इसके कारण कुछ और ही थे ।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में सभा से बाहिर चर्चा करना अच्छा होगा ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

*८५५. **श्री नवल प्रभाकर (डा० सत्यवादी की ओर से)**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के वर्तमान और अगले दौर के लिये पंजाब में कितने गांव चुने गये हैं; और

(ख) सर्वेक्षण के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नवें (अर्थात् चालू) दौर के कार्य-क्रम में पंजाब के ५६ गांव शामिल किये गये हैं । नमूना सर्वेक्षण के अगले दौर के कार्यक्रम के बारे में, जिसमें चुने गये गांवों की संख्या सम्मिलित है, अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) चालू दौर के बारे में क्षेत्रीय काय १५ मई, १९५५ से आरम्भ हो चुका है ।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि इस सर्वेक्षण में कितना खर्च हुआ है ?

श्री **बी० आर० भगत** : अभी तो यह शुरू होने वाला है और इस नवें दौर के कार्यक्रम का खर्च अकेले तफसील में नहीं दिया जा सकता।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सर्वेक्षण कार्यक्रम के आठवें दौर में जन शक्ति का उपयोग भी सम्मिलित है ?

श्री बी० आर० भगत : उस दौर में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का विस्तार पर्याप्त है और इस में आय और व्यय, रोजगार और बेरोजगारी, शिल्प, उद्योग और व्यापार, व्यवसाय, जनांकि की आदि सम्बन्धी जानकारी सम्मिलित हैं। मेरा विचार है कि जनांकि की और व्यवसाय का जन-शक्ति से भी सम्बन्ध है।

सैनिक कर्मचारियों की शिक्षा

*८७१. **श्री जे० आर० मेहता** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय सेना के सैनिक कर्मचारियों की साक्षर-शिक्षा पर प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया जाता है; और

(ख) १९४७ में किए गये खर्च की तुलना में यह कैसा ठहरता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). युद्ध से पूर्व शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति एक आना प्रति मास दिया जाता था। १९४७-४८ में इसे बढ़ा कर तीन आना प्रति व्यक्ति प्रति मास कर दिया गया और आज तक यही दर प्रचलित है।

यहां पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह राशि केवल मान चित्रों, पत्र तथा पत्रिकाओं, कापियों आदि की खरीद के लिये है, इसमें शिक्षकों का वेतन और भत्ते आदि सम्मिलित नहीं हैं।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या रक्षा सेवाओं में शिक्षा का उच्च स्तर का सुनिश्चय करने और बाद को असैनिक जीवन में मिल जाने के उद्देश्य से कर्मचारियों को वैसी शिक्षा देने के लिये क्या अन्य देशों के समान यहां भी रक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये प्रयत्नों और अन्य मंत्रालयों द्वारा किये गये प्रयत्नों में कोई सहयोजन है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री भक्त दर्शन : क्या फौजी लोगों को इस बात की भी सुविधा दी जाती है कि फौज में जो शिक्षा मिलती है उसके सिवा विश्वविद्यालयों या हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा को भी वह दे सकें ?

डा० काटजू : जहां तक मुझे मालूम है नहीं होती है, किन अगर आप नोटिस दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कामत : प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध तो साक्षर-शिक्षा से है। क्या मैं यह समझ लूं कि जहां तक साक्षरता का सम्बन्ध है सेना शत प्रतिशत साक्षर है ?

डा० काटजू : मैंने वे केन्द्र देखे हैं जहां पर उन्हें पढ़ाया जाता है। उन्हें उच्च स्तर का पढ़ना लिखना सिखाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या सभी सैनिक कर्मचारी साक्षर हैं ?

डा० काटजू : यही तो हमारा प्रयत्न है। मेरा विचार है कि अधिकांशत: वे साक्षर हैं।

लोक साहित्य समिति

*८८०. **श्री नवल प्रभाकर** (**डा० सत्यबादी की ओर से**) : क्या **शिक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि लोक साहित्य समिति ने अब तक क्या काम किया है और गत वर्ष उस पर कितना व्यय किया गया था ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : इसका विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६३**]

श्री नवल प्रभाकर : विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि उसमें लिखा है : "इस प्रयोजन के लिए एक लोक साहित्य समिति स्थापित की गई थी" क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त कमेटी में कितने व्यक्ति हैं और उनके नाम क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : लोक साहित्य समिति में सात सदस्य हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह नाम चाहते हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो सात मेम्बर हैं वे कितनी प्रादेशिक भाषाओं के जानकार हैं ?

डा० एम० एम० दास : यदि आप अनुज्ञा दें तो मैं सदस्यों के नाम पढ़ कर सुना सकता हूं। मेरा विचार है कि किसी व्यक्ति के लिये भारत की सभी प्रादेशिक भाषाऐं जानना संभव नहीं है परन्तु वे इसके सम्बन्ध में अनुभवी व्यक्ति हैं।

श्री नवल प्रभाकर : जैसा कि विवरण में दिया गया है, तमाम प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकें मंगाई गईं और उन में से कुछ पुस्तकें छाँटीं गईं और उनको पारितोषिक दिये गये, तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो सात मेम्बर थे, वे सब भाषाओं के जानकार थे ?

डा० एम० एम० दास : प्रादेशिक भाषाओं में लिखी हुई पुस्तकों का पुनर्विलोकन पुनरेक्षण समितियों की तालिकाओं द्वारा किया गया था जो कि राज्य सरकारों के परामर्शानुसार लोक-साहित्य समिति द्वारा नियुक्त की गयी थीं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या शान्ति निकेतन तथा अन्य स्थानों पर साहित्यिक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों का लोक-साहित्य समिति से कोई सम्बन्ध है अथवा यह कार्य करने वाला कोई अन्य ही निकाय है ?

डा० एम० एम० दास : यह समिति हमारे सामुदायिक परियोजना प्रशासक के सहयोग से नियुक्त की गयी थी। इस समिति में काम करने वाले व्यक्ति विशेषज्ञ तथा अनुभवी हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि वे किसी एक संघ विशेष से नहीं लिये गये हैं।

हिन्दी शब्दावली

*८८७. **श्री नवल प्रभाकर** (**डा० सत्यबादी की ओर से**) : क्या **शिक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि विभिन्न मंत्रालयों के लिये हिन्दी में पारिभाषिक शब्द बनाने के लिये गत वर्ष जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अभी तक क्या कार्य किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : इसका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६४]**

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा कि विवरण में दिया गया है कि पांच मंत्रालयों के शब्दों का संग्रह हो चुका है, जो और बाकी मंत्रालय हैं उन में भी इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल रही है ?

डा० एम० एम० दास : इस प्रकार की पहले से ही १९ विशेषज्ञ समितियां हैं। प्रश्न यह था, कि एक वर्ष विशेष के अन्दर अर्थात् गत वर्ष कौन सी समितियां नियुक्त की गई थीं। और हमने उन पांच मन्त्रालयों के नाम बता दिये हैं जिन के लिये गत वर्ष ये विशेषज्ञ समितियां निमुक्त की गई हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में पहले से ही १९ विशेषज्ञ समितियां काम कर रही हैं।

श्री नवल प्रभाकर : अब तक कितने मंत्रालयों के बारे में शब्द तैयार हो चुके हैं ?

डा० एम० एम० दास : अब तक कुल ५५०० शब्दों की शब्दावलि तैयार हुई है। अस्थायी सूची के रूप में ७००० शब्दों की शब्दावली प्रकाशित हो चुकी है। विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा स्वीकृत और प्रकाशनाधीन शब्दों की संख्या १३,४२६ है। अभी ५६०० शब्द ऐसे हैं, जिन के बारे में विभिन्न विशेषज्ञ समितियों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

श्री नवल प्रभाकर : जैसा कि विवरण में दिया गया है कि ६३३० शब्द पिछले वर्ष तैयार किये गये। क्या मैं जान सकता हूं कि वह सुझाव किन्हीं विशेषज्ञों के पास जानने के लिये भेजे गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य किस का उल्लेख कर रहे हैं ?

ये ६३३० शब्द इन मंत्रालयों की विशेषज्ञ समितियों द्वारा तैयार किये गये हैं।

डा० रामा राव : क्या सरकार इन सूचियों को प्रकाशित करना चाहती है, ताकि जनता से सुझाव प्राप्त हो सके और तब सरकार अन्तिम सूची प्रकाशित करे ?

डा० एम० एम० दास : इन सूचियों को, अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, इस क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों और अन्य संगठनों को भेजा जाता है। सूचियों को अन्तिम रूप देने से पूर्व उनकी सम्मतियों पर विचार किया जाता है।

श्री सारंगधर दास : अंग्रेजी के टैक्निकल शब्दों का स्थान लेने के लिये ये जो टैक्निकल शब्द बनाये जा रहे हैं, क्या इन का स्रोत संस्कृत भाषा है या अंगेरेजी के ही कुछ शब्दों को रखा जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : मैं समझता हूं कि जो शब्द अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उन्हें रखा जा रहा है। अन्य शब्द जिस प्रकार समिति ठीक समझती है बनाये जाते हैं।

श्री कामत : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि लोक हित की दृष्टि से प्रश्न संख्या ८५६ और ८७८ का उत्तर दिया जाये।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरा प्रश्न संख्या ८७५ बीमा के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : उस का उत्तर दिया जा सकता है।

बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण

८७५. **श्री रघुनाथ सिंह (श्री एस० एन० दास की ओर से) :** क्या **वित्त** मंत्री ४ मार्च १९५५ को पूछे गये वापिस प्रश्न संख्या ५८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा नियंत्रक जो कोलम्बो योजना के अधीन विदेश गये थे, वापिस आ गये हैं और उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्नों पर अब विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). बीमा नियंत्रक कोलम्बो योजना के अधीन अपनी विदेश यात्रा से वापिस आ गये हैं। उन की यात्रा मुख्यतया उनके टैक्निकल ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करने के लिये थी। उन के द्वारा कोई औपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होना था।

(ग) और (घ). मामला अभी परीक्षणाधीन है और इस समय यह बता सकना सम्भव नहीं है कि कब निर्णय किया जायेगा।

श्री मात्तन : निर्णय करने में बड़ी कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैंने कहा, मामला विचाराधीन है। सब बातों का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि बीमा समवायों के मालिकों ने राष्ट्रीयकरण के विचार का संकेत पा कर अपने समवायों का पारस्परिकरण करना आरम्भ कर दिया है और विशेषकर ओरियण्टल कम्पनी ने यह कार्य आरम्भ किया है ?

श्री एम० सी० शाह : इस विषय में हमारे पास जानकारी नहीं है। ओरियण्टल पारस्परिकरण योजना पर उन के द्वारा गत दो वर्षों से विचार किया जा रहा है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं जान सकता हूं —

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घंटा समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वनस्पति दूध

*८५२. **श्री एस० एन० दास :**
श्री के० पी० सिन्हा :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन स्थानों में अब तक वनस्पति दूध के कारखाने खोले गये हैं ;

(ख) किन किन स्थानों में और अधिक कारखाने खोलने का विचार है ;

(ग) इन कारखानों में अभी तक कितने दूध का उत्पादन किया गया है ; और

(घ) क्या इन में से किसी कारखाने में केन्द्रीय सरकार का कोई हिस्सा है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) त्रिचूर (त्रावनकोर-कोचीन राज्य)

(ख) मध्य प्रदेश (अमरावती) बम्बई और सौराष्ट्र राज्य ।

(ग) त्रिचूर में २२५५ पौंड।

(घ) जी नहीं ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

*८५६. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ और १९५५ में अब तक हैदराबाद राज्य में पारपत्र नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों पर जुर्माना किया गया है और कारावास दंड दिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : १९५४ और १९५५ में ३१ जुलाई तक दो जिलों को छोड़ कर समस्त हैदराबाद राज्य में पारपत्र नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में ९८ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों पर जुर्माना किया गया है और कारावास दंड दिया गया है । इन दो जिलों के बारे में जानकारी अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रिंस आफ़ वेल्स सैनिक कालेज

*८६६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रिंस आफ़ वेल्ज़ कालेज देहरादून प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों को सीनियर कैम्ब्रिज तथा संयुक्त सेवा पक्ष की परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षण देता है;

(ख) सरकार प्रतिवर्ष प्रति बालक पर कितना खर्च करती है और विद्यार्थियों के माता पिता को कितना अंश देना पड़ता है; और

(ग) क्या इस कालेज में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का विचार किया गया है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) प्रिंस आफ़ वेल्ज़ सैनिक कालेज में अन्तिम श्रेणी में औसतन २० विद्यार्थी होते हैं । यह विद्यार्थी जब तक कि वह निश्चित की गई आयु सीमा के अन्दर रहते हैं, सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास किये बिना ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रविष्ट होने के लिये प्रतियोगीय परीक्षा में बैठने के लिये पात्र होते हैं । तीन वर्षों में अर्थात् १९५२-५४ में इस कालेज के ११६ विद्यार्थी संयुक्त सेवा पक्ष के लिये चुने गये और ५० ने सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास की थी ।

(ख) खान पान तथा आवास व्यय को मिला कर प्रशिक्षण का व्यय प्रति कैडेट लगभग ३२०० रुपये प्रतिवर्ष होता है । माता पिता को यह राशि देनी पड़ती है जब तक कि वे यह प्रत्याभूति नहीं देते हैं कि यदि वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिये चुन लिया गया, तो उन का पुत्र रक्षा सेवा को अपनी वृत्ति के रूप में चुनेगा, और उस अवस्था में माता पिता का अंश १५०० रुपये प्रति वर्ष तक सीमित रहता है । क्योंकि सभी माता पिता द्वारा यह प्रत्याभूति दे दी जाती है इसलिये प्रिंस आफ़ वेल्ज़ सैनिक कालिज के सभी विद्यार्थी रियायती दर से शुल्क देते हैं ।

(ग) यह विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय प्रात्रिलेख संग्रहालय

*८६७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपयोगी ऐतिहासिक अभिलेख रखने वाले राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय के महत्वपूर्ण कक्ष वास्तविक छात्रों के लिये भी बन्द रहते हैं और केवल सरकारी कर्मचारी ही सिफारिश किये जाने पर उन अभिलेखों को देख सकते हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि संस्था में जाने वाले छात्रों को सब पुस्तक सूचियां भी नहीं दिखाई जाती हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) सुरक्षा की दृष्टि से भण्डार गृह केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिये खुला रहता है जिनके पास अनुज्ञायें होती हैं ओर जिनका उन कमरों में जाना उन के कार्यों के सिलसिले में होता है। अन्य भाग दर्शकों और गवेषणा छात्रों के लिये खुले रहते हैं।

(ख) नहीं श्रीमान्।

भारतीय प्राणकीय सर्वेक्षण

*८६८. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने नई दिल्ली में अप्रैल, १९५५ के प्रथम सप्ताह में हुए प्राणकीय शास्त्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अप्रैल १९५५ में आयोजित प्राणकीय शास्त्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों क आधार पर प्राणकीय सर्वेक्षण के विस्तार और पुनर्संगठन ी एक योजना तैयार को गई है और सरकार के विचाराधीन है।

त्रिपुरा में डकैतियां

*८७४. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में अब तक त्रिपुरा के सीमान्त क्षेत्र में कितने डाके पड़े हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : आठ।

भारतीय नागरिकता

*८७८. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने भारत की स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : १५ अक्तूबर १९५५ से लेकर जब कि भारत पर पाकिस्तान के बीच यात्रा के लिये पारपत्र और दृष्टांक प्रणाली लागू हुई थी, ६९२८ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के विचार से भारत में स्थायी रूप से पुनर्वासित होने के लिये आवेदन किया है।

केन्द्रीय सचिवालय

*८८३. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन की संरचना तथा कृत्य—

(१) मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति

(२) केन्द्रीय संस्थापना बोर्ड

(३) केन्द्रीय सचिवालय सेवा चुनाव बोर्ड; और

(ख) भारत सरकार के संस्थापना अधिकारी के क्या कृत्य हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६५]**

उत्पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

*८८५. **श्री दशरथ देव :**
श्री बीरेन दत्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के दक्षिण भाग के जो १९५५ के तूफानों से उजड़ गया था उत्पीड़ित व्यक्तियों की ओर से सहायता के लिये सरकार से कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें धन के रूप में सहायता देने का विचार करती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) जी, हां

(ख) दुखित व्यक्तियों को योग्य मामलों में कृषि सम्बन्धी ऋण के साथ २ सहायता दी जायेगी ।

वानस्पतिक इतिहास

*८८६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का वानस्पतिक इतिहास का संकलन करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६६]**

राजस्थान की पलना कोयला खदान

४३६. **श्री कर्णी सिंह जी :**
श्री एम० इस्लामुद्दीन :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** २३ मार्च, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की पलना कोयला खदान के विकास के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से प्राप्त हुई प्रस्थापनाओं के विषय में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि यह मामला अभी विशेषज्ञों के विचाराधीन है ।

कुंभलगढ़ किला

४३७. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुंभलगढ़ किले के संरक्षण पर सरकार ने अब तक कितना व्यय किया है; और

(ख) इस के संरक्षण के लिये किस प्रकार की योजना बनाई गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास : (क) और (ख). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है

और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उच्चन्यायालयों के न्यायाधीश

४३८. **श्री इब्राहीम** : क्या गृह-कार्य मंत्री भारत के प्रत्येक उच्चन्यायालय में १९५३ और १९५५ में न्यायाधीशों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६७]**

वर्गमील मन्दिर

४३९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले के तामलुक नगर में स्थित वर्गमील के मन्दिर के पास की गई पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई में मिली वस्तुएं प्रैग-एतिहासिक काल की हैं;

(ख) यदि हां, तो उस मन्दिर को भविष्य में पुरातत्व सम्बन्धी तथा समारक परिरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई सूची में सम्मिलित किया जायेगा; और

(ग) क्या मन्दिर की इमारत की बनावट बुद्ध तथा बुद्ध-पूर्व काल की इमारतों के समान है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । उक्त खुदाई का मन्दिर के महत्व अथवा किसी अन्य बात से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) मन्दिर की बनावट उसके बुद्ध या बुद्ध-पूर्व काल से सम्बन्ध रखने की बात का सुझाव नहीं देती है ।

सहायक सेना छात्र दल

४४०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में अब तक किन-किन स्थानों पर सहायक सेना छात्र दल के शिवर लगाए गए हैं ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में किन किन स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे; और

(ग) इन कार्य शिविरों में सेना छात्रों ने किस प्रकार का रचनात्मक कार्य किया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग). दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ६८]**

अपहरण

४४१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मई १९५५ से दिल्ली में पंजीबद्ध किये गए अपहरण और बालापहरण के मामलों की संख्या;

(ख) उनमें से कितने मामले अधिकारियों द्वारा अन्तिम रूप से निबटा दिये गए हैं और कितने अभी विलम्बित हैं अथवा जिनका अभी पता नहीं चला है; और

(ग) इसी अवधि में अन्य भाग ग में के राज्यों में हुए ऐसे मामलों की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). जिन राज्यों के सम्बन्ध सूचना उपलब्ध है उनके विषय में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६९]**

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

४४२. { **श्री हेडा** : **सरदार इकबाल सिंह** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास के सम्पादक बोर्ड को १८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम पर एक सोवियत राजनीतिक गवेषणा कार्यकर्ता द्वारा रूसी भाषा में लिखी हुई एक पाण्डुलिपि मिली है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक अन्य देशों से दूसरी कौन-कौन सी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) चूंकि यह सूची बड़ी लम्बी है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि माननीय सदस्य भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास के सम्पादक बोर्ड के अवैतनिक मंत्री से सम्पर्क स्थापित करें ।

कुछ पत्रों, प्रतिवेदनों और भाषणों की प्रतियों आदि को छोड़कर अब तक प्राप्त पुस्तकों की संख्या ६५ है ।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

४४३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत के नेमाड़, झाबुआ तथा धार जिलों में किये गये भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि झाबुआ जिले में काफी मात्रा में अभ्रक के निक्षेप पाये गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी विवरण-पत्र के रूप में साथ ही प्रस्तुत की जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७०]**

अफीम का चोरी छिपे लाना ले जाना

४४४. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में कितनी निषिद्ध अफीम पकड़ी गई है तथा उस का मूल्य कितना है ; और

(ख) इस सिलसिले में कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) सन् १९५४ में १५९ मन १ सेर ५० तोले निषिद्ध अफीम पकड़ी गयी जिसका मूल्य लगभग ४ लाख रुपये होता है ।

(ख) उपर्युक्त अवधि में जिन मामलों का पता लगा उनके सम्बन्ध में ६,७९८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

भारतीय सैनिक अकादमी

४४५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के ज्वाइंट सर्विस विंग से इस वर्ष में कितने छात्र सैनिक पास हुये हैं ; और

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित छात्र सैनिकों में से उनकी संख्या कितनी है जो (१) सेना के कमीशन प्राप्त प्राधिकारियों, (२) नौ-सैना के प्राधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थापनों, और (३) वायु सेना के लिये विशेष प्रशिक्षणार्थ गये ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख), ज्वाइंट सर्विस विंग अब देहरादून में नहीं है, वह जनवरी, १९५५ में खडकवासला को हटा दिया गया था। अब तक अर्थात् जून, १९५५ में खड़कवासला में एक पासिंग आउट परेड हुई थी जिस में से २२ नौ-सेना के छात्र सैनिक और ३० वायु सेना के छात्र सैनिक विशेष प्रशिक्षण के लिये नौ-सेना तथा वायु सेना सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थापनों में गये हैं।

ज्वाइंट सर्विस विंग, देहरादून में सेना और वायु सेना के छात्र सैनिकों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दो वर्ष का और नौ-सेना के छात्र सैनिकों के लिये तीन वर्ष का था; खडकवासला में सभी छात्र सैनिकों के लिये तीन वर्षों का होगा। वायु सेना का तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है और वायु सेना के नौ छात्र जो जून, १९५५ में पास हुए थे, उन्हों ने दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सेना के छात्र सैनिकों की पहली टोली खडकवासला अकादमी से जून १९५६ में अपना तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम, जो जुलाई, १९५५ में आरम्भ हुआ था, पूरा करने के बाद निकलेगी।

दाण्डिक मामले

४४६. **श्री बीरन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के निम्न न्यायालयों में १९५२ से कितने दाण्डिक मामले निलम्बित

(ख) पुलिस द्वारा चलाये गये ऐसे मामलों की संख्या क्या है ; और

(ग) उनको निबटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १३७।

(ख) ५७।

(ग) विलम्ब अभियुक्त और गवाहों के पाकिस्तान चले जाने के कारण तथा मजिस्ट्रेटों के स्थानान्तरण हो जाने से नये सिरे से सुनवाई की आवश्यकता के कारण हुआ है।

आन्ध्र में कल्याण परियोजनाएं

४४७. श्री **गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आन्ध्र का राज्य कल्याण मंत्रणा बोर्ड किस स्थान पर है ;

(ख) आंध्र राज्य में अब तक कितनी कल्याण परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जा चुका है और कितनी १९५५-५६ के लिये स्वीकृत हो गई हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिये कौन कौन से क्षेत्र चुने गये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नं० ५, सैन्थोमे हाई रोड, म्यालापुर, मद्रास-४।

(ख) :

परियोजनाएं जिनका कार्य शुरू किया जा चुका है	परियोजनाएं जो आरम्भ की जानी हैं	१९५५-५६ के लिये स्वीकृत कुल परियोजनाएं
१२	५	१७

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७१**]

पत्र-पत्रिकाएं

४४८. **श्री काजरोल्कर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक भाषा के कौन-कौन से पत्र-पत्रिकाएं सैनिक कर्मचारियों के पढ़ने के लिये क्लब रूमों में रखे जाते हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओं की सूचियां समय-समय पर यूनिट कमान्डरों को परिचालित की जाती रहती हैं। परन्तु, वे अपनी यूनिट विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी मर्जी के पत्र-पत्रिकाएं चुन सकते हैं। अतः यूनिटों द्वारा खरीदे जाने वाले पत्र-पत्रिकाओं के नाम बतलाना तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि यूनिटों से अलग-अलग पूछ ताछ न की जाये। ऐसा करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा वह उस के परिणामों को देखते हुए उचित नहीं होगा।

राजस्थान मे पुरातत्वीय स्थान

४४९. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों पर, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, अब तक सरकार ने कितना व्यय किया है; और

(ख) भविष्य में उन का संरक्षण करने के लिये किस प्रकार की योजना बनाई गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) कोई सामान्य योजना नहीं है। यदि धन उपलब्ध होता है तो आवश्यकता अनुसार प्रत्येक स्मारक की मरम्मत की जाती है।

औद्योगिक वित्त निगम

४५०. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम को अब तक हैदराबाद राज्य से सहायता के लिये कितने आवेदन-पत्र मिले हैं; और

(ख) सहायता मांगने वाले सार्थों का ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). निगम को चीनी, सूती वस्त्र, तेल निकालने और रसायन व उर्वरकों का कारबार करने वाले समवायों से चार प्रार्थना पत्र मिले हैं। इनमें से दो सार्थों अर्थात्, (१) निजाम शुगर फैक्टरी लिमिटेड और (२) दीवान बहादुर राम गोपाल मिल्स लिमिटेड को क्रमशः ४० लाख रुपये और २० लाख रुपये के ऋण मंजूर किये गये। परन्तु इनमें से किसी ने भी ऋण नहीं लिया। तीसरे समवाय का आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया और चौथे समवाय ने अपना आवेदन-पत्र वापिस ले लिया।

हैदराबाद में युवक शिविर

४५ . **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में अब तक कितने युवक शिविरों की आयोजना की गई;

(ख) उन शिविरों में क्या कार्य किया गया; और

(ग) उन पर कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १९५४-५५ और १९५५-५६ में हैदराबाद राज्य में ६३ शिविर आयोजित किये जाने की मंजूरी दी गई ।

(ख) लड़कों के शिविरों में युवकों ने सड़क निर्माण, तालाबों की मरम्मत, नहरों की खुदाई आदि की तथा लड़कियों के शिविरों में युवतियों ने सफाई आदि का कार्य किया ।

(ग) २,८८,१७५ रुपये ।

लोक-सभा

गुरुवार,
१८ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

18/4/83

Chamber Fumigated

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

Preservation Unit
3-4-91
Fumigated
On 11.7.83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर १९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२

सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १५०७–७६

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का
प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-
वेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०
राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१
एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . २१४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४
खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४
सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७
वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५
सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९
केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९
मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०
खान नियम १९५५ . . . . . २२४०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१
कशाघात उत्सादन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०
खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३
खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१
राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२,२४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२९

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . . . .

लोक सभा

गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्यान्ह

स्थगन प्रस्ताव

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिस में कहा गया है कि पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध देश भर में प्रदर्शन होने से उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति पर विचार किया जाय ।

देश भर में तो प्रदर्शन नहीं हुये हैं । माननीय प्रधान मंत्री ने कल बम्बई और दिल्ली में हुये प्रदशनों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था ।

कुछ माननीय सदस्य : कलकत्ते में भी हुये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हुये होंगे, परन्तु ऐसी गम्भीर स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि उस पर यहां विचार किया जाय । मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं ने दो बातों के कारण इस

स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । पहली तो यह है कि कलकत्ता जैसे शहर में प्रदर्शन हुये हैं और ये प्रदर्शन जनता की सच्ची भावनाओं के परिचायक हैं । दूसरी बात यह है कि समाचार पत्रों में कहा गया है कि सत्याग्रह बन्द नहीं किया जायगा । संसद् के कुछ सदस्यों ने भी सत्याग्रह करने का निश्चय किया है । मेरा विचार है अब समय आ गया है कि सरकार बताये कि वह इस प्रश्न पर क्या कार्यवाही करेगी, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग यह मांग कर रहे हैं कि सरकार कोई कार्यवाही करे । यदि सरकार कोई ऐसी घोषणा कर दें जिस से लोगों को सन्तोष हो, जिस से लोगों को पता चल जाय कि सरकार चुप नहीं बैठी है.....

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य और बातें कहने में न लग जायें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं ने पहले भी निवेदन किया है कि आप धैर्य से मेरी बात सुने.....

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में मुझे राज़ी करना चाहते हैं, मैं उनकी बात धैर्य से ही सुन रहा हूं । परन्तु मैं देख रहा हूं कि वे यह कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि सरकार को गोआ के सम्बन्ध में अपनी नीति पर फिर विचार करना चाहिये । यह अलग बात है और इस के लिये अलग सूचना दी जा सकती है । परन्तु यह कहना कि गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है और उस बहाने सरकार की नीति

[अध्यक्ष महोदय]

पर पुनर्विचार के लिये कहना इस सभा की प्रक्रिया का दुरुपयोग है ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : स्थिति ऐसी है कि ऐसा करना आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को याद रखना चाहिये कि क़ानून और व्यवस्था का मामला राज्यों के हाथ में है । प्रदर्शनों का अर्थ यह नहीं है कि स्थिति इतनी बिगड़ गयी है कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये ; ये दो भिन्न भिन्न बातें हैं । माननीय सदस्य इस बात को देखें तो समझ जायेंगे कि मैंने जो कुछ कहा है ठीक है परन्तु यदि वह ग्राह्यता के लिये तर्क के बहाने अन्य तर्क करना चाहते हैं तो और बात है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा निवेदन है कि आप प्रक्रिया के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को न देखें । सम्भव है कि अपने जोश में मैं सीमा लांघ गया होऊं । एक ओर सत्याग्रह जारी है और दूसरी ओर लोग अपने मार्ग पर दृढ़ हैं । आप ने स्वयं कहा था कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये । हम आज या कल सात बजे तक बैठने को तैयार हैं । सरकार समय रहते क्यों न हस्तक्षेप करे.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक ही बात दोहरा रहे हैं । आप इस प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं तो कुछ समय ठहरिये । माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह समय समय पर सारी जानकारी देते रहेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हम नीति सम्बन्धी प्रश्न पर स्वतन्त्र रूप से विचार कर सकते हैं । हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि स्थिति इतनी बिगड़ गयी है कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाना ज़रूरी हो गय है । इसलिये मैं इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : तो गोआ के प्रश्न पर वादविवाद कब होगा ? मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री ने यह बात मान ली है कि इस प्रश्न पर वादविवाद हो ।

अध्यक्ष महोदय : कल मैं ने कहा था कि हम चर्चा कर सकते हैं परन्तु मैं ने अभी उसे स्वीकार नहीं किया है और न ही प्रधान मंत्री ने यह मांग की है कि चर्चा फ़ौरन ही हो जाय ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दो तीन दिन पहले मैं ने कहा था कि मैं सदा इस बात का स्वागत करूंगा कि यह सभा सरकार की सामान्य नीतियों के मूल प्रश्नों पर विचार करे । मेरा विचार है कि क्योंकि श्री कामत ने एक प्रस्ताव सा रखा था, इसलिये मैं ने कहा था कि यदि विरोधी पक्ष या सभा के काफ़ी सदस्य मूल नीति पर चर्चा चाहते हों तो स्पष्ट है कि सरकार उस का स्वागत करेगी । किसी भी समय ऐसी चर्चा वांछनीय होगी । विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में यह स्पष्ट होना चाहिये कि सरकार और देश की मूल नीति क्या है । उस के सम्बन्ध में कोई संशय नहीं रहना चाहिये । इसलिये मैं ऐसी चर्चा का स्वागत करूंगा । मेरी निजी राय तो यह है कि यह चर्चा कुछ समय बाद होती तो अच्छा था । मेरा यह मतलब नहीं कि बहुत देर बाद हो परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसे समय पर जब कि जोश सा फैला हुआ है यह चर्चा हो तो उस का असर कुछ कम हो जायगा । परन्तु इस मामले में मैं आप की और सभा की बात मानने के लिये तैयार हूं ।

आप की अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर देश में जो भावनायें हैं उन के बारे में किसी प्रमाण के न होने पर भी किसी को उन के होने में सन्देह नहीं हो सकता । यह तो सभी मानते हैं । बिना प्रमाण के भी यह बात मानी हुई थी, अब तो इसका

काफी प्रमाण भी हमारे सामने है । ये दो अलग अलग प्रश्न हैं । इस मामले में हम सब की भावनायें एक हैं । अब प्रश्न यह है कि इस मामले में, जो न केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी उलझा हुआ है—जो कि स्वाभाविक ही है—क्या कार्यवाही की जाय और इस प्रश्न पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : सचिव महोदय राज्य सभा का सन्देश पढ़ कर सुनायें ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : यह चर्चा शनिवार को क्यों न हो जाय ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी चर्चा तभी लाभकारी हो सकती है जब कि जोश कुछ कम हो जाय और उस के लिये कुछ समय और चाहिये ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : क्या प्रधान मंत्री बता सकते हैं कि वहां कल प्रातः काल के बाद से क्या घटनायें घटी हैं और क्या यह अफवाह ठीक है कि ७ शव जलाये जा चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने भी कहा है और प्रधान मंत्री ने भी कि वह समय समय पर वक्तव्य देते रहेंगे परन्तु प्रतिदिन नहीं । इस सभा में वैसे जानकारी नहीं ली जा सकती जैसे कि किसी समाचार एजेंसी से । हमें ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिये और जोश में आकर बुद्धिमत्ता का रास्ता नहीं छोड़ देना चाहिये ।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान्, राज्य सभा के सचिव ने यह सन्देश भेजा है कि राज्य सभा ने १७ अगस्त, १९५५ को अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर दिया है :

"कि राज्य सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और यह संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य संयुक्त समिति के लिये नाम निर्देशित किये जायें, अर्थात्, श्री के० पी० माधवन नायर, श्री राम चन्द्र गुप्त, श्री ब्रज किशोर प्रसाद सिंह, श्री बालचन्द्र महेश्वर गुप्त, श्री जगन्नाथ कौशल, श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू, श्री रतनलाल किशोरी लाल मालवीय, श्री लवजी लखमशी, श्री एस० चन्ना रेड्डी, श्री अख्तर हुसैन, श्री राजपत सिंह डूगर, श्री सत्यप्रिय बेनर्जी, जनाब एम० मुहम्मद इस्माइल साहिब, श्री राधाकृष्ण विश्वासराय और श्री नरसिंहराव बलभीमराव देशमुख ।"

सभा पटल पर रखा गया पत्र

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं आसाम, बिहार और पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । २ अगस्त के बाद, जब कि मैं ने वक्तव्य दिया था, उत्तर प्रदेश में होने वाली घटनाओं को भी इस वक्तव्य में सम्मिलित कर लिया गया है । वक्तव्य में इस स्थिति के विभिन्न पहलुओं की चर्चा है, जैसे बाढ़ के कारण, बाढ़ रोकने की कार्यवाही की प्रगति, १९५५ की बाढ़, प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्यों का प्रभाव और भावी कार्यक्रम इत्यादि ।

[पुस्तकालय में रख दिया देखिये संख्या एस०—२५९/५५]

मैं इस वक्तव्य के अतिरिक्त, कुछ मोटी मोटी बातों पर इस समय प्रकाश डालूंगा ।

जैसा कि सभा को मालूम है, १९५४ की बाढ़ से जो विपत्ति आयी उस से हमें

[श्री नन्दा]

अच्छी तरह मालूम हो गया कि देश में बाढ़ के खतरे को समन्वित और योजनाबद्ध ढंग से रोकने की आवश्यकता है। उस समय तक बाढ़ रोकने की कार्यवाहियां करने के लिये व्यवस्थित ढंग से कोई चेष्टा नहीं की गयी थी और न ही आधारभूत टेक्नीकल ब्यौरा इक्ट्ठा करने का प्रयत्न किया गया था जिसके बिना बाढ़ रोकने का कोई ठोस कार्य क्रम तैयार नहीं हो सकता था। केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में पिछले साल कार्यवाही प्रारम्भ की। जैसा कि मैं ने ३ सितम्बर, १९५४ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में कहा था, केन्द्र और उन राज्यों में जहां बाढ़ आती है या बाढ़ का खतरा रहता है, समन्वित ढंग से बाढ़ से बचने की योजनायें बनाने और उन्हें शीघ्र लागू करने के लिये विशेष संगठन बनाये गये।

इकट्ठे किये गये तथ्यों के आधार पर डिज़ाइनों की जांच कर के अत्यावश्यक निर्माण कार्य करने, आवश्यक प्रयोग करने और प्राक्कलन तैयार करने के लिये काम का एक ही मौसम (अक्तूबर १९५४ से जून, १९५५ तक) था। इस थोड़े से समय में अत्यावश्यक योजनाओं का कार्य कार्यक्रम के अनुसार समाप्त किया गया और दूसरे निर्माण कार्यों में सन्तोषजनक प्रगति हुई। हिमालय से भारत में आने वाली नदियों के नालों आदि के क्षेत्र में वर्षा तथा पानी के बहाव के सम्बन्ध में तथ्य इकट्ठे करने का काम भी साथ साथ होता रहा है। इस सम्बन्ध में हिमालय स्थित पड़ौसी देशों के साथ बातचीत की गयी है।

नैपाल सरकार ने यह मान लिया है कि तराई क्षेत्र में दस वर्षा मापक केन्द्र स्थापित किये जायें। सिक्किम सरकार ने गंगटोक में एक वेधशाला की स्थापना की अनुमति दे दी है। भूटान सरकार ने फौरन ही दस वर्षा मापक केन्द्र और आठ वायरलैस स्टेशन बनाने की अनुमति दे दी है। चीन के अधिकारियों ने हमारी प्रार्थना पर यह मान लिया है कि वे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी क्षेत्र में नदी के चढ़ाव और वर्षा के सम्बन्ध में लहासा से वायरलैस द्वारा सूचना देंगे। इन सूचनाओं से नदी में आने वाली बाढ़ का पता लगभग ५० घण्टे पहले चल जाता है। २६,००० वर्ग मील क्षेत्र के वायुयानों से फोटो लिये जा चुके हैं और ७,७०० वर्ग मील क्षेत्र की 'स्पोट लेवलिंग' की जा चुकी है। एक मौसम में काफी प्रारम्भिक काम किया जा चुका है जिससे अगले मौसम में निर्माण कार्य अधिक तेजी से हो सकेगा।

आसाम में डिब्रूगढ़ और सौलकूची में नगर की बाढ़ से रक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य और पलासबाड़ी में अस्थायी निर्माण कार्य पूरे किये जा चुके हैं। बिहार में २३५ मील लम्बे 'बन्द' (एम्बेंकमेंट) बनाये गये हैं जिनमें से ७० प्रतिशत जनता के सहयोग से बने। यह काम कोसी नदी पर बने ५० मील लम्बे 'बन्द' (एम्बेंकमेंट) के अतिरिक्त है जिस के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा मैं २५ जुलाई, १९५५ को पटल पर रखे गये वक्तव्य में दे चुका हूं।

पश्चिमी बंगाल में जलपायगुरी, सिलिगुरी, अलीपुरद्वार्स, कूच-बिहार और माथभंग नामक नगरों की रक्षा के लिये निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये। जलपायगुरी ज़िले में तीस्ता नदी के बायें किनारे पर 'बन्द' (एम्बेंकमेंट) बनाने का काम भी प्रारम्भ किया गया।

ये सब काम एक ही मौसम में और जल्दी जल्दी किये गये। फिर भी जो निर्माण कार्य पूरे हो गये थे वे अधिकतर बाढ़ को रोक सके हैं और काफ़ी लाभदायक सिद्ध

हुये हैं। डिब्रूगढ़ में जो बन्द (स्पर) बनाये गये थे उन से न केवल मिट्टी का बहाव रुक गया है बल्कि काफ़ी चौड़े किनारे पर मिट्टी जमा होने लगी है। कामरूप और गोलपाड़ा ज़िलों में ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों पर जो 'बन्द' (एम्बेंकमेंट) बनाये गये थे उन से वहां के रहने वाले बहुत से लोगों के घर और खेत बच गये हैं। मुझे पता चला है कि इस वर्ष राज्यों में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक उत्साहवर्धक वातावरण रहा और पिछली बार की तुलना में कम घबराहट रही। बिहार में बाढ़ से बचने के लिये जो बन्द (एम्बेंकमेंट) बनाये गये उस से लगभग एक हज़ार वर्ग मील क्षेत्र की रक्षा हुई है। कोसी नदी के बन्द (एम्बेंकमेंट) यद्यपि पूरे नहीं बने हैं फिर भी इन से पूर्निया ज़िले के कुछ भागों में पानी नहीं आया है और इस प्रकार पटसन और चावल की फ़सल अच्छी हुई है। बताया गया है कि कुछ क्षेत्रों में, जो अब तक बाढ़ से बचे हुये थे, इस वर्ष बाढ़ से बड़ी हानि हुई है। इस स्थिति पर सावधानी से विचार करना पड़ेगा।

इस राज्य में बाढ़ से जो इतनी हानी हुई है वह बाढ़ के अधिक देर तक रहने के कारण हुई है न कि बाढ़ का ज़ोर होने के कारण। इस वर्ष बाढ़ पिछले वर्ष की अपेक्षा कम थी लेकिन वह अधिक विस्तृत क्षेत्र में आई। पश्चिमी बंगाल में बनाये गये केवल दो बंद टूटे हैं बाक़ी ठीक रहे हैं। ये दो बन्द भी इस लिये टूटे कि बाढ़ का पानी इतना अधिक था कि वह बन्द (एम्बेंकमेंट) के ऊपर से निकल गया। जैसा कि मैं पिछली बार कह चुका हूं, उत्तर प्रदेश में इस बार असाधारण बाढ़ आई है। फिर भी राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पिछले मौसम में जो निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये थे उन से आशा के अनुसार सहायता मिली है।

आठ नौ महीने में बाढ़ रोकने के निर्माण कार्यों की जो प्रगति हुई है उस से असन्तुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। देश की जनता को बाढ़ के ख़तरों से बचाने के लिये अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है परन्तु बाढ़ की समस्या को सुयोजित ढंग से हल करने के लिये श्रीगणेश अच्छा हुआ है। अब हम काम के अगले मौसमों में पूरे किये जाने वाले निर्माण कार्यक्रम पर विचार करेंगे। इस वर्ष की बाढ़ में किये गये पर्यवेक्षणों और अनुभव का प्रयोग शुरू की जाने वाली योजनाओं के डिज़ाइन और ब्यौरा तैयार करने में किया जायेगा। पानी के निकास की व्यवस्था और अन्य समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जायगा जिनका पता हाल ही में चला है। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक शीघ्र ही होगी जिसमें केन्दीय विद्युत् आयोग द्वारा बनाये गये बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम पर विचार किया जायगा जिस से कि इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा सके। मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि बाढ़ रोकने की योजनाओं को समय पर पूरी करने के लिये प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की जायेगी।

श्री एस० एल० सक्सेना (ज़िला गोरखपुर—उत्तर) : मेरा निवेदन है कि हम देश में बाढ़ की स्थिति पर विचार के लिये एक दिन निश्चित करें जिससे कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक से पहले हम इस सम्बन्ध में अपनी राय और सुझाव दे सकें।

श्री नन्दा : आशा है कि बोर्ड की बैठक सितम्बर के मध्य में होगी।

श्री ए० पी० सिन्हा (मुजफ़्फ़रपुर पूर्व): इन चार राज्यों में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी

[श्री ए० पी० सिन्हा]

दस्तावेज़ के महत्व को देखते हुये हमें इस की एक प्रति दी जानी चाहिये ।

श्री नन्दा : वह तो हो जायगा ।

श्री एस० एल० सक्सेना : तो इस प्रश्न पर वादविवाद कब होगा ?

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकें भी सितम्बर में होंगी । तब हम निश्चय कर लेंगे कि बाढ़ की स्थिति पर वादविवाद हो या न हो । पहले सार तथ्य इकट्ठे हो जाने दीजिये जैसे कि माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा है ।

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : इससे पूर्व कि मैं आपकी अनुमति से, उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण की कुछ घटनाओं के विषय पर एक संक्षिप्त विवरण दूं, मैं गोआ के सम्बन्ध में कुछ बाद के आंकड़े, अर्थात्, जो आंकड़े मैं ने कल दिये थे उनको ठीक करने के लिये देना चाहूंगा । ये आंकड़े १५ अगस्त को होने वाली घटनाओं सम्बन्धी हैं ।

कल मैंने बतलाया था कि १५ व्यक्तियों के मरने, २० के लापता होने, शेष के वापस लौट आने और बहुत से घायल हो जाने का समाचार मिला है बाद की सूचना यह है कि २० लापता व्यक्तियों में से १० और वापस आ गये हैं । १० के विषय में अभी भी पूरा पता नहीं है । किन्तु हमारी जानकारी यह है कि इन १० व्यक्तियों में से ७ को गोली से मार दिया गया है—यह १५ तारीख की बात है। इस प्रकार अब मृतकों की संख्या २२ समझी जाती है । अभी भी ३ व्यक्ति लापता हैं । हमे पता लगा है कि इन में से एक को पुर्तगाली सरकार द्वारा नज़रबन्द कर लिया गया है । दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में हम नहीं कह सकते कि वे नज़रबन्द कर लिये गये हैं अथवा वे कहीं और हैं । घायलों की कुल संख्या २२५ है, जिसमें से लगभग ३८ व्यक्तियों के गहरी चोटें आने की खबर मिली है ।

उत्तर-पूर्वी सीमांत अभीकरण के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हाल ही में लोकसभा में उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण के तुएनसांग खण्ड की स्थिति के विषय में बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं । पिछले कुछ महीनों में नागा पहाड़ी ज़िला और तुएनसांग खण्ड के दक्षिण में सीमा पर यदा-कदा कुछ हिंसात्मक घटनायें घटी हैं । इनमें आक्रमणकारियों द्वारा छिपे छिपे किये गये हमले भी सम्मिलित हैं जिनमें कुछ आसाम राइफल के सैनिक, कुछ संख्या में आदिमजाति के द्विभाषी तथा अन्य ग्रामीण मारे गये थे । कुछ स्कूलों की इमारतें, मकान तथा कुछ गांव जला दिये गये थे और चिकित्सा सम्बन्धी सामान लूट लिया गया था । इस पर सरकार ने इस वर्ष मई में शिलांग ब्रिगेड की दो कम्पनियों को तुएनसांग में रक्षात्मक कार्यों के लिये भेजा था जिससे हिंसा करने वाले लोगों को घेरने में आसाम राइफल को साहयता मिल सके । टुकड़ियों का उपयोग संकार्य के लिये न करके केवल रक्षात्मक कार्यों के लिये किया गया है ।

कुछ दिन हुये हमें इनमें से कुछ उन नागाओं के बारे में और जानकारी मिली थी जो हिंसा और आग लगाने की कार्यवाहियों में भाग ले रहे थे । उन्होंने मारो और भागो

की चाल अपना रखी थी । तुएनसांग खण्ड के पोलिटीकल आफीसर ने, जो कि स्वयं भी नागा है, यह सूचना दी थी कि इस क्षेत्र में संगठित सशस्त्र गिरोह उपस्थित था जिसमें कुल मिला कर कुछ सौ व्यक्ति थे । इन गिरोहों के पास बन्दूकें तथा कुछ स्वयं-चालित हथियार थे । पोलिटीकल आफीसर को बहुत से गावों से अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि वे लोग इन गिरोहों द्वारा आतंकित कर दिये गये हैं । उन्होंने उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण प्रशासन को सुझाव दिया कि कभी कभी होने वाली इन हिंसात्मक घटनाओं को तत्काल तथा प्रभावपूर्ण पायों से रोका जाना चाहिये । अतः उन्होंने असैनिक अधिकारियों को सैनिक सहायता दी जान की प्रार्थना की । राज्यपाल और उसके मंत्रणा-दाताओं ने इस सिफारिश पर विचार किया तथा उनकी सर्व सम्मति से यह राय हुई कि यह प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिये । इस कारण सरकार तुएनसांग सीमा खण्ड के दक्षिणी क्षेत्र के लिये सेना की टुकड़ी भेजने के लिये सहमत हो गई है । यह टुकड़ी स्थानीय असैनिक अधिकारियों के परामर्श से कार्य करेगी और हिंसात्मक कार्य करने वालों के घेरे जाते ही वापस बुला ली जायेगी । हत्या, लूट, आग लगाने और कुछ गांवों को आतंकित करने की घटनाओं को दृष्टि में रखते हुये इस कार्यवाही को आवश्यक समझा गया जिससे यह संकट और अधिक न बढ़ सके और आरम्भ में ही इस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। सेना को यह निदेश दे दिया गया है कि वह अनुचित बल का उपयोग न करे ।

आदिम जाति के लोगों के लाभ के लिये सरकार साथ ही अपना आदिम जाति के क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम चला रही है । उनकी सामाजिक प्रथाओं और आदिम जाति के ढांचों में हस्तक्षेप न करने की हमारी नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है । अनुभव से पता लगा है कि इन क्षेत्रों से, जो हाल ही में प्राशासनीय नियंत्रण में लाये गये हैं, व्यवहार करने का अधिकतम प्रभावी ढंग सामुहिक योजनाओं को, वहां के लोगों के लिये अनुकूल बनाने के कारण यथोचित विभिन्नताओं के साथ, लागू करना रहा है । ये योजनायें जहां कहीं लागू की गई हैं वहां लोकप्रिय हो गई हैं और इन्होंने लोगों की प्रवृत्तियो को रचनात्मक तथा लाभप्रद कार्यों की ओर मोड़ दिया है । अधिकतर शिक्षित व्यक्ति और आदिम जाति के लोग सरकार को सहयोग दे रहे है । यहां तक कि कुछ नेता लोग, जिन्होंने पहले इन हिंसात्मक कार्यों को उकसाया था, अब हिंसात्मिक को छोड़ चुके हैं और उन्होंने हिंसात्मिक कार्यों में लगे हुये उन व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिये सरकार को वचन दिया है जो पिछले कुछ महीनों से जनता को आतंकित कर रहे हैं । अब तक हमारे लोगों की मृत्यु संख्या इस प्रकार है :—

मारे गये : पांच आसाम रायफल, दो दुभाषिये, दो लकड़हारे, एक कुली और बारह ग्रामीण ।

घायल : तीन आसाम रायफल दो कुली और पांच ग्रामीण ।

विरोधी व्यक्तियों में मृतकों की निश्चित संख्या अभी तक विदित है, अब तक की सूचनानुसार उनमें चौदह व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और बारह घायल हुये हैं ।

अब तक इन व्यक्तियों द्वारा आग लगाये जाने और लूट की कार्यवाही की जाने के परिणामस्वरूप हुई सम्पत्ति क्षति में साठ घर, पच्चीस खत्तियां, एक कार्यालय भवन और गोदाम और दो स्कूल जो जला दिये गये थे सम्मिलित हैं । चिकित्सा सम्बन्धी सामान

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और एक औषधालय लूटा गया, आठ पुलियों को नुकसान पहुंचाया गया ।

विरोधी व्यक्तियों ने ग्रामीणों से पकड़े गये व्यक्तियों को छोड़ने के लिये धन वसूल किया जो प्राप्त सूचनानुसार २७०० रुपया था । जो टुकड़ियां तुएनसांग क्षेत्र में भेजी जा रही हैं वे १९ अगस्त को अपना स्थान ले लेंगी ।

समवाय विधेयक—(जारी)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा समवाय विधेयक पर आगे विचार करेगी ।

२५ घंटे के नियत समय में से अब चार घंटे और कुछ मिनट शेष हैं । माननीय वित्त मंत्री उत्तर देने में कितना समय लेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): अस्सी या नब्बे मिनट ।

अध्यक्ष महोदय: इसका अर्थ है डेढ़ घंटा और फिर हमारे पास ढाई घंटा बचेगा । कल मैं सोच रहा था कि क्या इस समय को बढ़ा न दिया जाय । इस के साथ ही मैं सोच रहा था कि क्या हम यह चर्चा आज सारे दिन जारी रख सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें डेढ़ घंटा या अधिक समय मिल जायगा । यदि माननीय वित्त मंत्री कल उत्तर दें तो वह डेढ़ घंटा भी नियत समय में सम्मिलित हो जायगा ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मेरा सुझाव है कि कल गैर सरकारी सदस्यों के कार्य से पूर्व हमें ढाई घंटा मिलता है अतएव हम आज का सारा दिन और कल का एक घंटा चर्चा के लिये और शेष डेढ़ घंटा माननीय मंत्री के उत्तर के लिये रख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय: इसका अभिप्राय है कि डेढ़ घंटा आज, डेढ़ घंटा कल और डेढ़ घंटा वित्त मंत्री के उत्तर के लिये अर्थात् ये कुल मिला कर साढ़े चार घंटे हुये ।

मैं चाहता था कि इससे जल्दी समाप्त कर दिया जाय फिर भी इस सम्बन्ध में मैं पूर्णतया सभा के अधीन हूं और समझता हूं कि यदि आज हम बैठक को एक घंटा और बढ़ा लें तो अच्छा रहेगा ।

श्री मती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): आज एक प्रवर समिति की बैठक है ।

अध्यक्ष महोदय: यह तो प्रति दिन ही होगा । अतः हम पहला सुझाव मान लें अर्थात् आज हम इस पर सारे दिन विचार करें और वित्त मंत्री कल उत्तर दें । यदि आवश्यक होगा तो हम आज आधा घंटा अधिक बैठ सकते हैं ।

श्री बी० के० रे (कटक) : कल मैं अंशधारियों के अधिकारों को दिये गये संरक्षण सम्बन्धी उपबन्धों के विषय में कह रहा था ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

यद्यपि मैं यह शिकायत नहीं करता कि उत्तर उपबन्ध अप्रभावी है परन्तु मेरा यह विचार है कि यह सब होते हुये भी वे समय की आवश्यकता पूर्ण नहीं करते ।

सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिये कि अंशधारी कौन हैं? वे साधारण जन हैं, उनके छोटे-छोटे अंश हैं और व्यापार के मुख्य केन्द्र से बहुत दूर गांवों में रहते हैं । इस प्रकार वे उस आवश्यक जानकारी से कदाचित् ही भिज्ञ हो पाते हैं जिस पर वे अपने अंशों के अधिकारों की देख भाल कर सकें। हो सकता है इस सम्बन्ध में विधियां हों परन्तु केवल विधियां ही हमें संरक्षण प्रदान नहीं करतीं । जो लोग उन्हें लागू करते हैं उन्हें इस बारे में सतर्क रहना चाहिये और देखना चाहिये कि उनका पालन हो । उपबन्धों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं

या समवाय के किसी व्यक्ति के कदाचार आदि की शिक़ायत के लिये जिसके परिणाम-स्वरूप जांच पड़ताल या निरीक्षण हो सकता है, दस प्रतिशत अंशधारियों का मत होना चाहिये । फिर, इसमें शर्त यह है कि वे कुछ गारंटी दें जो अपनी बात की पुष्टि न कर सकने के मामले में ज़ब्त की जा सकती है । मेरा सदैव यह मत रहा है कि व्यावहारिक रूप में यह ठीक नहीं है । इसके अतिरिक्त यह उपबन्ध किया गया है कि पंजीयक की रिपोर्ट पर जांच पड़ताल और निरीक्षण किया जा सकता है । यह भी अव्यावहारिक है क्योंकि जो अपराधी हैं वे ऐसे ही क़ागज़ देते हैं जिनको देखते ही कोई बात प्रकट नहीं होती । अतः मैं समझता हूं कि उपबन्ध अपर्याप्त हैं ।

एक वैकल्पिक सुझाव के रूप में मैं दो अन्य बातें रखता हूं अर्थात् कुछ और उपबन्ध किये जायें ताकि अंशधारियों को जानकारी प्राप्त हो, उदारहणार्थ, समवायों द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण सौदों सम्बन्धी बुलेटिन (समाचार) निकालना और संविहित या वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के लिये अंशधारियों को प्रोत्साहित करना । मैं यह उचित साझता हूं कि जांच पड़ताल और निरीक्षण के लिये एक स्थायी व्यवस्था हो जो, शिक़ायत हो या न हो, विभिन्न पंजीबद्ध समवायों का भ्रमण करेगी और उनका कार्य देखेगी । अंशधारियों के अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी उपबन्धों के सम्बन्ध में मेरे ये ही सुझाव है । जहां तक प्रदाधिकार का सम्बन्ध है, सभा में बहुत कुछ कहा जा चुका है और मुझे कुछ और नहीं कहना है ।

संयुक्त प्रवर समिति के कुछ सदस्यों द्वारा दिये गये भिन्न विचारों से मुझे इसकी शिकायत यह प्रतीत होती है कि समवाय के–व्यापार सम्बन्धी प्रबन्ध को नियमित करने वाले कुछ उपबन्ध बहुत कड़े हैं और लागू होने पर व्यापार के आन्तरिक प्रबन्ध अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे । यह तर्क सारहा नहीं है । तब फिर इसका उपचार क्या है ? वर्तमान परिस्थितियों में यह ध्यान रखते हुये कि विधेयक किस स्थिति में प्रस्तुत किया गया है और पिछले दिनों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा किये गये दुरुपयोगों और कदाचारों की दृष्टि से भी हम इन उपबन्धों को हटा नहीं सकते परन्तु, इन उपबन्धों में परिवर्तन किये जाने की गुंजाइश रखने के लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि केन्द्रीय प्रशासी प्राधिकार, चाहे वे संविहित स्वायत्त शासी संस्था हो अथवा मंत्रालय के अधीन कोई पृथक विभाग, इन कड़े उपबन्धों से छूट देने के लिये स्वविवेक अधिकार ले जब कि ऐसा करना अंशधारियों, समवाय और जनता के हित में हो, । मुझे केवल यही उपचार दिखाई देता है ।

अब मुझे केवल सरकारी समवायों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त करने के प्रश्न पर कुछ कहना है । इस पर आपत्ति की गई है । और यह स्वाभाविक भी है । यद्यपि मैं यह जानता हूं कि एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे सरकारी विभाग के कार्य में हस्तक्षेप किया जाना असंगत है। फिर भी इस सम्बन्ध में जो शंका है वह भी स्वाभाविक है और हम सदैव यह विश्वास नहीं करते कि सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य सदैव ही उचित रूप में होते हैं । कुछ भी हो वहां लालफीताशाही है जो साधारण प्रशासनीय कार्यों और कृषि या वाणिज्यिक कार्यों पर विभिन्न प्रभाव डालेगी । मं अपने कथन की पुष्टि के लिये एक उदारहण देता हूं । एक राज्य में धान की फसल बाढ़ से नष्ट हो गई और प्राधिकारियों ने खेतिहरों को रबी की फसल के लिये बीज मोल लेने के लिये धन देने के बजाय बीज देना अधिक उत्तम समझा । परन्तु जब बीज खेतिहरों तक

[श्री बी० के० रे]

पहुंचा तो फसल काटी जा चुकी थी और इसे उपभोग के लिये लेने को उन्हें लालायित किया गया । इसी प्रकार व्यापार में भी लालफीताशाही का अच्छा प्रभाव नहीं होगा । अतः मेरा सुझाव है कि यद्यपि सरकारी समवायों को इस विधि के क्षेत्राधिकार से पृथक रखा जा सकता है परन्तु वहां सरकारी प्रशासनीय कार्य पर लागू होने वाले आचरण नियम से भिन्न कोई आचरण नियम होने चाहिये ।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान परिसमापन के प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं । हमारा अनुभव यह है कि परिसमापन कार्यवाहियां बड़ी लम्बी होती हैं और बहुत समय तक चलती रहती हैं । यदि आंकड़े एकत्रित किये जायें तो विदित होगा कि जब परिसमापन कार्यवाही समाप्त होती है तब एकत्रित आस्तियों के मूल्य से अधिक परिसमापन कायवाहियों में व्यय हो जाता है । यह केवल परिसमापन कायवाही के ही सम्बन्ध में नहीं होता अपितु कुछ अन्य मामलों में भी होता है : अतः मेरा यह सुझाव है कि उन उपबन्धों के अतिरिक्त जो न्यायालय को अंशधारियों, निदेशकों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं आदि के बीच अधिकारों सम्बन्धी विभिन्न निश्चयों के मामले में क्षेत्राधिकार देते हैं, परिसमापन कायवाहियों के लिये एक भिन्न व्यवस्था होनी चाहिये जो न्यायिक और प्रशासी हो ताकि परिसमापन कार्य समाप्त होने के पश्चात् अंशधारियों को कुछ दे सकें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव का समथन करता हूं ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : १९३६ में जब कि समवाय अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक केन्द्रीय विधान सभा के सम्मुख रखा गया था, तो कांग्रेस दल ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में बड़ा रचनात्मक रुख धारण किया था। आज यह जो व्यवस्था चल रही है वह इसी कारण कि सरकार ने जो दुर्गुण इसमें आ गये हैं उनको दूर करने का उपाय नहीं किया। मेरा निवेदन यह है कि यदि १९३६ के अधिनियम को कठोरता और सतकता से पालन किया जाता तो भी आज की बदली हुई परिस्थितिके अनुकूल नहीं होता। १९५० में हमने संविधान को अपनाया जिसमें हमने प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा इस बात की गारंटी दी है कि कुछ लोगों के हाथ में सम्पत्ति का संकेन्द्रण नहीं होगा। इसके पश्चात् सभी-दलों यहां तक कि कांग्रेस ने भी प्रबन्ध अभिकरण की समस्या का उल्लेख किया है बम्बई और जयपुर के कांग्रेस सम्मेलनों में यह स्वीकार किया जा चुका है कि प्रबन्ध अभिकरण को समाप्त कर देना चाहिये । इस सभा ने भी सर्वमत से यह संशोधन स्वीकार किया है कि भविष्य में इस देश में समाजवादी व्यवस्था होगी। अतः अब हम इस दृष्टिकोण से देखना है कि हमने जो निश्चय किया है वे वास्तव में कार्य रूप में लाया जा रहा है अथवा नहीं । कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी संस्था पनप रही हों जो हमारे इस सिद्धान्त के प्रतिकूल कार्य कर रही हों और देश के लिये घातक सिद्ध हो रही हों। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ ने यह संकल्प पारित किया है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये । छपा समाचार पत्रों में है कि हमारे प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि सिद्धान्त रूप में वह प्रबन्ध अभिकरण की प्रणाली के विरुद्ध हैं ।

इस दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुये मेरे विचार से निजी लोगों के हाथ में

इतने उद्योगों की व्यवस्था दे देने का तात्पर्य प्रतिष्ठा और अवसर को समानता से इन्कार करना और कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सम्पत्ति का संकेन्द्रण करना मात्र है । निजी उद्योग में बेचारे मज़दूर की स्थिति ही क्या होती है? विदेशों में, सरकारी उद्योगों में विशेषकर इंगलिस्तान में प्रबन्ध और श्रम दोनों की समान स्थिति समझी जाती है और दोनों ही यह समझते हैं कि यह उद्योग उनके अपने उद्योग हैं । मुझे इस बात का हर्ष है कि अब कुछ हम भी इस श्रम को प्रतिनिधित्व देने लगे हैं । यदि हम इस देश में निजी उद्योगों को चलाने की अनुमति देते हैं तो संविधान की भावना के विपरीत कार्य करते हैं ।

आज सरकारी नौकरियों के लिये भले ही लोक सेवा आयोग में कुछ दोष हों, फिर भीइनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अवसर तो मिलता है किन्तु निजी नौकरियों म तो प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्धियों और भाई-भतीजों को ही सेवा करने का अवसर दिया जाता है । अतः प्रबन्ध अभिकरणों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये अन्यथा यह चीज़ सर्वथा संविधान की भावना के प्रतिकूल सिद्ध होगी ।

सम्पत्ति के संकेन्द्रण के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । मैं इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस समय समवायों द्वारा प्रबन्ध अभिकरण के कमीशन के रूप में दिये जाने वाले १३ करोड़ रुपयों में से लगभग ४ करोड़ रुपया एक दर्जन से भी कम प्रबन्ध अभिकरण समवायों को मिलता है, जो कई समवायों का नियंत्रण करते हैं । एक-एक समवाय द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता को २५-३० लाख रुपये का भुगतान किये जाने की न तो आवश्यकता ही है और न ऐसा करना उचित ही कहा जा सकता है । इतना ही नहीं स्थिति और भी अधिक शोचनीय है । प्रबन्ध अभिकर्ता और अंशधारियों में लाभ का वितरण किस अनुपात से होता है यह कुछ आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेगा । १९४० से लेकर १९४८ तक बम्बई की कपड़े की मिलों में प्रबन्ध अभिकरणों और अंशधारियों में लाभ के वितरण में अनुपात ३८ से ४६ प्रतिशत और अहमदाबाद की मिलों में यह अनुपात ७० और ३० प्रतिशत का रहा है । इससे यह पता लगता है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं और अंशधारियों की स्थिति में क्या अन्तर है ?

मैं जानता हूं कि इस विधेयक में कुछ सुधार किये गये हैं । किन्तु, यदि आप कहते कि इसमें पूरी तरह से सुधार नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रणाली ही कुछ ऐसी प्रकार की है कि इसमें कुछ न कुछ दोष रहेंगे ही । सरकार तथा मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री इन सारी चीज़ों को जानते हुये भी किसी न किसी कारणवश यह सोचते हैं कि यह व्यवस्था चलनी ही चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह कोई भी नहीं कहता कि वर्तमान स्थिति चलनी चाहिये । दूसरे शब्दों में यदि अहमदाबाद में ३०:७० के स्थान पर ९०:१० का वितरण अंशधारियों और प्रबन्ध अभिकर्ताओं में हो जाता है तो इससे स्पष्ट ही हो जाता है कि वर्तमान स्थिति अब आगे नहीं रहेगी ।

श्री गाडगील : क्या इस नई व्यवस्था से आप यह समझते हैं कि प्रबन्ध अभिकर्ता जिस प्रकार आप चाहते हैं उसी प्रकार ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे । ऐसा सोचना मूल है । मेरे विचार से तो सिद्धान्त और व्यवहार एक होना चाहिये । इस प्रकार इस प्रणाली को समाप्त कर देने का स्पष्ट उदाहरण

[श्री गाडगील]

आपके सम्मुख है और इससे देश में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अथवा अवांछनीय घटना नहीं होगी । यदि आप कुछ निजी उद्योग चलाना ही चाहते हैं तो ठीक है, चलने दीजिये किन्तु कम से कम इस प्रणाली को उसमें से अवश्य निकाल दीजिये ।

इतना सब होते, अर्थात् समिति नियुक्त करने और प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् भी सरकार कोई महान् परिवर्तन नहीं करना चाहती । संयुक्त समिति की यह सिफारिश वास्तव में सराहनीय है कि १९६० से सरकार को यह अधिकार होगा कि अधिसूचना द्वारा कुछ उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरण समाप्त कर सकती है । उस वक्त से प्रत्येक नये प्रबन्ध अभिकरण को सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा । इस सम्बन्ध में मेरा विचार तो यह कि अधिसूचित करने की यह शर्त विधयक के विधि बन जाने की तिथि से ही तो ली जाये, क्योंकि यह तो किसी उद्योग से एक प्रणाली को समाप्त करने का प्रश्न है इसका निर्णय करने में आप पर ही छोड़ता हूं । बीमा उद्योग को देखिये, उसमें प्रबन्ध अभिकरण समाप्त कर दिया गया में । अतः यदि में माननीय मंत्री को प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली अभी समाप्त करने के लिये राज़ी न कर सका तो इतना तो अवश्य कहूंगा कि वह १९६० से पूर्व ही कुछ उद्योगों में इस प्रणाली को समाप्त करने की शर्त का प्रयोग करने का अधिकार लिये जाने के प्रश्न पर ज़रूर विचार करें ।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि खण्ड ३२३ में स्पष्ट कहा गया है कि प्रतीक्षा किये बिना ही इस शक्ति को लागू किया जा सकता है ?

श्री गाडगील : यदि खण्ड की उपलक्षण और अर्थ यही है तो मुझे हर्ष है । तो दूसरा सुझाव मुझे यह देना है कि जिस दिन से अधिनियम लागू होता है उसी दिन से प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रबन्ध-अभिकरणों के लिये अनुमोदन देने की शक्ति का प्रयोग किया जाये, व्यर्थ प्रतीक्षा करन से क्या लाभ ?

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : १५ अगस्त, १९६० इसको समाप्त करने की तिथि है । खण्ड ३२३ के अधीन सरकार को इस प्रणाली को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है ।

श्री गाडगील : मेरा सुझाव यह है कि जिस दिन से अधिनियम लागू हो, प्रत्येक प्रबन्ध अभिकरण को वित्त मंत्रालय अथवा नये विभाग के सम्मुख जाना चाहिये और अपने सद्भाव तथा कुशलता का प्रमाण देना चाहिये और उसी के आधार पर सदाचरण का प्रमाण पत्र दिया जाये और उनको चलते रहने दिया जाये । व्यर्थ ही १९६० तक प्रतीक्षा करन से क्या लाभ होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : (गुड़गांव) : यह क्रांतिकारी कार्यवाही होगी ।

श्री गाडगील : यह बिल्कुल ही क्रांतिकारी नहीं है । केवल दृष्टिकोण का अन्तर है । प्रत्येक प्रबन्ध अभिकरण को सम्बद्ध विभाग के समक्ष अपने सद्भाव का प्रमाण देना चाहिये और फिर प्रमाण पत्र मिल जाने पर कार्य जारी रखना चाहिये । मेरा सुझाव यह है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इससे भ्रष्टाचार और अधिक नहीं बढ़ेगा ।

श्री गाडगील : मैं समझता हूं कि मेरा सुझाव क्रान्तिकारी ढंग का नहीं है । जब वे ईमानदार हैं तो उन्हें विधि का डर ही क्या है और बेईमान व्यक्तियों की किसी को भी सहायता नहीं करनी चाहिये ।

मैं सरकार के, सम्पूर्ण जनता के और बम्बई की अंशधारियों की संस्था के प्रतिवेदन के अनुभव के आधार पर यह कहता हूं कि सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये ।

मेरे माननीय वित्त मंत्री ने बम्बई की अंशधारियों की संस्था द्वारा जिस प्रकार के नियंत्रण में प्रबन्ध अभिकरण को चलाने के लिये कहा गया है उस के पक्ष में हैं । आप अंशधारियों अथवा प्रबन्ध के लिये कुछ भी करें मुझे इस में आपत्ति नहीं । मेरी आपत्ति तो निजी उद्योग के सम्बन्ध में है । यदि आप चाहते हैं कि निजी उद्योग रहे तो फिर लाभ का बंटवारा सभी में होना चाहिये । मैं चाहता यह हूं कि अंशधारियों और प्रबन्ध में कोई विरोध न हो । इस प्रणाली को जारी रखना संविधान की भावना के प्रतिकूल है, यह मुख्य बात मुझे कहनी है ।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं की उपलब्धि को उच्चतम सीमा निर्धारित करना कठिन होगा । इस के लिये कुछ उदारहण भी उन्होंने दिये हैं किन्तु इसमें दो बातें हैं एक तो नैतिक और दूसरी आर्थिक लाभ । यदि हम समझते हैं कि प्रत्येक को इतना अधिक वेतन मिलना चाहिये जितना वह समझते हैं तो इसका तो कोई अन्त ही नहीं हो सकता । समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में भी प्रोत्साहन तो रहता ही है किन्तु एक सीमित दायरे में । किन्तु उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई, इसलिये इसमें जितनी ही खींचतान न करें, थोड़ी है । अतः उच्चतम सीमा का निर्धारण करना आवश्यक है ।

श्री सी० डी० देशमुख : प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर भी इस विमुक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री गाडगील : तब तो यह बात और भी सरल हो जाती है । हमारे अपने लोग भी देश के लिये तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक कि पहले जितना तय हो चुका है उसका भुगतान नहीं किया जायेगा । यदि इस रवैये को सही माना जाय तो मैं यह पूछता हूं कि क्या देश के हितों को ध्यान में रखते हुये इससे नैतिक वातावरण बना रहेगा अथवा लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कोई रुकावट होगी । मैं इस बात से सहमत हूं कि व्यापार संस्था की प्रारम्भिक स्थिति में इससे कठिनाई पैदा होगी । हमें इस बात पर सहमत होना चाहिये कि सरकार को स्वविवेक का अधिकार दिया जाय किन्तु अधिकार का संचालन सिद्धान्त तथा पूर्ववादिता के आधार पर होना चाहिये । अतः यदि सभी बातों का ध्यान रख कर वित्त मंत्री जी अपवाद का अधिकार रखना चाहते हैं तो धन राशि के सम्बन्ध में एक सीमा होनी चाहिये । धन राशि को बढ़ाते जाना ठीक नहीं होगा ।

दूसरा प्रश्न निदेशकों की संख्या के सम्बन्ध में है । वित्त मंत्री को कम्पनी के कार्यों, टेकनिकल जटिलताओं और आर्थिक बातों पर विचार करना चाहिये किन्तु इतने पर भी निदेशकों की संख्या की एक सीमा होनी चाहिये, अन्यथा स्वविवेक का दुरुपयोग हो सकता है । मैं स्वविवेक का अधिकार देने से सहमत हूं किन्तु इसे विशिष्ट सिद्धान्तों तथा पूर्ववादिता के आधार पर संचालित होना चाहिये ।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकतम सीमा से अधिक नहीं मिलना चाहिये । अतः कुल मिलने वाली अधिकतम धनराशि, निदेशकों की संख्या तथा एक व्यक्ति को मिलने वाली अधिकतम धन राशि की भी सीमा होनी चाहिये ।

कहा जाता है कि प्रबन्ध अभिकर्ता अपनी व्यापार संस्थाओं में पूंजी लगाते हैं ।

[श्री गाडगील]

सरकार ने इन्हें बहुत हद तक सहायता दी है। इन उद्योगों के विकास के लिये सरकार ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया जिससे कि अच्छी तरह स्थिर हो जाने पर वे उपभोक्ताओं को सस्ता सामान दे सकें। इसके विपरीत जब खाद्यान्नों के मूल्य गिर जाते हैं और किसान सहायता के लिये चिल्लाते हैं तो आप कहते हैं कि हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और जब सहायता दी जाती है तब तक सारा अन्न बनियों के पास चला जाता है। सरकार उद्योगों को, प्रति धारण मूल्य निर्धारित कर सहायता देती है, और कहती है कि इससे व्यापार का विस्तार होगा। जब तक उद्योग अपने पैरों पर खड़े नहीं थे, उन्हें संरक्षण देना ठीक था; किन्तु अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार औद्योगिक वित्त निगम से उन्हें सहायता दे रही है उन्हों को सहायता दी जा रही है, बैंक उन्हें अग्रिम धन देते हैं तब नहीं है। सरकार औद्योगिक वित्त निगम से उन्हें सहायता दे रही है, उन्हें सहायता दी जा रही है, बैंक उन्हें अग्रिम धन देते हैं तब भला ये प्रबन्ध अभिकर्ता क्या काम करते हैं? इन लोगों को अनुचित महत्व नहीं देना चाहिये; इनके कार्यों का महत्व अब बहुत कुछ घट गया है।

अब मैं व्यवस्था के प्रश्न को लेता हूं। वित्त मंत्री ने व्यवस्था का एक विकल्प भी सुझाया है। मैं इससे आगे बढ़ कर यह कहूंगा कि इसे अनिवार्य बना देना चाहिये। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे गतिरोध पैदा होगा। गतिरोध पैदा हो ही नहीं सकता। ये लोग यदि यहां से लाभ नहीं कमायेंगे तो कहीं और किसी साधन से कमायेंगे। इन लोगों को ही प्रतिभाशाली और दक्ष नहीं समझा जाना चाहिये, क्योंकि यदि आप उच्चन्यायालयों के पिछले ७५ वर्षों की शोधाक्षमता की याचिकाओं को देखें तो आपको इस सम्बन्ध में पता लग जायेगा। अतः मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि पूंजीपतियों की चुनौती को स्वीकार कर लिया जाय तथा किसी अन्य वैकल्पिक सूत्र का विकास कर उसे विधेयक में निविष्ट कर दिया जाय जिससे कि १५ अगस्त, १९६० से बहुत पहिले ही प्रबन्ध अभकरणों का विलयन हो जाय।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : इस सभा में, समाचार-पत्रों तथा जनता में, इस विधेयक पर जो कुछ भी चर्चा हुई है, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस विधेयक का शीर्षक बदल कर प्रबन्ध अभिकर्ता नियंत्रण तथा विनियमन विधेयक रख देना चाहिये; क्योंकि इस विधेयक का अधिकांश भाग प्रबन्ध अभिकरण के प्रश्न की चर्चा करने में ही व्यतीत हुआ है। कई लोगों ने कहा है कि समवाय विधेयक को समाज सुधार का साधन बनाया जाय, जिससे देश में समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना हो सके। लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि समवाय विधि की उत्पत्ति इस बात को मान कर हुई है कि अभी निजी क्षेत्र में जनता सहयोग दे सकती है, अतः समाज सुधार की बात कहना ठीक नहीं।

सरकार ने प्रबन्ध अभिकरण पद्धति पर जिस प्रकार की रोक या प्रतिबन्ध लगाये हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि १९६० तक वे इस पद्धति को समाप्त कर देंगे। मैं इस पद्धति का समर्थन नहीं करूंगा, किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र देश की औद्योगिक प्रगति के लिये जो कुछ भी प्रयत्न कर रहा है उस पर रोक नहीं लगानी चाहिये। यद्यपि कुछ लोग इस पद्धति के नितांत विरोधी हैं तथापि स्वयं सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में इसका विकल्प क्या है। वे आशा करते हैं

कि १९६० तक ग़ैर-सरकारी क्षेत्र किसी वैकल्पिक पद्धति का विकास कर लेगा जिससे कि यह सारा रद्दोबदल बिना किसी गतिरोध के सम्पन्न हो जाये। प्रबन्ध अभिकरण पद्धति के नियंत्रण के लिय जो कुछ भी उपबन्ध विधेयक में किये गय हैं वे पर्याप्त हैं ; उन्हें नहीं बदलना चाहिये। विधेयक के एक अन्य उपबन्ध में कहा गया है कि एक फर्म एक समय में दस से अधिक समवायों की प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं हो सकती है। मेरे विचार से प्रबन्ध कार्य के साथ रहने से उतनी हानि नहीं होगी जितनी कि वित्तीय संस्थाओं तथा साधारण व्यापार संस्थाओं के प्रबन्धक दायित्व के संयोजन से हो सकती है। विधेयक में इसकी व्यवस्था करने वाला कोई उपबन्ध नहीं है। वित्त मंत्री को मामले के इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये।

विधेयक में अंशधारियों को अधिक विशेषाधिकार दिये गये हैं। सामानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुनाव का उपबन्ध उचित है। इस से अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिल जायेगा। साथ ही सरकार को भी दो निदेशकों का नाम निर्देश करने का अधिकार दिया गया है। मैं नहीं जानता कि इसकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि ये नामनिर्देशित निदेशक सरकारी पदाधिकारी होंगें जिन्हें समवाय की व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी होगी। अतः वे विशेष लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकेंगे। मेरे विचार से समानुपातिक प्रतिनिधित्व होने के पश्चात् इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक समवायों के पारिश्रमिक का प्रश्न है, मुझे खण्ड १९७ के सम्बन्ध में भ्रांति है। यह बात मान ली गई है कि इस देश में समवायों के प्रबन्धकों को शुद्ध लाभ का औसतन १३ प्रति शत पारिश्रमिक मिलता है। इस विधेयक में इसे ११ प्रतिशत निश्चित किया गया है। मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे विचार से समवायों को भी इस सम्बन्ध म कोई आपत्ति नहीं होगी। न्यूनतम पारिश्रमिक, जब समवाय को कोई लाभ इत्यादि न हो तो, ५०,००० रुपये रखा गया है। इससे समवायों को कठिनाइयां होने की सम्भावना है क्योंकि नये समवायों को प्रारम्भिक स्थिति में घाटा रहता है ; अतः ऐसा संशोधन करने से कि न्यूनतम पारिश्रमिक वाला खंड समवाय की स्थापना से ३ वर्ष तक लागू न होगा, इस विधेयक का प्रयोजन भी हल हो जायेगा और समवायों को भी राहत मिल जायेगी।

खंड १९९ में यह कहा गया है कि प्रबन्धकों को कर रहित राशि नहीं मिल सकेगी। मैं इस उपबन्ध का प्रयोजन नहीं समझ सका। आय की अधिकता पर तो कई अन्य साधनों पर भी रोक लगाई जा सकती थी। यह एक छोटी बात है जिस पर खंड वार चर्चा के समय भी चर्चा की जा सकती है।

अब मैं समवाय विधेयक के प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा। इसका प्रशासन दो प्रकार से होगा मुख्यतः इसका प्रशासन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा होगा उनको प्रशासन में सहायता करने के लिये एक संविहित आयोग नियुक्त किया जायेगा जो सरकार को कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में सलाह देगा। उनकी सलाह स्वीकार करना अथवा न करना सरकार की इच्छा पर निर्भर हैं। यदि सरकार का मंत्रणा आयोग की सलाह से मतभेद हो तो मतभेद के कारणों को सभा-पटल पर रखा जाय जिससे कि उन पर चर्चा का अवसर मिल सके। इस विधेयक के अधिकांश उपबन्ध नियोगात्मक और विनियायक हैं। यह बहुत अधिक हैं। तथा स्वविवेक का अधिकार भी सरकार के हाथों में सुरक्षित है। सरकार

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

के पदाधिकारी, जिन्हें वाणिज्यिक उपक्रमों का प्रशिक्षण नहीं मिला है, उक्त प्रश्नों का निपटारा करेंगे । उन पदाधिकारियों को नौकरशाही ढंग से प्रशासन करने की आदत है । परिणाम यह होगा कि कार्य में अनुचित विलम्ब होगा । जिससे देश के औद्योगिक कार्य में बाधा पहुंचेगी । भविष्य में हम सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने की सोच रहे हैं अतः हमें चाहिये कि हम पदाधिकारियों को औद्योगिक उपक्रमों के कार्य में आज ही से प्रशिक्षण दें । हमें इसके लिये अवश्य कुछ-न-कुछ करना चाहिये ।

खंड ६१४ में यह कहा गया है कि सरकारी समवायों में इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करना सरकार के स्वविवेक पर निर्भर करेगा । इस खंड के दो भाग हैं । मेरे विचार से इसका उपखंड (ख) व्यर्थ है, उसे सरलता से हटाया जा सकता है । हम सरकारी समवायों के प्रशासन में यह चाहते हैं कि वह पूर्णरूपेण व्यापारिक ढंग से किया जाए अतः इस विधेयक के उपबन्ध उन पर लागू किये जाने चाहिये । मेरे विचार से खंड ६१४ के उपखण्ड (ख) को निकाल देने से यह काम बन सकता है । जब खंडशः विचार होगा तो मैं इस विषय पर अधिक प्रकाश डालूंगा ।

अन्त में मुझे यही कहना है कि इतने बड़े विधेयक में यत्र-तत्र त्रुटियां होना स्वाभाविक है किन्तु जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है सरकार के हाथ में अधिक शक्ति दिये जाने के कारण समवायों का प्रबन्ध स्वतः सम्भल जायगा । मुझे आशा है कि इस विधेयक से हमारे समवाय देश के हित में काम करने लगेंगे ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व) : समवाय विधेयक पर बहुत कुछ चर्चा की जा चुकी है । सब से अधिक बहस प्रबन्ध अभिकरण पर हुई है किन्तु मैं एक और विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका अभी तक किसी ने ज़िक्र नहीं किया है ।

आजकल अमरीका में और हमारे देश में भी निगमों की संख्या बढ़ती जा रही है । कुछ सार्वजनकि समवाय मिल कर एक निगम स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार अधिक-से-अधिक अंश उन समवायों के पास रहते हैं । ये निगम वस्तुतः देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में रहते हैं । वर्तमान परिस्थिति में, जब कि देश में बड़े बड़े उद्योग उन्नति करने वाले हैं, ये निगम अपना धन उन में न लगायेंगे । वे सरकारी वित्त निगमों से ऋण ले लेंगे ? हम देखते हैं कि कुछ समवायों के प्रबन्धक-निदेशक जिनके पास केवल पन्द्रह बीस प्रति शत अंश होते हैं, इतने बड़े निगमों के सर्वेसर्वा बन बैठते हैं । सरकार ने इस विधेयक में ऐसे निगमों पर नियंत्रण रखने के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया है । इन निगमों के अंशधारी समवायों में चाहे प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली न हो, ये निगम प्रबन्ध अभिकरणों द्वारा चलते रहेंगे । मुझे खेद है कि सरकार ने इन्हें रोकने के सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया है ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : आप उन्हें सहायक समवाय कह सकते हैं । उन्हें निगम कह कर पुकारने से आप का क्या अभिप्राय है ?

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : माननीय सदस्य कोई उदारहण देकर समझायें तो अच्छा हो ।

श्री टी० एन० सिंह : मान लीजिये कि क, ख, ग और घ चार सार्वजनिक समवाय हैं जिन में कोई प्रबन्ध अभिकरण नहीं है । इन के पास रक्षित पूंजी होने के कारण वे

उसे किसी और समवाय में लगाने के लिये वे एक नये समवाय को जन्म दे देते हैं। चारों समवायों के निदेशक इस नये समवाय को चलाने के लिये एक प्रबन्ध अभिकरण बना लेते हैं। अब मैं यह पूछता हूं कि सरकार ने ऐसे समवाय पर क्या प्रतिबन्ध लगाया है ?

श्री एम० सी० शाह : ऐसा कोई समवाय नहीं हो सकता। क्या भारत में आप कोई उदाहरण बता सकते हैं ?

श्री टी० एन० सिंह : ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। मैं स्वयं 'नेशनल हेरल्ड' के अंशधारियों में से था और उस समवाय की बचत को मैं किसी भी अन्य समवाय में लगा सकता था।

श्री एम० सी० शाह : जहां तक पूंजी विनियोग का सम्बन्ध है मैं आप का ध्यान विधेयक के उन खण्डों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन में सार्वजनिक तथा अन्य समवायों के धन संचय के बारे में उपबन्ध है। उन पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

श्री टी० एन० सिंह : वे तो धन संचय के बारे में हैं, जो एक पृथक् विषय है। मैं तो यह कह रहा था कि इस प्रकार नये समवायों को जन्म देकर पूंजीपति उस में सार्वजनिक समवायों का धन लगा देते हैं और ऐसे समवाय में प्रबन्ध अभिकरण भी काम करने लगता है। ये काम बन्द किये जाने चाहियें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरी व्याख्या को भली भांति समझ गये होंगे।

अब मैं लेखा परीक्षकों के बारे में कुछ कहता हूं। मुझे पता नहीं कि माननीय मंत्री उन के बारे में क्या संशोधन प्रस्तुत करेंगे। मुझे तो यह बताना है कि शास-प्राप्त (अधिकृत) लेखापाल संगठन में अनेक सुधारों की आवश्यकता है। यहां तक पता चला है कि अनेक शासप्राप्त लेखापाल कुछ पूंजीपतियों को आयकर से बचाने के लिये परामर्श देते हैं।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

मैं जानना चाहता हूं कि लेखा परीक्षक पर व्यावसायिक, वैधिक तथा प्रशासकीय प्रतिबन्ध क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : उन के लिये शास-प्राप्त लेखापाल अधिनियम में उपबन्ध हैं।

श्री टी० एन० सिंह : यह तो मैं जानता हूं किन्तु क्या वे उचित हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जी हां :

श्री टी० एन० सिंह : मैं तो यह समझता हूं कि जब तक उन में सुधार नहीं किया जायगा तब तक प्रस्तुत विधेयक में उन के लिये कुछ उपबन्ध करने से काम नहीं चलेगा।

अब मैं सरकारी समवायों का प्रश्न लेता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग़ैर-सरकारी समवायों में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उस की अपेक्षा सरकारी समवायों की स्थिति बहुत अच्छी है। हम यहां ग़ैर-सरकारी समवायों के लिये विनियमन कर रहे हैं, किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि सरकारी समवायों को बिल्कुल मुक्त रखा जाय। माननीय मंत्री ने कहा था कि वे इस के लिये एक अध्याय विधेयक में जोड़ देंगे किन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

सरकार ने अपने समवायों के बारे में अनेक प्रकार की प्रणालियां चला रखी हैं। उन में एकसूत्रता लाई जानी चाहिये।

जहां तक प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली का सम्बन्ध है, उस का हटाया जाना ही ठीक है। उस में वे निजी पूंजी व्यय न कर के ऋण ले लेते हैं। मैं यहां केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हू और वह इस बारे में है कि प्रत्येक

[श्री टी० एन० सिंह]

अधिकारी को किसी समवाय के अंश हस्तान्तरित करना उचित होगा या नहीं। किसी अधिकारी या उसकी पदवी को विशिष्ट रूप से यहां उल्लिखित किया जाना चाहिये जिससे यह ज्ञात हो सके कि अंश किसे हस्तान्तरित किये गये। मुझे आशा है कि इस का उचित उपबन्ध किया जायेगा।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के पक्ष में जिन लोगों ने जोरदार भाषण किये हैं उन की मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता, किन्तु मैं यह भी अवश्य कहूंगा कि उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सभा को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये था। सभा में यह नियम है कि यदि किसी के निजी हित का प्रश्न हो तो सम्बन्धित सदस्य को उस के लिये मत नहीं देना चाहिये।

सभापति महोदय: यहां निजी हित का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह: खैर, मैं किसी व्यक्ति की ओर संकेत न कर के, किसी पर भी आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं पिछले तीस वर्षों से समाज में कार्य कर रहा हूं और मैं ने गांधी जी और नेहरू जी से यही सुना है कि आर्थिक क्षेत्र में कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिये। इसी सिद्धान्त का अनुकरण करते हुये हम ने ज़मींदारी का उन्मूलन किया है। मैं स्वयं भी एक ज़मींदार था किन्तु मैंने इस सिद्धान्त के आगे अपना सिर झुका दिया। आज यही स्थिति पूंजीपतियों की है। समवायों तथा निदेशकों के बीच में वे प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में मध्यस्थ बने बैठे हैं। क्या ऐसे समवाय नहीं हो सकते जो उन के बिना ही चल सकें? हमारे यहां सिन्द्री उर्वरक कारखाने का एक प्रशंसनीय उदाहरण है जो किसी प्रबन्ध अभिकरण के बिना ही सफलतापूर्वक चल रहा है। यह ठीक है कि जनता का धन कहीं अधिक भी खर्च हो जाता है किन्तु समवायों के अंश भी जनता का ही धन हैं। उस के दुरुपयोग से ही तो पूंजीपतियों के आसन अब डगमगा रहे हैं, जैसे कि जनता के शोषण का मूल्य ज़मीदारों को चुकाना पड़ गया था। मुझे तो आश्चर्य है कि सरकार ने अब भी इतने प्रबन्ध अभिकरणों को बनाये रखा है। पता नहीं देशवासी इसे कैसे सहन कर सकेंगे। आज प्रबन्ध अभिकर्ताओं की क्षतिपूर्ति के लिये पचास हज़ार रुपये बहुत कम समझे जाते हैं किन्तु मैं चाहता हूं कि जैसे छोटे-बड़े सब ज़मीदार मिटा दिये गये उसी प्रकार वे भी चाहे बड़े हों या छोटे, सिद्धान्ततः समस्त समवायों से पृथक् कर दिये जायें। हमें यह न समझना चाहिये कि उन के न रहने पर देश का व्यापार ही ठप्प हो जायगा।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया।

श्री टी० एन० सिंह: बस मैं समाप्त कर रहा हूं।

हां, तो मैं कह रहा था कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिये। यदि हम अपने देश के उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हमें पूंजीपतियों की बदखर्ची को बन्द करना होगा। एक ओर तो हमारे लाखों देशवासी सड़कों पर भूखे बैठे रहे और दूसरी ओर ये लोग अपनी तोंद फुलाते चले जायें, यह नहीं हो सकता। यदि यही हाल रहा तो मुझे भय है कि देश में क्रान्ति की आग फैलन लगेगी।

अन्त में मुझे सचिवों (सैक्रेटरियों) और कोषाध्यक्षों के लिये भी कहना है। सरकार ने उन्हें प्रबन्ध अभिकर्ताओं के स्थान पर बैठा कर अधिकार भी उतने ही दे दिये हैं। सरकार को यह भय है कि कठोर कार्यवाही करने पर पूंजीपति अपनी पूंजी

दबा कर बैठ जायेंगे और उद्योगों में नहीं लगायेंगे किन्तु मैं यह कहता हूं कि यदि पूंजीपति इतने स्वार्थी और देशद्रोही हैं तो वे अपना पैसा भले ही तिजोरियों में बन्द कर के बैठे रहे। हमें अपने प्रगति के पथ पर, केवल उनके थोड़े से रुपयों की ओर ध्यान न देकर, निरन्तर आगे बढ़ना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री एस० एल० सक्सेना (ज़िला गोरखपुर—उत्तर) : हम जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र पर ४३०० करोड़ रुपये और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र पर २२०० करोड़ रुपये व्यय होंगे। बहुत से समवाय खोले जायेंगे। यह विधेयक एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि इसमें उन समवायों के प्रबन्ध के स्वरूप के सम्बन्ध में कहा गया है।

भारत का राज्य बैंक विधेयक पर बोलते समय मैं ने कहा था कि निदेशकों में मज़दूर और कर्मचारियों के उतने ही प्रतिनिधि होने चाहिये जितने अंशधारियों के। उस समय वित्त मंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि कभी समय मिलने पर इस बात पर विचार किया जायगा। हमें आशा थी कि समवाय निधि सम्बन्धी विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध अवश्य किया जायेगा पर मैं देखता हूं कि ऐसा कोई भी उपबन्ध नहीं है। हमारे श्रम मंत्री ने भी समवाय के प्रबन्ध में मज़दूरों को भाग लेने का अवसर देने, उन्हें अंश खरीदने की सुविधा देने और उनके लिये अन्य अनेक प्रकार की सुविधायें देने की बातें कई बार कही हैं पर इस समवाय विधेयक में ऐसा कोई भी उपबन्ध नहीं किया गया है। हमारे कई माननीय मित्रों ने कहा कि यदि समवाय के निदेशक बनने का अवसर कर्मचारियों को दिया जायेगा तो बड़ी परेशानी पैदा हो जायेगी। पर मैं समझता हूं कि यदि मज़दूरों को समवाय के प्रबन्ध में हाथ बटाने का अवसर दिया जाय तो वे अधिक उत्तरदायित्व के साथ काम करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि श्रमिकों को पूंजी के कारोबार में बराबर हिस्सा मिलना चाहिये। अतः मैं निवेदन करता हूं कि मज़दूरों को अंशधारियों के समान अधिकार दिलाने के लिये एक संशोधन पेश किया जाना चाहिये।

आप इस विषय में चिन्तित थे कि यदि अभीकर्ता नहीं होंगे तो क्या होगा? पर आप चीन की ओर देखिये, वहां स्वतन्त्रता मिलने के एक वर्ष बाद ही १००,००० करघों वाले कारखाने का प्रबन्ध साधारण कर्मचारी कर रहे हैं। १९५० में अपने १,२०० करोड़ रुपये के आयव्ययक में से ३०० करोड़ रुपये उन्होंने उद्योगीकरण के लिये रखे थे दूसरे वर्ष उनका आयव्ययक २,५०० करोड़ रुपये का था; तीसरे वर्ष ३,५०० करोड़ रुपये, चौथे वर्ष ४,६०० करोड़ रुपये और पांचवें वर्ष ४,३०० करोड़ रुपये रहा और इस आय में ७० प्रतिशत औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त हुई। स्पष्ट है कि यह प्रणाली काफी सफल रही।

चीन की सरकार ने अपनी पंच वर्षीय योजना में १५,००० करोड़ रुपये लगाने का विचार किया है। १९५७ तक वह यह राशि व्यय कर चुकेगी। हमारे यहां प्रथम पंच वर्षीय योजना के लिये केवल ६,५०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। चीन की सरकार सम्पूर्ण राशि में से लगभग ८१ प्रतिशत उद्योग बैंक, व्यापार और संचार पर व्यय करने जा रही है। इन सभी उद्योगों का प्रबन्ध प्रबन्ध-अभिकर्ता नहीं करता बल्कि वहां का मज़दूर वर्ग और वहां के योग्य कर्मचारी करते हैं। अतः हमें भयभीत नहीं होना चाहिये कि यदि प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं

[श्री एस० एल० सक्सेना]

से अधिक उत्तरदायित्व को प्रबन्धकों, मिस्त्रयों और मुख्य रसायनिकों पर रहता है । अत यदि इन्हीं को कारखानों के प्रबन्ध का काम सौंप दिया जाय तो वे काम को ठीक चला सकते हैं ।

अभी मेरे मित्र श्री गाडगील ने बताया कि इस देश में २० व्यक्ति ८०० समवायों के निदेशक हैं । इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका में १२ व्यक्ति सम्पूर्ण संयुक्त राज्य अमरीका की सम्पत्ति के ५० प्रतिशत पर शासन करते हैं और उनकी शक्ति वहां के मंत्रिमंडल से भी अधिक हैं । उसी प्रकार भारत के इन २० व्यक्तियों की शक्ति यहां के मंत्रिमंडल से अधिक हैं । हम अपन देश में समाजवादी ढांचा चाहते हैं । वह तभी सम्भव है कि जब हम इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त कर दें । सभा में इसका इतना विरोध किया गया है पर हमारी सरकार इसी प्रणाली को चलायेगी इसलिये नहीं कि हमारे प्रधान मंत्री उसे पसन्द करते हैं बल्कि इसलिये कि वह उससे अपना पीछा नहीं छुटा पाते । यदि हमें समाजवादी ढंग पर समाज का निर्माण करना है तो हमें इस प्रणाली को अवश्य समूल नष्ट करना पड़ेगा नहीं तो चाहे हमारे देश मे प्रधान मंत्री कोई भी रहे, ऐसे ही २० व्यक्तियों का शासन होगा । हमें उनकी चुनौती से भयभीत नहीं होना चाहिये क्योंकि अमरीका, और चीन में मज़दूरों ने भी सारा उत्तरदायित्व संभाला है ।

हमारे प्रधान मंत्री ने रूस के बारे में बताया कि वहां पर प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगीकरण हो गया है । वहां कर्मचारी बहुत जोश से काम करते हैं । लोगों की आय भी अच्छी है । कारखानों के साथ ही विश्रामघर भी बने हैं जहां लोग आराम करते हैं । हमारे राष्ट्रपिता की हत्या एक प्रबन्ध अभिकर्ता के द्वारा ही हुई थी पर अभी तक हमारी सरकार उस मकान का अधिग्रहण एक स्मारक बनवाने के लिये नहीं कर सकी है ।

विशेषतया मेरा सम्बन्ध चीनी उद्योग से रहा है । लाभांश के लिये प्रतिवर्ष हमें प्रबन्ध अभिकर्ताओं से झगड़ना पड़ता था । संतुलन-पत्र प्रकाशित अवश्य किये जाते हैं पर वे जाली और झूठे होते हैं । प्रबन्ध अभिकर्ता लाखों रुपये खा जाते हैं और अंशधारी तथा मज़दूर बेचारे घाटे में रहते हैं । संतुलन-पत्र प्रकाशित करने की व्यवस्था के साथ यह व्यवस्था नहीं है कि उन पर मुक़दमा कौन चलाये । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में कम से कम यह व्यवस्था अवश्य कर दी जाय कि यदि संतुलन-पत्र झूठा है तो कार्मिक संघ मुक़दमा चला सके और मज़दूरों को अंश ख़रीदने का भी अधिकार होना चाहिये ।

यह प्रबन्ध अभिकर्ता अनेकों प्रकार से अंशधारियों को धोखा देते हैं । कुछ वर्ष पूर्व चीनी ५० या ७० रुपये मन तक बिकी थी पर किसी भी समवाय ने ३० रुपये या ४० रुपये मन से ज्यादा अपने लेखाओं में नहीं दिखाया । अधिकतर माल उन्होंने अपने सम्बन्धियों को बेचा । इस चालबाज़ी को बेनामी लेनदेन कहते हैं ।

भाण्डार कक्ष में किस प्रकार धन हड़पा जाता है । यह सब को पता है । एक बात और ध्यान देने लायक़ है कि यह प्रबन्ध अभिकर्ता अब उद्योग में बिल्कुल भी धन नहीं लगाते । उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम तभी अदा किया जाता है जब कारखाने की चीनी बिक जाती है । खड्डा और पडटौना के कारखानों में तो मज़दूरों को ६ महीने की मजूरी तक नहीं मिली । इस प्रकार उत्तर प्रदेश के चीनी के

कारखाने मज़दूरों के धन पर चलाये जाते हैं ।

यह प्रबन्ध अभिकर्ता समवाय के बड़े बड़े पदों पर केवल अपने सम्बन्धियों को ही नियुक्त करते हैं । उनमें यह भी भावना भर गई है कि पंजाबी लोग पंजाबी को रखते हैं और मारवाड़ी मारवाड़ वाले को ।

झूठे संतुलन-पत्रों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस काम में लेखापालों और लेखापरीक्षकों का भी हाथ रहता है । अतः यदि झूठे संतुलन-पत्रों का कोई मामला पकड़ा जाय तो समवाय के प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साथ साथ लेखापालों और लेखापरीक्षकों को भी बराबर सज़ा दी जानी चाहिये क्योंकि यदि वे चाहें तो यह झूठे संतुलन पत्र तैयार ही न होने पावें ।

अब समय नहीं है अन्यथा मैं आपको बताता कि किस प्रकार यह प्रबन्ध अधिकर्ता धन हड़पते हैं । फर मैं यह कहूंगा कि यदि हमें समाज को समाजवादी ढांचे पर खड़ा करना है तो इस प्रणाली को अवश्य समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री सारंगधर दास (ढैंकानाल––पश्चिम कटक) : सभा में कुछ लोगों ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं की प्रशंसा इसलिये की है कि उन्होंने भारत में उद्योगों की जड़ जमाई है। मैं भारत में औद्योगिक विकास के इतिहास की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताना चाहता हूं ।

१९ वीं शताब्दी में भारत में उद्योग नहीं था । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से वस्त्र उद्योग चलने लगा। अंग्रेज़ इस प्रकार के भारतीय उद्योग के विरुद्ध थे । उन्होंने बहुत सी बाधायें पैदा कीं पर स्वदेशी आन्दोलन ने इस उद्योग के पैर मज़बूत कर दिये ।

किसी भी उद्योग के विकास के लिये पूंजी और श्रम ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं का भी बहुत महत्व रहता है । यदि भारतीय वस्त्र उद्योग का १९०६ या १९०७ से भारतीय उपभोक्ताओं ने साथ न दिया होता तो वह कभी का मर गया होता । अतः यह कहना ग़लत है कि इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने इन उद्योगों की जड़ जमायी ।

चीनी उद्योग के सम्बन्ध में भी जावा की चीनी पर बहुत अधिक शुल्क लगाये जाने के कारण यहां की चीनी उद्योग को संरक्षण मिला इसके अलावा यहां के उपभोक्ताओं ने भी इस उद्योग को संरक्षित रखने के लिये करोड़ों रुपये प्रति वर्ष दिया है ।

इसके अतिरिक्त एक बात और है कि यदि इन चीनी की मिलों के प्रबन्ध अभिकर्ता होशियार होते तो वे उत्तर प्रदेश और बिहार में ये कारखाने स्थापित न करते क्योंकि यहां की जलवायु गन्ने की पैदावार के लिये अनुकूल नहीं । और मैं यह भी कहता हूं कि इन उद्योगों को भविष्य में महाराष्ट्र और मद्रास ले जाना पड़ेगा । अतः यदि वे होशियार होते तो ऐसा न करते ।

कपड़े के छोटे छोटे व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल देख कर वहां छोटे छोटे कारखाने स्थापित कर दिये । कई स्थानों पर कई कई कारखाने स्थापित हो गये और उनमें प्रतियोगिता बढ़ गई जिससे उनको काफी मात्रा में गन्ना भी नहीं मिल पाता था । उसके अवाला उन्हें इतना कम गन्ना मिलता था कि उसका रस निकालने के बाद बेकार के हिस्से (थोई) से उनकी काम भर की भाप भी तैयार नहीं हो पाती थी और उन्हें जलाने की लकड़ी तथा कोयले का प्रयोग करना पड़ता था । इतने कुशल ये प्रबन्ध अभिकर्ता थे ।

वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग दोनों में लोगों ने खूब फायदा कमाया । पर कैसे ? वस्त्र उद्योग में बंगाल का कोयला न मंगा कर दक्षिण अफ्रीका से कोयला मंगाते थे ।

[श्री सारंगधर दास]

यह उनकी देशभक्ति थी । चीनी के उद्योग में १९३६-३७ में गन्ने का भाव ५ आने प्रति-मन था और मज़दूरों को ४ आना प्रतिदिन मजूरी दी जाती थी । उत्पादकों तथा गन्ना पैदा करने वालों--दोनों पर संरक्षण प्रशुल्क लगाया गया था । बाद में गन्ने का भाव प्रथम कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया । इस प्रकार केवल संरक्षण के कारण ही चीनी उद्योग नहीं बढ़ा बल्कि इसमें लाभ इसलिये हुआ कि मज़दूरों को तथा गन्ना उत्पादकों को कम मजूरी और कम दाम दिया गया । अतः मैं चाहता हूं कि इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय ।

दुर्भाग्यवश हमारी सरकार के बारे में कहा जाता है कि इस बात से डरती है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को हटाने से उनके स्थान की पूर्ति नहों हो सकेगी --वास्तव में वह निहित स्वार्थों से डरती है और इसी का यह परिणाम है कि यह इस प्रणाली को अभी और आगे के लिये चलने दे रही है । १९६० में इस का पुनर्विलोकन किया जायगा । मैं यह बताना चाहता हूं कि अब वह दिन नहीं रहे जब श्रम को अप्रतिभ और अक्षम समझा जाये । मैं स्वयं बहुत-सी व्यापार-संस्थाओं में रह चुका हूं और मुझे मालूम है कि ये तथा-कथित प्रबन्ध अभिकर्ता इतने कुशल नहीं जितने कि वे समझे गये हैं । इन्होंने इन संस्थाओं की वित्त-व्यवस्था संभाल रखी है और यही कारण है कि वे तैयार हुये माल को बेचकर पैसा बटोर लेते हैं--वे उन ही वितरकों को अपना माल बेचने के लिये देते हैं जो उनके अपने सम्बन्धी हों । १९५०-५१ के चीनी संकट में भी यही बात हुई थी । चीनी गोदामों में भरी पड़ी थी और देश भर में इसका अभाव था जिस के परिणामस्वरूप चीनी का भाव १०० रुपये प्रति बोरी या ५० रुपये प्रति मन तक बढ़ा । ऐसा करने में वे न केवल व्यापार पर आधिपत्य जमा लेते हैं बल्कि रसायनल प्रौद्योगिक, आदि शिल्पिकों के पद अपने सम्बन्धियों के लिये ही रक्षित कर लेते हैं । होता ऐसा है कि आज वे किसी शिल्पिक को किसी पद पर लेते हैं और उसके साथ में अपने किसी सम्बन्धी को काम पर लगाते हैं और तीन चार महीने बाद उस शिल्पिक को निकाल बाहर कर देते हैं, क्योंकि तब तक उनके सम्बन्धी ने वह काम सीख लिया होता है । इस तरह उनके परिवार का आधिपत्य बना रहता है, यद्यपि देश के हित और उस उद्योग को भारी धक्का लग जाता है । अब यह कहा जा सकता है कि मालिक या वह सम्बन्धी बहुत कुशलतापूर्वक काम चला सकता है, अतः उसे ही क्यों न रखा जाय । लेकिन यहां सोचने की यह बात है कि वह काम किसी नवसिखिये से इतनी कुशलता से नहीं हो सकता । आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि भाई-भतीजों को शिल्पिक और अ-शिल्पिक पदों पर नियुक्त करके किस प्रकार कारखानों में क्षमता और कुशलता का स्तर गिर गया है । अतः प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के विरुद्ध यह आरोप भी है । यदि इतना समय होता तो ज़मींदारी प्रणाली की तरह इस बुराई को भी जड़ से उखाड़ फैंकता । मेरा अनुभव है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता अतः मैं कुछ एक रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं । पहला यह सुझाव है कि यदि सरकार इस प्रणाली को पांच वर्षों में समाप्त करना चाहती है तो तुरन्त ही औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रबन्धकों और शिल्पियों की एक पदाली बनाई जाय और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाय ताकि वे प्रबन्ध अभिकर्ताओं का स्थान ले सकें । इस से वह कमी दूर हो जायगी जिससे सरकार डरती रही है । पुनः मेरा यह अनुरोध है कि विधेयक के पारित होते ही इस प्रशिक्षण पदाली को प्रारम्भ किया जाय ।

यहां कई मित्रों ने स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना के लिये अनुरोध किया है जो समवायों के कार्यों की जांच किया करे । किन्तु मैं इस से सहमत नहीं । मेरा विश्वास है कि सरकार को यह शक्ति मिलनी चाहिये ताकि उसे इसके लिये उत्तरदायी ठहराया जा सके । हम औद्योगिक वित्त निगम, दामोदरघाटी निगम, हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी, आदि से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते । हम यहां संसद् में रहते हुये उनके कार्यों पर चर्चा नहीं कर सकते, और अपनी आलोचना का प्रभाव उन पर डाल नहीं सकते । इसीलिये मैं चाहता हूं कि सरकार का पूरा दायित्व हो और वह लाल फीताशाही को दूर रखने में सावधान रहे, क्योंकि अब हमारा अपना राज्य है और ऐसी बातों का उपचार हमारी सरकार का दायित्व है । इस बात के लिये जल्दी करना आवश्यक है क्योंकि जैसा लोग कहते हैं सरकार की लाल फीताशाही ही इन सब बुराइयों की जड़ में है । और अब चूंकि सरकार ये सारे काम संभाल रही है और सरकारी उपक्रम बना कर कम्पनियों के कार्य पर नियंत्रण कर रही है तो ये सारे काम व्यावहारिकता के साथ व्यापारियों की तरह किये जाने चाहिये । खोले जाने वाले इस नये विभाग में लाल फीताशाही नहीं होनी चाहिये इसे बहुत जल्दी में काम करना चाहिये, न किसी को परेशान करना चाहिये और न किसी से पक्षपात करना चाहिये । इस विभाग में भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद भी नहीं होना चाहिये । यह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है जो बहुत ही सावधानी के साथ, बिना कोई देर किये, वित्त मंत्रालय को निभाना होगा ।

श्रीमान्, मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में, हर निर्माण करने वाले समवायों की प्रबंध व्यवस्था के लिए प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सेक्रेटरियों (सचिवों) या कोषाध्यक्षों की भी कोई आवश्यकता नहीं । यदि वित्त मंत्रालय की यह नई शाखा कुशलता से काम करने लगी तो यह छोटे-छोटे समवाय-समर्थकों को प्रचार-प्रसार, आदि द्वारा इन बातों की शिक्षा भी दे सकती है । वास्तव में, इस नये विभाग को छोटे समवायों का मित्र-हितैषी बन कर काम करना होगा ताकि इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद इसके असंख्य उपबन्धों से उन्हें कोई बाधा न हो और वह हर कोई बात समझ सके । केवल यही विभाग उस कमी को पूरा करेगा जो निदेशकों, आदि के ले जाने से पैदा होगी । प्रत्येक निदेशक अपने अपने विभाग का दायित्व संभालेगा, महीना भर के वेतन पर काम करेगा और ऐसा करने से प्रबन्ध अभिकर्ताओं की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी ।

श्री आल्तेकर : श्रीमान्, संशोधन और संचयन के बाद इस समवाय विधि पर राज्य की आर्थिक नीति का अवश्य प्रभाव पड़ेगा । इसे किसी भाव या विचार के रूप में नहीं समझा जा सकता । हमें इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा कि समवाय किस प्रकार चलाये जाते हैं, पूंजी कहां से आती है, पूंजी विनियोजन किस प्रकार होता है, समवाय-कार्यों की व्यवस्था किस प्रकार होती है, मुनाफ़े कैसे कमाये जाते हैं और उनका वितरण किस प्रकार होता है । इस विधेयक को बनाते समय हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि समवाय उसी प्रकार काम कर सके जो राज्य की आर्थिक नीति से संगत हो । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि समवाय विधि में केवल अंशधारियों और प्रबन्ध-व्यवस्था के बीच सम्बन्ध पर विचार किया गया है । डा० कृष्णस्वामी ने कोहेर समिति के विचार प्रकट किये और भाभा समिति रिपोर्ट में भी उन को ही उद्धृत

[श्री आल्तेकर]

किया गया था जिन का यह तात्पर्य था कि उत्पादन के साधन कुछ लोगों के पास ही नहीं रखे जायें, और आय को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिये । उन्होंने और उद्धरण भी दिये हैं और कहा है कि यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि सरकार की आर्थिक नीति का निष्पादन समवायों के माध्यम से ही होगा अथवा नहीं । हमें यह देखना है कि समवाय विधि अपने में एक उद्देश्य पूर्ति नहीं अपितु उद्देश्यपूर्ति का एक साधन है । हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जो औद्योगिक नीति घोषित कर चुके हैं, वह इस विधि से आगे बढ़े । मैं चाहता हूं कि यह विधेयक हमारी आर्थिक नीति के अनुसार हो ।

हम यह भी चाहते हैं कि ग़ैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को उन्नति करने का अवसर मिले । औद्योगिक नीति संकल्प में यह भी बताया गया है कि यदि सभी उद्योगों की गति तीव्र हो और उन से देश भर का उद्योगीकरण हो तो हमें सभी उद्योगों को ऐसी स्थिति पर पहुंचाना होगा कि वे अपना अंश दे सकें और उसमें काम कर सकें । इसी दृष्टिकोण से हम यह विधेयक बना रहे हैं । हमारा केवल यही दृष्टिकोण नहीं । हमारे औद्योगिक विकास में ग़ैर सरकारी क्षेत्र को भी हिस्सा बटाना है, और हमें देखना है कि वह यह काम पूरा कर ले । हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि शक्ति का दुरुपयोग न हो—हो सकता है कि कुछ निर्बन्धन या सीमायें हों, लेकिन वे दुरुपयोग को दूर करने के लिये होंगी । प्रायः यह कहा जाता है कि ये निर्बन्धन और रुकावटें उद्योग के रास्ते में रोड़ा अटका रही हैं, और इससे बहुत बाधायें होंगी । यहां मुझे अपने कालिज के ज़माने की एक घटना याद हो आती है जब किसी आयोजन में हमारे प्रिंसिपल ने कहा था कि अनुशासन और सदाचरण से काम लिया जाना चाहिये । फिर उन्होंने कहा कि सज्जन तो ऐसा 'करेंगे' ही, और दूसरों को करना पड़ेगा । जो लोग ईमानदार हैं और ईमानदारी के तरीक़ों से काम लेना चाहते हैं उन को कोई कठिनाई नहीं होगी कठिनाई केवल उनको मालूम होगी जो उचित हो या अनुचित सभी प्रकार से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं । ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना ही इस विधान का मूल अभिप्राय है । इसके कुछ उपबन्ध कठिनाई पैदा करने वाले हो सकते हैं । हमें ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहते हुये काम करना है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने ईमानदार नहीं हैं इस लिये कुछ न कुछ कठिनाई तो रहेगी ही । ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने के कारण अच्छे व्यक्तियों को भी हानि उठानी पड़ती है । इस लिये जो थोड़े बहुत नियंत्रण लगाये गये हैं वह सभी पर लागू होंगे ।

अब हमें देखना यह है कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार करेंगे । पारिश्रमिक को घटाकर १० या ११ प्रतिशत कर देने का परिणाम यह होगा कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के भारी भारी मुनाफ़े कम हो जायेंगे और अंशधारियों को मिलने वाले लाभांश बढ़ जायेंगे । इस प्रकार अंशधारियों और प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बीच लाभ के वितरण में सुधार होगा । लाभ की भारी भारी राशियां थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित नहीं होंगी ।

पहले होता यह था कि जब कोई समवाय स्थापित किया जाता था तो समवाय स्थापित करने वालों के नाम कुछ आस्थगित अंश जारी किये जाते थे । यह सम्पूर्ण रूप से परिदत्त अंश होते थे और इन के लेने वालों को असम, व्यनुपाती तथा उच्च कोटि के मता-

धिकार सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होते थे । पहले यह समझा गया था कि पूंजी इकट्ठा करने का यह अच्छा ढंग था क्योंकि ऐसे अंशधारियों को लाभांश बाद में देना होता था । परन्तु बाद में यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार हित की अपेक्षा अहित ही अधिक हुआ था । इस लिये भाभा समिति तक ने सिफारिश की कि इस प्रकार के आस्थगित अंश केवल तभी जारी किये जाने चाहिये जब कि उस प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय प्राधिकार इस के लिये सहमत हो । मूल विधेयक में खण्ड ८१ के अन्तर्गत ऐसी सहमति देने का अधिकार सरकार को दिया गया था । अब हम ने ऐसे अंशों के जारी किये जाने का उपबन्ध ही समाप्त कर दिया है । इस प्रकार उन लोगों को लाभ की भारी भारी राशियों से वंचित कर दिया गया है साथ ही साथ नियंत्रण भी उन के हाथ से ले लिया गया है ।

प्रबन्धकों तथा निदेशकों की संख्या को कम कर के हम बराबर बराबर वितरण की आर्थिक नीति के उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं ।

हम बड़ी तीव्र गति से अपने देश का औद्योगीकरण करने जा रहे हैं । हम अपनी राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं । इस लिये हम प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की बुराइयां इस प्रकार दूर करनी चाहिये ताकि उत्पादन की मात्रा में कोई अन्तर न पड़े । साथ ही साथ हमें ऐसे उपबन्ध भी रखने चाहिये जिन से प्रबन्ध अभिकरण की इस प्रणाली को समाप्त किया जा सके । ऐसी ही सब बातों का विचार कर के इस विधेयक के उपबन्ध तय्यार किये गये हैं । आज की वस्तुनिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ही हमें इस विधेयक पर विचार करना चाहिये । इस प्रणाली के सब से कटट्र विरोधी 'बम्बई अंशधारी संस्था' ने भी अपने साक्ष्य में कहा था कि इस प्रणाली को तत्काल समाप्त नहीं किया जाना चाहिये । इस का एक कारण यह भी है कि विधान तो तत्काल लागू किया जा सकता है, परन्तु वह पूरा सरकारी संगठन इतनी जल्दी नहीं तैयार किया जा सकता है जिसकी कि आवश्यकता इस से सम्बन्धित विषयों पर विचार करने और विनिश्चय करने के लिये होगी । समवायों को भी किसी वैकल्पिक प्रबन्ध पर विचार करना पड़ेगा । यह सब काम तभी हो सकते हैं जब कि कम से कम तीन वर्ष अर्थात् १५ अगस्त, १९६० तक का समय मिले जैसा कि इस विधेयक में उपबन्धित किया गया है ।

साथ ही साथ एक और बात विचार करने योग्य यह ह कि जो लोग रुपया लगाने के लिये आगे नहीं आते है उन्हें इस काम के लिये प्रेरित करने की आवश्यकता है । हाल ही में बम्बई में दो समवाय स्थापित किये गये हैं इनकी पूंजी का आधा भाग प्रबंध अभिकरणों को विनियोजित करना पड़ा है । इस लिये जब तक विनियोजन के समुचित स्रोत न मिल जायें इस प्रणाली को तत्काल समाप्त करना उपयोगी नहीं होगा । बम्बई अंशधारी संस्था का भी कहना है कि हमको यह काम इस प्रकार करना चाहिये, कि नये समवायों के आरम्भ होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

कहा जाता है कि सरकार अपने हाथ में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां ले रही है । कलकत्ते के बहुत से यूरोपीय प्रबन्ध अभिकरण समवाय अपने अंश भारतीय समवायों को हस्तान्तरित कर रहे हैं । परन्तु वे केवल ७४ प्रतिशत अंश दे रहे हैं । और २६ प्रतिशत अपने पास रख रहे हैं । इसका कारण यह है कि २६ प्रतिशत अंश अपने पास रख कर वे यह चाहते हैं कि

[श्री आल्तेकर]

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली उन के हाथ से न निकलने पाये क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब ७५ प्रतिशत के बहुमत से एक विशेष संकल्प पारित किया जाये । ऐसे ही अवसरों के लिये इस विधेयक में यह उपबन्ध बनाये गये हैं और अंशधारियों के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है ।

आवश्यकता इस बात की है कि रुपये जमा करने वालों के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाये । इस सम्बन्ध में जो उपबन्ध बनाये गये हैं उनमें मूल विधेयक की देखते हुये कुछ सुधार अवश्य किया गया है परन्तु इतना संरक्षण पर्याप्त नहीं है । एक उपबन्ध यह बनाया गया है कि यदि भारी अग्रिम राशियां देनी हों तो एक सामान्य बैठक में अंशधारियों की सहमति प्राप्त की जाये । अंशधारी अपने हितों की रक्षा करेंगे न कि रुपया जमा करने वालों की । इसी प्रकार खण्ड १०३ में उपबन्ध किया गया है कि जब पूंजी कम की जाय तो सदस्यों को ऋणों का भुगतान करने के लिये अपनी जेब से उतना रुपया देना होगा जितना कि मूल पूंजी और घटी हुई पूंजी का अन्तर हो । मेरा सुझाव यह है कि यदि वे निर्धारित सीमा से अधिक डिपाज़िट ले रहे हों तो उस हद तक उन पर व्यक्तिगत रूप से उस का दायित्व रखा जाये । मेरा एक और सुझाव यह है कि ऋण-पत्र-धारियों और प्रभार-धारियों की भी एक पंजी रखी जाये जिस को इच्छानुसार देखने का उन्हें अधिकार प्राप्त हो । रुपया जमा कराने वालों के हितों की और भी अधिक रक्षा किये जाने की आवश्यकता है इस लिये ऋण-पत्रधारियों तथा प्रभारधारियों के समान उन्हें भी सन्तुलन पत्रों और पंजी को देखने का अधिकार होना चाहिये । इसलिये सरकार ने अपने हाथ में बहुत सी शक्तियां रखी हैं । एक ऐसा भी उपबन्ध होना चाहिये था कि जब तक निर्धारित सीमा से अधिक रुपया उधार लेने का अधिकतर पंजीयक द्वारा न दिया जाये अग्रेतर डिपाज़िट न लिये जायें ।

सरकार ने समवायों के दैनिक कार्यकरण उन के प्रबन्ध और निरीक्षण के सम्बन्ध में बहुत बड़ी शक्तियां अपने हाथ में ली हैं । २९,००० से अधिक समवाय हैं और प्रति वर्ष १००० और नये समवाय स्थापित होंगे । इस लिये इस कार्य को प्रभाव पूर्ण रीति से करने के लिये सरकार के पास एक सुदृढ़ संगठन होना चाहिये । सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो विधान बना रहे हैं उसका प्रभावपूवक, उचित रूप से और अविलम्ब परिपालन किया जाये । हम जानते हैं कि पहले दशा ऐसी थी कि पंजीयक के पास जो कागज़ भेजे जाते थे उन्हें वह भली प्रकार देख भी नहीं पाता था ? ऐसी स्थिति अब नहीं होनी चाहिये । इस लिये केवल मंत्रणा समिति की उपबन्ध बना देने ही से कुछ काम नहीं चलेगा । इस के लिये आवश्यक है कि इस विभाग को जो काम सौंपा जाय उसे वह कुशलतापूर्वक करे ।

श्री गोपाल राव (गुडीवाड़ा) : हमारे विधान सम्बन्धी इतिहास का यह सब से बड़ा विधेयक है । जहां तक मैं समझता हूं इस विधेयक का प्रयोजन औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाली सभी संस्थाओं के कार्यों का विनियमन निदेशन तथा नियंत्रण करना है ।

जब हमने सरकारी और ग़ैर सरकारी, दोनों प्रकार के क्षेत्रों की मिली जुली अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लिया है तो ग़ैर सरकारी क्षेत्र पर सरकार का कुछ न कुछ नियंत्रण तथा निदेशन होना आवश्यक है । हमारा उद्देश्य यह है कि शक्ति का केन्द्रीकरण कुछ एकाधिकारियों तथा प्रबन्ध अभि-

करणों के हाथ में न होने पाये जिन्होंने कि बहुत सी वित्तीय संस्थाओं के साथ घनिष्ट तथा पुराने सम्बन्ध स्थापित कर रखे हैं । इसमें सहयोग का प्रश्न तभी उठ सकता है जब कि दूसरा पक्ष भी इस विधेयक के तात्कालिक उद्देश्य को स्वीकार करता हो । इस लिये यहां प्रश्न सहयोग का इतना नहीं है जितना कि नियंत्रण का है । प्रश्न यह है कि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत निजी क्षेत्र को किस सीमा तक विकसित होने की अनुमति दी जा सकती है । अब हमें देखना यह है कि क्या इस विधेयक के उपबन्ध हमारे घोषित उद्देश्य के अनुकूल हैं । इस समय नीतियों तथा सिद्धान्तों का प्रश्न नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या कोई उद्देश्य होना चाहिये जिस पर कि इसे आधारित किया जाये । इसी लिये संयुक्त समिति के सिद्धान्तों का सूक्ष्म परीक्षण करना पड़ा था ।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े विधेयक में मजूरों का कहीं उल्लेख भी नहीं है । इस लिये इस विधेयक में एक नया खण्ड रखा जाये जिसके द्वारा उत्पादन में सब से महत्वपूर्ण कार्य करने वाले मुख्य तत्व को, अथात् मजूरों, टेकनिकल तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों को भी समवाय के प्रबन्ध में स्थान दिया जाये । ऐसा करने से गैरसरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों पर हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा । उनकी प्रतिशतता क्या यह खंडवार विचार के समय निश्चित की जा सकती है । इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात केवल इतनी है कि ऐसा न हो कि निदेशक बोर्ड में केवल हां में हां मिलाने वाले ले लिये जायें और उन के चुनाव या निर्वाचन में सतर्कता से काम लिया जाये ।

मेरा एक सुझाव यह है कि खण्ड २६४ में दो तिहाई संचालकों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध बनाया गया है उसे सब समवायों के लिये अनिवार्य कर दिया जाये । इसके विरुद्ध एक तर्क यह रखा गया है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के होने से कोई एकता नहीं रहेगी और व्यापार की सफलता के लिये खतरा रहेगा । ऐसी समस्यायें हो सकती हैं जिन के सम्बन्ध में विभिन्न संचालकों में मतभेद हो परन्तु जो विनिश्चय किये जायेंगे वह बहुमत से किये जायेंगे और उनका परिपालन किया जायेगा । यह तो शक्तिशाली गुट्ट बहुमत के नाम पर अपना आधिपत्य जमाये रहते थे और स्वेच्छाचारिता से काम लेते थे तथा उचित अनुचित हर प्रकार के काम किया करते थे । इस प्रकार उस पर एक अंकुश लग जायेगा और अंशधारियों के हितों की भी रक्षा होती रहेगी ।

अब प्रश्न यह है कि इस विधि के प्रशासन के लिये कैसा प्राधिकार हो । संविहित बोर्ड के मैं इस लिये पक्ष में नहीं हूं कि अनुभव और विशेष ज्ञान के नाम पर कुछ व्यक्ति उसमें रख दिये जायें और उस बोर्ड को बड़ी बड़ी शक्तियां सौंप दी जायें और इस सभा को यह अधिकार भी न हो कि उसे रोक सके । दूसरा रास्ता यह है कि वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत एक सरकारी विभाग बनाया जाये । मंत्रालय ही तो काफी समय से अपने कृत्यों के पालन में असफल रहा है अर्थात् जो जो भ्रष्टाचार आदि वहां चलते रहे हैं उन्हें रोक नहीं सका है । यदि उसी मंत्रालय के किसी विभाग को इस विधि की व्यवस्था का भार सौंपा गया तो मैं नहीं कह सकता कि वह कहां तक उसे ठीक ढंग से चला सकेगा । किसी भी तरह से तीसरा कोई विकल्प इन अवस्थाओं में प्रतीत ही नहीं होता । मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे कर्मचारियों का इस प्रयोजन के लिये चुनाव करें जिनमें राष्ट्रीय सेवा का भाव कूट कूट कर

[श्री गोपाल राव]

भरा हुआ हो न कि वे केवल वेतनों के ही पीछे पड़े रहने वाले हों। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण की समाप्ति के समय कतिपय आश्वासन देने का प्रयास किया था और कहा था कि वह समस्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे भी वास्तव में यही भय है कि इन शक्तियों का प्रयोग ही नहीं किया जायेगा। यहां प्रश्न यह नहीं है कि शक्तियों का प्रयोग लोगों को तंग करने के लिये किया जायेगा—बल्कि प्रश्न यह है कि इन शक्तियों का प्रयोग किया ही नहीं जायेगा। बड़े बड़े लोगों पर जब किसी विधि के लागू करने का प्रश्न होता है तो उनको छूने से पहले ये लोग बार बार सोचते हैं। इसीलिये जानबूझकर ये विलम्ब किये जा रहे हैं। फिर भी मैं आशा करता हूं कि नये विभाग द्वारा नयी परम्परायें स्थापित की जायेंगी।

जहां तक प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का प्रश्न है, इसके बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि दूसरे सदस्यों ने पहले ही इसके बारे में बहुत कुछ कह दिया है। यदि माननीय वित्त मंत्री हमें इस प्रणाली के गत दस वर्षों के कार्य का ब्यौरा भी देते तो यह विवाद उत्पन्न ही न होता। इस प्रणाली से फैले भ्रष्टाचार तथा इस प्रणाली की सफलतायें बताई जानी चाहियें थी। माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली औद्योगिक विकास के लिये एक वरदान सिद्ध हुई है और भविष्य में भी होगी, किन्तु उन्हें इस बात को कतिपय तथ्यों से प्रमाणित करना चाहिये था।

इस लिये जब तक हमारे सामने एक ऐसा तुलनात्मक विवरण न हो, जिसमें यह दिखाया गया हो कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली ने उद्योगों तथा समवायों के लिये अमुक कार्य किये हैं तथा इसमें अमुक खराबियां हैं तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यदि माननीय मंत्री हमारे सामने कोई ऐसा वस्तुनिष्ठ विवरण उपस्थित न करते तो तुरन्त ही कह सकते थे कि इस संस्था को अभी समाप्त कर दिया जाये।

यद्यपि हमारे वित्त मंत्री इस प्रणाली के बनाये रखे जाने पर ज़ोर देते रहे हैं किन्तु उन्होंने इस प्रणाली की एक भी सफलता हमारे सामने बयान नहीं की है। जो व्यक्ति इस प्रणाली की हिमायत करे उसे चाहिये था कि वह सभा में इसकी प्रणाली की सफलताओं का वर्णन करता। किन्तु जहां तक इस प्रणाली से उत्पन्न भ्रष्टाचारों तथा खराबियों का सम्बन्ध है, उनके पास ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे। उन्होंने ३ मई, १९५४ को कहा भी था कि इस प्रणाली से उत्पन्न भ्रष्टाचारों के बारे में उनके पास पर्याप्त सामग्री थी—किन्तु वह कोई कार्यवाही करने में असमर्थ थे—इसी कारण से यह सब विवाद उठा है।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की समाप्ति का पक्षपाती हूं। मेरे विचार में जब माननीय मंत्री यह कहते हैं कि यदि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का उत्पादन कर दिया गया तो किसी वैकल्पिक प्रणाली के न होने से उद्योगों के विकास को धक्का लगेगा, तो वह अतिश्योक्ति से काम लेते हैं। इसी आधार पर वह इस प्रणाली को पांच वर्ष का और समय देना चाहते हैं। उन्होंने गत २५ वर्षों में सब कुछ देख लिया है, अतः यदि वह चाहते हैं कि इस समस्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये तो उस प्रणाली को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

इसके बाद, एक यह बात भी है कि अब भारत सरकार स्वयं औद्योगिक वित्त के मामले में रुचि ले रही है। इस कार्य के लिये कितने ही अभिकरण बनाये गये हैं। राज्य

बैंक है, औद्योगिक वित्त निगम है—दूसरे ग़ैर-सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को भी औद्योगिक व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव है और फिर सरकार उनके प्रशिक्षण के काम को भी हाथ में ले रही है। अतः इन सब बातों पर विचार करते हुये, मैं यह समझता हूं कि अब प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अब जहां तक पारिश्रमिक का सम्बन्ध है, यह उपबन्ध किया गया है कि शुद्ध लाभ का ११ प्रतिशत प्रबन्ध अभिकर्ता लें और यदि लाभ न हो तो ५०,००० रुपये वह लें । यह रक़म बहुत ही अधिक है इसलिये इसे कम किया जाये । दूसरों के कहने पर माननीय मंत्री भी कहने लगे हैं कि थोड़ा देने से उनका काम नहीं चलेगा और उद्योगों को हानि पहुंचेगी । मेरे विचार में देश का औद्योगिक विकास प्रबन्ध अभिकर्ताओं या प्रबन्ध अभिकरणों को दिये गये धन पर निर्भर नहीं करता है । इसकी कोई सीमा होनी चाहिये । मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को चार लाख रुपया पारिश्रमिक मिल रहा है, यह अत्यधिक है । इसलिये इस सम्बन्ध में कड़े से कड़े उपबन्ध होने चाहियें ।

मैं समझता हूं कि खण्ड १९७ में और सुधार किया जाना चाहिये और पारिश्रमिक इस प्रकार दिया जाना चाहिये कि यदि लाभ अधिक हो तो पारिश्रमिक कम हो, जैसे १० लाख पर १० प्रतिशत तक १५ लाख पर ५ प्रतिशत तक आदि आदि ।

मैं तो इससे भी आगे यह बात कहना चाहता हूं कि इन लाभों की भी कुछ सीमा होनी चाहिये । एक सीमा से अधिक के लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार में आ जायें ताकि उनका वांछनीय एवं उचित उपयोग अन्य उद्योगों के विकास के लिये किया जा सके ।

अब प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति अथवा सार्थ के अधीन कितने प्रबन्ध अभिकरण होने चाहियें । इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि जितनी कम संख्या होगी उतना ही अधिक ठीक काम चलेगा और उतनी ही अधिक सुरक्षा रहेगी ।

अब अंश धारियों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें वार्षिक सम्मेलनों में सम्मिलित होने का प्रोत्साहन दिया जाये ताकि वह अपने उत्तरदायित्व को समझें।

श्री जे० आर० मेहता (जोधपुर) : मैं अधिक कुछ न कह कर कतिपय बातों के बारे में संक्षेप से ही कहूंगा । मैं अपने साथियों के दृष्टिकोण से सहमत हूं कि यह विधेयक बहुत विस्तृत तथा उलझा हुआ है ऐसे उलझे हुये और पेचीदा विधानों का परिणाम यह होता है कि धनवान तो बच निकलते हैं किन्तु छोटे व्यक्तियों को कहीं रास्ता नहीं मिलता है। यह विधेयक इतना उलझा हुआ है कि इससे पहले सब रिकार्ड तोड़ दिये गये हैं । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और इस विधि को सरल बनाने का प्रयास करेंगे ।

मैं यह कहूंगा कि मैं इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य से सहमत हूं कि समवाय प्रबन्ध को ठीक ठीक किया जाये और कतिपय बुराइयों को दूर किया जाये । इस विधि द्वारा हमें यह भी देखना चाहिये कि जहां तक सम्भव हो आर्थिक शक्ति कुछेक व्यक्तियों के हाथों में ही केन्द्रित न हो जाये जिससे ऐसा न हो कि जनता को हानि पहुंचे । किन्तु अब हमें यह देखना है कि इस विधेयक द्वारा इस उद्देश्य को कहां तक प्राप्त कर सकेंगे । मुझे खेद है कि यह विधेयक अपेक्षा से बहुत कम है ।

इस बात के कहने की आवश्यकता ही नहीं कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली झगड़े की जड़ है । यह प्रणाली १९६०

[श्री जे० आर० मेहता]

तक रहेगी । उसके बाद सरकार चाहे इसे समाप्त करे अथवा कुछ उद्योगों में रखे । किन्तु मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि समस्या को हल करने का यह तरीका ही गलत है । होना यह चाहिये था कि यदि हमारे विचार में यह प्रणाली भ्रष्टाचार उत्पन्न करने वाली रही है तो इसे समाप्त कर दिया जाता और यदि हम अनुभव करते हैं कि यह तरीका उपयोगी सिद्ध होगा तो हमें उसको उपयुक्त संरक्षण देने चाहिये थे । यह जो कार्यवाही सरकार कर रही है वह तो इसी प्रकार की है जैसे कि एक चोर से कहा जाये कि तुम्हें चार वर्ष के बाद फांसी दी जायेगी--तो क्या उसे और अपराध करने का बढावा नहीं मिलेगा ?

यदि रुकावटें तथा प्रतिबन्धों को कड़ा किया जाता तो भी ठीक था और बल्कि जहां तक सम्भव था हमें यह उपबन्ध कड़े से कड़े बनाने चाहिये थे । किन्तु इस विधेयक का जहां तक सम्बन्ध है मेरे विचार में हम बहुत परे चले गये हैं । माननीय मंत्री ने कहा है कि सारी कार्यवाही उद्योग में उपयुक्त व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजन से की गई है --सो तो ठीक है--किन्तु विधि और व्यवस्था के नाम पर पहले क्या क्या नहीं हुआ है ? इस विधेयक में रखे गये बहुत से संरक्षण तथा नियंत्रण व्यर्थ से ही हैं। उदाहरणार्थ आप देखें कि भविष्य में सरकार की आज्ञा के बिना न तो नये प्रबन्ध अभिकरण स्थापित किये जा सकते हैं और न ही उनको सरकार की आज्ञा के बिना नवीकृत ही किया जा सकता है। इन सब बातों का मतलब यह है कि सारी बातें सरकार की इच्छा पर निर्भर हैं। यद्यपि वित्त मंत्री ने कहा है कि वह इस बात को भी देखेंगे कि इस विधि का संचालन ईमानदारी से किया जाये, किन्तु फिर भी ऐसा करना कहां तक सम्भव होगा यह विवादास्पद है--इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होने की बहुत आशंका है । माननीय वित्त मंत्री ने कैडियन राजाओं का जो दृष्टान्त दिया था कि उनके प्रधान मंत्रियों को एक वर्ष में एक व्यक्ति को बिना कोई कारण बताये फांसी देने का अधिकार था, तो उससे भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री इस कार्यवाही पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख सकेंगे । उनके विचार में दृष्टान्त में बतायी गई फांसी के भय की चालाकी कार्य को ठीक तरह से चलाती रहेगी । परन्तु सही तथा ठीक उपचार तो यह था कि हम दोषों को देखते तथा बड़ी बड़ी खराबियों की रोकथाम करते । जो काम हम करने जा रहे हैं वह वास्तव में इतना बड़ा है कि उससे समस्त उद्देश्य के ही नष्ट हो जाने की आशंक होती है । इस विधेयक से मुझे पहले समय के ब्रह्मवाद की याद आती है जिसमें संस्कारों के बोझ से समस्त समाज दबा हुआ था और पैदा होने से मरने तक केवल संस्कारों का ही नियंत्रण रहता था । यह विधेयक मुझे प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के संस्कारों की संहिता सी प्रतीत होती है ।

सरकार द्वारा इतने अधिकार लिये जाने पर मुझे एक खतरे का अनुभव होता है । लोग पहले से ही नियंत्रणों से तंग आ चुके हैं, उन से जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता फैली थी वह लोगों को भूली नहीं है ।

इस विषय का एक और पहलू है जिस पर कि ध्यान दिया जाना चाहिये । इस विधेयक का एक प्रभाव तो यह होगा कि नये प्रबन्ध अभिकरण नहीं बन सकेंगे, इसका परिणाम यही होगा महान् व्यापारियों तथा पूंजीपतियों के पास सब कुछ एकत्रित हो जायेगा । और उन को एकाधिकार सा प्राप्त हो जायेगा ।

इन उपबन्धों द्वारा हमारे उद्देश्य को गम्भीर हानि पहुंचेगी । यदि आप इस सम्बन्ध में गम्भीर हैं तो नये प्रबन्ध अभिकर्ताओं को मैदान में आने दीजिये ताकि इस प्रकार की गड़बड़ी न हो ।

हमें बताया गया है कि केवल सक्षम तथा योग्यता व्यक्ति ही भविष्य में बन्ध अभिकर्ता बन सकेंगे--मैं इसे भी नहीं समझ सका हूं--यदि मेरे मित्र मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रबन्ध अभिकर्ता बनाते हैं तो इसमें क्या बुराई है ? मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार योग्यता तथा क्षमता का परीक्षण किस अधिकार पर करेगी ।

सभा में एक भावना यह भी व्यक्त की गई थी कि इन बातों के बजाये अंशधारियों द्वारा कड़ा निरीक्षण रखा जाना अधिक उचित होगा । इस प्रकार का दृष्टिकोण रखना मेरे विचार से वास्तविकता से आंखें मूदना है देश में स्थान स्थान पर बिखरे हुये अंशधारियों को आप कहां कहां से एकत्रित करते रहेंगे । यह भावना केवल भावुकता पर ही आधारित है । अंशधारियों के निरीक्षण को अधिक प्रभावपूण बनाने के लिये मेरा एक सुझाव यह है कि अनुपस्थित अंशधारियों की आपत्तियां तथा अभ्यावेदनों आदि सब को सामान्य बैठक में पढ़ कर सुनाया जाये तथा उनको उत्तर दिया जाये और लेखापरीक्षक अपने प्रतिवेदनों में उनकी ओर निर्देश करें ।

खंड ४०७ द्वारा सरकार को दो अतिरिक्त निदेशक कुछ सीमित समय के लिये नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है । यह नियुक्ति १० प्रतिशत अंश पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशधारियों के अभ्यावेदन पर किया जा सकता है । मेरा सुझाव है कि इसी प्रकार अभ्यावेदन किये जाने पर एक अतिरिक्त लेखापरीक्षक भी नियुक्त किया जाय ।

यदि हम समस्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रशासनिक लेखापरीक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिये । पहले पहल तो इस प्रणाली को एक करोड़ रुपये का विक्रय करने वाली कम्पनियों तक सीमित रखा जाये, फिर इसे बढ़ाया जा सकता है । कुछ कर्मचारियों सम्बन्धी कठिनाइयां आयेंगी किन्तु फिर भी ऐसा करना ठीक रहेगा ।

मैं खंड ६१४ को पसन्द नहीं करता जिसके द्वारा सरकारी समवायों को इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त कर दिया गया है। मेरे विचार में यह कार्यवाही वांछनीय नहीं हैं । सरकारी समवायों का स्तर गैरसरकारी कम्पनियों के स्तर से अधिक उत्तम होना चाहिये ।

श्री बोगावत (अहमदनगर--दक्षिण) मैं संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक का समर्थन करता हूं कल एक माननीय सदस्य द्वारा कहे गये निन्दनीय वचन सुन कर मुझे बड़ा ही दुःख हुआ था । वह यह समझते हैं जैसे कि ये प्रस्थापनायें संयुक्त प्रवर समिति की नहीं अपितु कांग्रेस पार्टी की है ।

जहां तक प्रबन्ध-अभिकर्ताओं और निदेशकों का सम्बन्ध है, संयुक्त समिति ने तत्सम्बन्धी उपबन्धों में संशोधन किया है । संयुक्त समिति ने उन करोड़पतियों को, जो कि अनेकों बड़े बड़े समवायों के प्रबन्ध-अभिकर्ता हैं, एक अवसर दिया है । ऐसे व्यक्तियों पर कुछ न कुछ नियन्त्रण अवश्य रखा जाना चाहिये ताकि वे अंशधारियों उपभोक्ताओं, सरकार तथा जनता के प्रति कोई धोखा न कर सकें ।

[श्री बोगावत]

हम जानते हैं कि गत युद्ध के उपरान्त इन प्रबन्ध-अभिकर्ताओं ने परिस्थितियों का बड़ा ही अनुचित लाभ उठाया है । क्रय और विक्रय में उन्होंने अनेकों हथकण्डे खेले थे और स्थिति से भरपूर लाभ उठाया था । अतः भविष्य में ऐसी बातों के निवारणार्थ संयुक्त समिति ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को पूर्णतया समाप्त कर देने की अपेक्षा उसे सुधारने का एक अवसर दिया है । इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कहा था कि इसका वास्तविक उद्देश्य तो दुरुपयोगों और त्रुटियों का निवारण करना था, ईमानदार समवायों के प्रबन्ध में रोड़ा अटकाना नहीं था । अतः ईमानदार समवायों को किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं । परन्तु यदि करोड़पति अभिकर्ता यह चाहें कि जैसे वे पहले स्वतन्त्रतापूर्वक मनमानी करते थे, आज भी उन्हें वैसा ही करने दिया जाय तो ऐसा हो नहीं सकता है । आज भी उन्हें वैसे ही अनुचित लाभ उठाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है । वे यह भूल जाते हैं कि उद्योगों से प्राप्त हुआ सारा लाभ श्रमिकों की ही कृपा से प्राप्त होता है

[श्री बर्मन पीठासीन हुये]

वे नहीं चाहते कि श्रमिकों या अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जाय । कल एक सदस्य ने यह कहा था कि यदि ऐसे बन्धन लगाये गय तो देश की अर्थ नीति डांवाडोल हो जायेगी । परन्तु ऐसे व्यक्तियों को भली प्रकार से समझ लेना चाहिये कि अब तो समय देश की सेवा करने का है उन्हें यह भूल जाना चाहिये कि वे भविष्य में १० प्रतिशत से अधिक लाभ उठा सकेंगे । यदि उन्होंने यह नहीं समझा तो सम्भव है कि यह प्रणाली समाप्त कर दी जाये ।

खण्ड ५६ के सम्बन्ध में मैं कह नहीं सकता कि इसे विधेयक में क्यों रखा गया है । इसमें कहा गया है कि विशेषज्ञ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसका समवाय की स्थापना अथवा प्रबन्ध से कोई सम्बन्ध न हो । मैं चाहता हूं कि इस खण्ड को हटा दिया जाय ।

अंशों के किस्मों के सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं ।

अब मैं राज्य सनद प्राप्त लेखापालों से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्धों को लेता हूं । इन समवायों में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति विनियोजित की जाती है परन्तु अब खंड २२५ में यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य सनद प्राप्त लेखापाल का प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जायेगा । मैं चाहता हूं कि राज्य सनद लेखापाल के प्रतिवेदन के अतिरिक्त संतुलन पत्र तथा इसी प्रकार की सभी बातें सभा के सम्मुख प्रस्तुत की जायें जिस से कि हम यह जान सकें सरकारी उपक्रम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं । अम्बरनाथ मशीनी औज़ार फैक्टरी में हम ने करोड़ों रुपये लगाए हैं, अतः इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने की हमारी मांग स्वाभाविक है ।

जहां तक अनुपाती प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, यह देख कर बड़ा हर्ष हुआ है कि संयुक्त समिति द्वारा ये खण्ड-खण्ड संख्या २६४ और ४०७-संशोधित किये जा कर अत्यन्त उपयोगी बना दिये गये हैं ।

जहां तक नियुक्त किये जाने वाले संविहित परामर्शदाता आयोग का सम्बन्ध है, मैं श्री सी० सी० शाह के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि आयोग में केवल ऐसे ही व्यक्तियों को लिया जाना चाहिये जो कि उचित परामर्श दे सकें और प्रबन्ध अभिकरणों को समुचित ढंग से चला सकें । मैं चाहता हूं कि कुछ वर्षों के उपरान्त इन अभिकरणों को समाप्त कर दिया जाय । हम

ज़मींदारी को समाप्त कर रहे हैं । तो पूंजीपतियों और विशेषकर प्रबन्ध अभिकर्ताओं को जारी रहने की अनुमति क्यों दी जाये ? यदि सरकार उपयुक्त व्यक्तियों को बड़े उपक्रमों की व्यवस्था करने का प्रशिक्षण दे तो इन उद्योगों को चलाते रहना सम्भव हो सकेगा ।

अब यदि कोई नवीन व्यापारिक संस्था प्रारम्भ की जानी है, तो इस के लिये आवश्यक नहीं कि उसे किसी प्रबन्ध अभिकरण के हवाले कर दिया जाय । वह संस्था तो किसी भी चालू व्यापारिक संस्था के द्वारा चलाई जा सकती है । परन्तु ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि यदि नवागन्तुकों को अनुमति दी गई तो व्यापारकि संस्थायें कोई न कोई त्रुटि ढूंढ निकालेंगी और इसी बहाने से प्रबन्ध अधिकरण फिर से फलने फूलने लगेंगे । अतः इन नये समवायों पर कुछ न कुछ नियंत्रण होना चाहिये ।

खण्ड १९७ के अधीन ११ प्रतिशत की स्वीकृति दी गयी है और यदि पर्याप्त लाभ न हो तो वहां पर ५०,००० रुपयों की स्वीकृति दी गयी है । परन्तु इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि यदि लाभ पर्याप्त हो अर्थात् लगभग २० लाख हो तो अनुपात उलटा होना चाहिये और २० लाख रुपये या अधिक पर १ १/२प्रतिशत की कटौती होनी चाहिये । यदि लाभ किसी निश्चित सीमा से अधिक हो तो अधिकतम सीमा पांच प्रतिशत होनी चाहिये ।

यदि इन सभी बातों पर विचार किया गया तो यह पूर्णतया सम्भव है कि ये सभी व्यापारी उचित प्रकार से कार्य करने लग पड़ेंगे और सभी उद्योग व्यवस्थित ढंग से चलने लगेंगे ।

सरदार इक़बाल सिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा) : साहिबे सदर, इस बिल पर इतनी बहस हो जाने के बाद यत्न तो मैं यही करूंगा कि जो चीज पहले कही जा चुकी है उसे न दुहराऊं । लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि यह इतना बड़ा बिल है, इसलिये इसके मुताल्लिक एक आदमी एक नुक्ता नज़र पेश करता है तो दूसरा दूसरा नुक्ता वज़र पेश कर सकता है ।

हमारे यहां सबसे पहले कम्पनी ला १९१३ में बना फिर १९३६ में बना, और अब तीसरी दफा हम उसमें तबदीली करने जा रहे हैं । मैं इस बिल को इस ढंग से देखता हूं कि इसका असर उन लोगों पर क्या होगा जो लाख दो लाख रुपया लगाकर और अपने कुछ साथियों और रिश्तेदारों को लेकर काम शुरू करते हैं । उनके पास न तो इदनी काबलियत होती है जितनी कि बड़े बड़े मैनेजिंग एजेंटों के पास होती है, न उनके पास इतने अच्छे वकील होते हैं जो उनको यह बतला सकें कि इस क्लाज से इस तरह बच कर निकलो और उस क्लाज से इस तरह बच कर निकलो । यह एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव बिल है और इसमें सारी चीज़ें बड़ी तफ़सील के साथ दी गयी हैं । यह क़ानून उन लोगों पर भी लागू होगा जो कि लाख दो लाख या पांच लाख से कम्पनियां बनाते हैं । इन लोगों का भी हौसला तिजारत में उतना ही होता है जितना कि बड़े से बड़े मैनेजिंग एजेंट का हो सकता है । इसलिये हमको देखना चाहिये कि इस क़ानून के लागू होने पर उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जिनकी छोटी मोटी कम्पनियां ह और जिन कम्पनियों में मैनेजिंग डाइरेक्टर, या डाइरेक्टर या सेक्रेटरी होंगे मेरा मतलब यह नहीं है कि ये छोटे लोग इस क़ानून की कमियों का फ़ायदा किस तरह उठायें । मगर मेरा मतलब यह है कि आप जो कम्प्लेंट डिपार्टमेंट बनायेंगे उसके पास जो भी शिकायत होगी वह जायगी । अगर यह डिपार्टमेंट हर एक शिकायत की जांच करेगा तो

[सरदार इकबाल सिंह]

जो बड़ी कम्पनियां हैं वे तो उसको बरदाश्त कर जायंगी, लेकिन जो छोटी कम्पनियां हैं अगर उनकी हर रोज़ इन्क्वायरी की जायगी तो शायद वे अपने तिजारत के काम को अच्छे ढंग से न कर सकें। ये छोटी कम्पनियां लाख दो लाख पांच या पांच छः लाख से काम करती हैं। अब अगर कोई छोटा सा भी शेअर होलडर इनकी शिकायत कर दे तो आप इन्क्वायरी करेंगे। आप शायद हर प्रान्त में इस तरह का डिपार्टमेंट बनायेंगे। तो जो आदमी इन छोटी कम्पनियों की इन्क्वायरी करने जायगा वह इतना बड़ा नहीं होगा जैसा कि बिड़ला के यहां जायगा। हो सकता है कि इसमें इन छोटी कम्पनी वालों को दिक्क़त का सामना करना पड़े। यह बिल इतना बड़ा है कि बहुत कम पार्लियामेंट के मेम्बर इसको समझते हैं और इसके लागू होने के बाद इसका क्या असर होगा इसको तो बहुत ही कम लोग समझते हैं। जो लोग छोटे शहरों में छोटी छोटी कम्पनियां, ट्रान्स्पोर्ट के लिये या दूसरे कामों के लिये बनाये हुये हैं, उनको इस क़ानून के लागू होने से बहुत दिक्क़त हो सकती है इसमें क़रीब १३९ तो सज़ा के क्लाज़ हैं उन सब से वे कहां तक बच सकेंगे। इसलिए मेरी अर्ज़ है कि आप जो डिपार्टमेंट बनावें वह इस तरह से काम करे कि इन छोटे लोगों को हैरास न किया जाय।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आजकल देश में रोज़गार करने के दो ढंग हैं। एक तो वह ढंग है जिसमें शेअर कैपीटल से कम्पनियां बनती हैं। इस ढंग में मान्यता पैसे को दी जाती है। दूसरे ढंग कोआपरेटिव तरीक़े से काम करने का है इसमें पैसे को इतनी मान्यता नहीं होती। मैं समझता हूं कि जो लोग कोआपरेटिव ढंग से काम करना चाहते हैं उनका रास्ता आप इस बिल को पास करके बन्द कर देंगे आपने इस बिल में इस ढंग के क्लाजेज़ रखे हैं कि उनके पास हो जाने के बाद कोआपरेटिव ढंग से काम करने के लिये जगह नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि जब तक देश में कोआपरेटिव ढंग मज़बूत नहीं होगा इस देश की तरक्क़ी नहीं हो सकती। अगर आप तिजारत में भी कोआपरेटिव ठंग को लाना चाहते हैं तो उसमें ऐसे लोगों को सहूलियत होनी चाहिये जो कि मिल कर कोई धन्धा करना चाहते हों। उनको कोआपरेटिव बेसिस पर अपना काम चलाने की सहूलियत होनी चाहिये। लेकिन आप जानते हैं कि कोआपरेटिव मूवमेंट सूबा सरकारों के नीचे है।

हर एक सूबे के अलहदा अलहदा कानून हैं। पंजाब का जो क़ानून है वह यू० पी० का क़ानून नहीं है और जो यू० पी० का क़ानून है वह पेप्सू का क़ानून नहीं है। इस में जो कोआपरेटिव लिमिटेड कम्पनीज़ हैं, जो बन चुकी हैं या जो इस बिल के लागू हो जाने के बाद बनेंगी, उनके लिये कोई जगह नहीं है कि वह इस ढंग से सोच कर भी अपने आप को तिजारत में क़ाइम रख सकें क्योंकि आपने वोटिंग स्ट्रैंथ में ऐसा ढंग रक्खा है कि वहां पर कैपिटल का नुक्तेनज़र नहीं आता। वहां तो हर एक आदमी का वोट होता है चाहे उसके पास १, १ लाख का शेयर हो या उसके पास ५०० का शेयर हो, दोनों हालतों में उसका वोट एक ही होगा और अगर वह कोआपरेटिव लिमिटेड कंसर्न हुई तो आपके इस ऐक्ट के लागू हो जाने के बाद मैं यह समझता हूं कि या तो उनको अपनी कंसर्न को बन्द करना पड़ेगा या उनको अपने आप में तबदीली करनी पड़ेगी। अगर आप उनको तबदील कराते हैं तो मैं यह समझता हूं कि आप एक ऐसे बीच के रास्ते से होकर

चल रहे हैं जिस रास्ते पर चल कर आप समझते हैं कि तिजारत के मियार को ऊंचा किया जा सकता है । ऐसी तिजारत में कि जहां पर पैसे की महानता हो आप ऐसा ढंग अख्तियार करके इस कोआपरेटिव मूवमेंट के लिये आप आयन्दा के लिये दर्वाजा बन्द कर रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि इस बिल में इसका माकूल प्राविज़न रहना चाहिये ताकि कोआपरेटिव मूवमेंट पर चलते हुये जो लिमिटेड कंसर्न बनाना चाहें और इस तरह तिजारत में रहना चाहें, उनके लिए कोई न कोई जगह होनी चाहिये ।

इसके साथ ही साथ बहुत सी बातें कही गयी हैं । आपने इसमें यह बात रक्खी है कि अगर कोई कम्पनी प्रोफ़िट के साथ न चल रही हो अगर किसी कम्पनी के शेयर होल्डर्स यह समझें, कि हमें इस तिजारत में नफ़ा नहीं है, कुछ हालात उस तरह के हों, तो वे उस हालत में उस कम्पनी को बन्द कर सकते हैं । कम्पनी का जो सरमाया होगा उसको वह कुल टैक्स वग़ैरह देने के बाद तक़सीम कर सकते हैं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह आख़िरी रास्ता है और आप यह ख्याल न करें कि इस देश में बड़ी बड़ी कम्पनियां बन्द होंगी और उनके जो बड़े सरमाये होंगे उनको तक़सीम किया जा सकेगा । यहां पर छोटी कम्पनियां भी हैं जो आये दिन बन्द होती रहती हैं । अगर आप गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया का गज़ट पढ़ें तो आप हर हफ्ते बहुत सी ऐसी कम्पनियों के नोटिस निकलते देखेंगे कि जो बन्द होती हैं । बन्द होने के अलावा ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि वह कम्पनियां तक़सीम कर दी जायं तो सरमाया उन्हीं शेयर होल्डर्स में तक़सीम हो जायगा । ऐसा मुमकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट का इन्स्पेक्टर इस बात को यह समझे कि वाक़ई इस कम्पनी के शेयर होल्डर्स युनैनीमसली मुत्तफ़िक़ तौर पर यह समझते हैं कि हमारा इस ढंग से काम नहीं चल सकता और हमको अगर तक़सीम कर दिया जाय तो वह काम अच्छी तरह से चल सकेगा, ऐसी हालत में उनको दो तीन कम्पनियों में तक़सीम किया जा सकता है । उस हालत में वह जो सरमाया होगा वह हर एक शेयर होल्डर को तक़सीम करने के बाद जो क़ौम की बेहतरी के लिये लगा हुआ है, दुबारा उन्हीं लोगों की जेबों में डाल दिया जायगा । गवर्नमेंट का इन्स्पेक्टर या अदालत अगर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हों कि वाक़ई इस कम्पनी के तक़सीम करने से और एक ढांचे के बजाय दो तीन ढांचे कर देने से शेयर होल्डर्स की बेहतरी हो सकती है और उनके सरमाये की बेहतरी हो सकती है, तो ऐसा किया जा सके और मैं चाहता हूं कि इस बिल में कोई इस तरह का क्लाजेज़ में प्राविज़न होना चाहिये ताकि उन ख़ास हालात में गवर्नमेंट ऐसा कर सके । मैं समझता हूं कि सिर्फ़ एक सरमाया ही नहीं, रुपये पैसे ही नहीं बल्कि उनके पास कुछ ऐसा सरमाया भी हो सकता है जो कि तक़सीम भी न किया जा सके और जो शायद बेचा भी नहीं जा सके, इसलिये इस क़ानून में इस बात की गुंजाइश ज़रूर रहनी चाहिये कि जो छोटी छोटी कम्पनियां हैं अगर उनमें ऐसे हालात हों और अगर गवर्नमेंट इन्स्पेक्टर और कोर्ट दोनों इस को ज़रूरी समझें कि वाक़ई उस कम्पनी को तक़सीम करने से ही शेयर होल्डर्स की बेहतरी हो सकती है, तो वह यह तबदीली कर सकें । इस क़ानून में इस तरह का कोई क्लाज़ का प्राविज़न अवश्य होना चाहिये ताकि वक्त ज़रूरत उसका इस्तेमाल किया जा सके । अगर कोई कोर्ट यह फैसला दे कि इस सरमाये को तक़सीम करने से या दो, तीन कम्पनियां बना देने से शेयर होल्डर्स का फ़ायदा होने के साथ साथ सरकार का भी फ़ायदा होगा तो वह तबदीली सरकार कर सके । अब जो उस कम्पनी पर

[सरदार इकबाल सिंह]

आपका इनकमटैक्स वग़ैरह होगा वह उन दो या तीन कम्पनियों से वसूल किया जा सकता है । जब वह कम्पनी तक़सीम हो तो उस वक्त कोर्ट या गवर्नमेंट यह फ़ैसला दे सकती है कि जितनी भी लाएब्लेटीज़ पीछे की होंगी वह तमाम की तमाम अलहदा अलहदा उन नई बनने वाली कम्पनियों के नाम तक़सीम कर दी जायेंगी । साथ ही मैं यह समझता हूं कि जो सरमाया एक दफ़ा एक तिजारत में लगा है, अगर तिजारत को या कम्पनी को बिल्कुल बेच देने के बाद वह सरमाया शेयर होल्डर्स की जेब में डाल दिया जायगा तो वह सरमाया चला जायगा और इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसा प्राविज़न होना चाहिये जिससे अगर गंवर्नमेंट इन्स्पेक्टर और कोर्ट दोनों मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला करें कि उस एक कम्पनी के बजाय उसको दो या तीन कम्पनियों में तक़सीम किया जाना चाहिये, तो ऐसा किया जा सके ।

इसके अलावा एक चीज़ जिसकी तरफ़ में हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह प्राक्सी सिस्टम के बारे में है और जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि कैसी अंधेरगर्दी की जाती है । उसको आपने कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की है लेकिन जब तक प्राक्सी के साथ इस चीज़ को नहीं रक्खेंगे कि हर एक कम्पनी वाला जो कि अपने मैनेजिंग डाइरेक्टर को पचास हज़ार रुपया दे सकता है, जब उस कम्पनी की सालाना मीटिंग हो तो वह अपने तमाम शेयर होल्डर्स को अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम टी० ए० दे ताकि वह इन परसन कम्पनी की सालाना मीटिंग में शरीक़ हो और जो इन परसन आयेगा वह वोट का इस्तेमाल कर सकेगा, तब तक शेयर होल्डर्स की बेहतरी नहीं हो सकती है क्योंकि सब लोग बखूबी जानते हैं कि प्राक्सी किस तरह काम करते हैं, वह शेयर होल्डर्स का जैसा इन्टेरेस्ट देखना चाहिय, नहीं देखते हैं और जिसका नतीजा यह होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कम्पनी के ऐक्टिव पार्टनर्स हैं, उनकी बेहतरी नहीं हो पाती और उनका इन्टेरेस्ट सफर करता है । इस लिये मैं समझता हूं कि इस तरह का प्राविज़न होना चाहिये ताकि प्राक्सी की जगह खुद शेयर होल्डर्स कम्पनी की सालाना मीटिंग में इन परसन आकर शामिल हो सके और अपने वोट का इस्तेमाल करें । मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो हज़ारों शेयर होल्डर्स हैं उनकी ज्यादा बेहतरी होगी । कुछ वक्त के लिये आप को शायद उतना फ़ायदा न हो लेकिन एक खास वक्त के बाद में जाकर आपको ज़रूर ज्यादा फ़ायदा होगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसा किया जाना चाहिये कि जहां एक कम्पनी अपने मैनेजिंग डाइरेक्टर को पचास हज़ार रुपया दे सकती है वहां वह अपने तमाम शेयर होल्डर्स को कम्पनी की सालाना मीटिंग में शामिल होने के लिये उनको टी ० ए० दे ।

इस बिल में सब से ज्यादा जिस विषय पर बहस की गई है वह मैनेजिंग एजेंसी के विषय को लेकर है । मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहता लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि अगर आप यह समझते हैं कि चन्द एक आदमी, मैनेजिंग एजेंट्स ही इस देश की तिजारत को बेहतर ढंग से चला सकते हैं, तो आपका नुक्तेनज़र मेरी राय में सही नहीं है । अगर आप का ख्याल है कि यह जो कौमी कारखाने आप बनाने जा रहे हैं या जो बन चुके हैं, उनमें तभी तरक्क़ी हो सकती है और हमारी तिजारत बेहतर ढंग पर चल सकती है जब उनके लिये वे चन्द आदमी आगे आयें और वह उनको अपने हाथ में लें, तो मैं समझता हूं कि यह

एक ग़लत ख्याल है । जब तक आप हज़ारों आदमियों को इस देश की तिजारत में शामिल होने का मौक़ा न दें और जब तक तिजारत में ऐसे आदमी होंगे जिन के हाथ में एक बंधी हुई ताक़त है, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि एक हिन्दुस्तान जैसे अण्डर डेवेलप्ड मुल्क की तिजारत की तरक्क़ी नहीं हो सकती है । आगर आप हिन्दुस्तान की तिजारत को तरक्क़ी देना चाहते हैं तो आप उसे मैनेजिंग एजेण्ट्स या बड़े बड़े सरमायेदारों के ज़रिये नहीं दे सकते । आप को इस के लिये ऐसे हालात पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे आदमियों को तिजारत में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना पड़ेगा जो आदमी इस देश की तिजारत की तरक्क़ी में कुछ दिलचस्पी रखते हैं और उत्साह से काम कर सकते हैं । लेकिन आप यह हालात उस वक्त तक नहीं पैदा कर सकते हैं जब तक आप यह समझते रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ताकत कम से कम आदमियों के हाथों में रहनी चाहिये । आप यह देख लें कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोट के मुताबिक़ अगर २० करोड़ रुपया सन् १९५१ में शेअर होल्डर्स में तक़सीम किया जाता है तो १० करोड़ रुपया कम्पनियों के मैनेजिंग एजेन्ट्स ले जाते हैं । अगर आप यह समझते हैं कि इस तरह से १० करोड़ रुपया ले जाने वाले लोग देश की ज्यादा सेवा कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से आप देश की तिजारत को जल्दी आगे नहीं ले जाना चाहते । इस लिये अगर देश का इन्डस्ट्रियलाइजेशन होता है और उस इन्डस्ट्रियलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा आदमी शामिल नहीं होते तो हम अपने मक़सद को हासिल नहीं कर सकते । मैं उन चीज़ों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता जो कि इस चीज़ के हक़ में या ख़िलाफ़ कही गई, लेकिन यह कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि जब तक आप का यह नुक्ता नज़र रहेगा और आप यह समझते रहेंगे कि सन् १९६० तक और उस के बाद यह मैनेजिंग एजेन्ट्स हमारी तिजारत की ज्यादा से ज्यादा तरक्क़ी कर सकेंगे, तब तक हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकेंगे और आप का यह नुक्ता नज़र मेरे ख्याल से ग़लत है कि जिन कम्पनियों में मैनेजिंग एजेन्ट्स का ज्यादा हिस्सा है वह सनतें तरक्क़ी कर सकेंगी । आपने यह देखा होगा कि जिन सनतों में मैनेजिंग एजेन्ट्स थे वह इतनी तरक्की नहीं कर सकीं जितनी तरक्क़ी उन सनतों ने की जिन में कि मैनेजिंग एजेन्ट्स नहीं थे । इस लिये मैं समझता हूं कि जब तक आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप को बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी । आप ने इस बिल में इस को कुछ कम करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप इस को जितनी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे उतनी ही इस देश की सनतों की तरक्क़ी होगी और देश भी हैं जिन में कि मैनेजिंग एजेन्ट्स नहीं थे । अमरीका में नहीं थे, बाक़ी जगहों में भी नहीं थे और उन देशों की सनतों में काफ़ी तरक्क़ी हुई है । इस लिये मैं ख़ास तौर से हिन्दुस्तान ऐसे पिछड़े हुये मुल्क के वास्ते कहना चाहता हूं कि जब तक तिजारतों में ज्यादा से ज्यादा आदमी शामिल नहीं होंगे तब तक हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते ।

इस के बाद मैं कुछ गवर्नमेंट कम्पनियों की बाबत भी कहना चाहता हूं । आप ने इस बिल में बहुत सी पाबन्दियां दूसरी कम्पनियों पर लगाई हैं, लेकिन गवर्नमेंट कम्पनियों को उन से मुबर्रा किया है । लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उन में भी कम्पिटीशन चलाना है, अगर तिजारत का दौर इस ढंग से चलाना है सरकारी कम्पनियां भी बेहतर और सस्ता सामान पैदा कर सकें तो उन पर कम्पनी लॉ के क़ानूनों की पाबन्दी लगानी होगी ताकि वह मुक़ाबले में आ कर अच्छा और

[सरदार इक़बाल सिंह]

सस्ता सामान पैदा कर सकें । इस लिये मेरा यह नुक्ता नज़र है कि गवर्नमेंट कम्पनीज़ पर भी वह तमाम क्लाजेज़ लागू होने चाहियें, जो कि आप प्राइवेट कम्पनियों पर लागू करना चाहते हैं । अगर तमाम नहीं तो ज्यादा करना चाहते हैं । अगर तमाम नही तो ज्यादा से ज्यादा लागू करना चाहिये ताकि उन का जो हिसाब किताब हो वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आये और जो उन कम्पनियों को चलाने वाले हैं वह भी समझ सकें कि जब वह उन कम्पनियों पर बैठे हुये हैं तो वह उन के कस्टोडियन हैं और उनको देश के सरमाये का हिसाब हर एक आदमी को देना होगा । अगर उन में शेयर होल्डर्स हैं तो उन को देना पड़ेगा और अगर शेयर होल्डर्स नहीं हैं तो इस संसद् के ज़रिये से देश को देना होगा ।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने जो कम्पनी बनायी है उस की सफलता इस बात पर मुन्हसर है कि वह ठीक ढंग से ऐडमिनिस्टर हो । मैं जानता हूं और आप ने भी देखा होगा कि पिछले दिनों में, मैं बड़ी कम्पनियों की बात तो नहीं करता, लेकिन छोटी कम्पनियों में किस तरह से इस कम्पनी लॉ का ऐडमिनिस्ट्रेशन हुआ है अगर उसी तरह से वह चलता रहा तो मैं समझता हूं कि कभी भी कम्पनी लॉ से इस देश की सनती तरक्क़ी में मदद नहीं मिल सकती । तमाम चीज़ें इस बात पर निर्भर करती हैं कि जो कम्पनी लॉ को चलाने वाले हों वह अच्छे आदमी हों । अगर वह ऐसे आदमी हों जिन का किसी के साथ लगाव नहीं है, जिन के दिल में किसी के लिये हमदर्दी नहीं है, बल्कि इन्साफ़ पर चल कर वह फैसले करते हैं, तो इस देश की सनत आगे जायेगी । पहले क्या होता था कि किसी क्लर्क को पैसा दिया और लिखवा लिया कि यह मामला स्पेशल है और यह कम्पनी लॉ के ढंग से न हो कर इस ढंग से होगा । मैं समझता हूं कि आप ने बड़ी तफ़सील के साथ सब बातों को इस बिल के अन्दर लिखा है, लेकिन फिर भी पिछली बातें होती रहेंगी अगर कम्पनी लॉ को चलाने वाले इस ढंग से फ़ैसले न करेंगे जिस में कि इन्साफ़ की बू आती हो । अगर इन्साफ़ से काम करेंगे तो बहुत ज्यादा सनती तरक्क़ी हम कर सकेंगे । अगर इस ढंग से काम चला कि जिसमें लोगों के साथ पार्शियैलिटी की जाय, सरकारी कम्पनियों का इन्तज़ाम इस नुक्ता नज़र से किया जाय कि फलां आदमी की मदद करनी है, तो न तो कभी भी आप कम्पनी लॉ को ऐडमिनिस्टर कर सकेंगे और न कभी आप कम्पनी लॉ के ऐडमिनिस्ट्रेशन में और इस देश की तिजारत में लोगों का एतमाद पैदा कर सकेंगे जिस में कि ज्यादा से ज्यादा सरमाया लोगों का लगा हुआ है ।

मैं समझता हूं कि बिल का बहुत अच्छा असर् होने वाला है लेकिन साथ साथ मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से भी यह आशा करूंगा कि सेन्टर में तो आप बैठे होंगे, यहां पर कम्पनी लॉ के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी । लकिन अगर आप वाक़ई सूबों में अलग अलग ब्रान्चेज़ खोलने वाले हैं तो आप को यह देखना होगा कि जिन को छोटी छोटी कम्पनियों से डील करना है, उन में ईमानदार आदमी रक्खे जायें । जो बुनियादी तरक्क़ी है वह मैं समझता हूं कि ज्यादातर छोटी छोटी कम्पनियों के ज़रिये होने वाली है, अलावा ५, ७ कम्पनियों के जो हमारे सरमाये से चलेंगी, सारा काम अलग अलग सूबों में प्राइवेट कम्पनियां ही करेंगी । अगर हम वहां पर आनेस्ट और ईमानदार अफ़सर नहीं रक्खेंगे तो हमारी सनती तरक्क़ी नहीं हो सकेगी और उन का कोई फैसला ऐसा नहीं होगा जिस से यह मालूम

हो कि उन्होंने किसी के साथ हमदर्दी या रियायत नहीं की है ।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : इस विधान का वास्तविक उद्देश्य यह है कि निजी उपक्रमों में लगाये गये धन की रक्षा की जाय और धन विनियोजकों के हितों की रक्षा की जाय । और वास्तविक धन-विनियोजक तो अंशधारी होते हैं । अतः इस विधान के द्वारा अंशधारियों के हितों की रक्षा करना अपेक्षित है । पिछली एक शताब्दी से ये अंशधारी प्रबन्ध अभिकर्ताओं और निदेशकों द्वारा बचाये जा रहे हैं । यह प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली शरीर के नासूर के समान है और वर्तमान विधान इसका निराकरण करने में समर्थ नहीं है । वैसे तो प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के सम्बन्ध में सदस्यों में मतभेद है, फिर भी सिद्धान्त के रूप में यह मान लिया गया है कि इसे समाप्त कर दिया जाये परन्तु विशेषज्ञों की सम्मति है कि इस प्रणाली को कुछ समय के लिये और चलने दिया जाय । परन्तु मैं तो उन्हीं वक्ताओं का समर्थन करता हूं जो यह कहते हैं कि इस प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

सरकार की ओर से इन अंशधारियों के हितों की ओर साधारण सा ध्यान दिया गया है । सरकार का कहना है कि इनके हितों की रक्षा करने के लिये प्रबन्ध अभिकर्ताओं और निदेशकों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहियें, परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन छोटे छोटे बन्धनों से उन अभिकर्ता रूपी शेरों और भेड़ियों से अंशधारियों की रक्षा की जा सकेगी ? अतः मेरा विचार है ये सभी छोटे छोटे बन्धन और प्रतिबन्ध व्यर्थ हैं, उन से कुछ भी लाभ नहीं होगा ।

बम्बई अंशधारी सन्था के प्रतिनिधियों का यह कथन था कि अंशधारी तो भेड़ों के झुंड के समान हैं, अतः प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का अस्तित्व अनिवार्य है । यही बम्बई अंशधारी सन्था १९३६ से लेकर इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के समाप्त कर दिये जाने पर ज़ोर डालती रही है, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि आज १९५५ में इस के यह कहने का क्या आशय है कि यह प्रणाली रहनी चाहिये । इस कथन में तो अभिकर्ताओं का पूर्ण रूपेण स्वार्थ निहित है । यद्यपि इस विधेयक में ऐसे उपबन्ध रखे गये हैं जो अंशधारियों को भी समवायों के प्रबन्ध में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं, तथापि इन से कोई विशेष लाभ नहीं होगा । साधारणतया, अंशधारी समवाय के वास्तविक कार्यकरण में भाग नहीं लेते हैं, उनका उत्साह तो केवल लाभांश तक ही रहता है । और फिर वे निदेशकों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही कर भी तो नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ते में कई प्रकार की वित्तीय रुकावटें आ जाती हैं ।

इंगलैंड में निदेशकों की बहुसंख्या चालाक व्यक्तियों की नहीं अपितु अच्छे भले व्यक्तियों की होती है । परन्तु भारत में ऐसी बात नहीं है । यहां तो अधिकतर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिये ही आते हैं । केवल कुछ एक व्यक्ति ही ईमानदारी से अपने काम में रुचि लेते हैं । भारत में इसी प्रणाली की कृपा से ही इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है । प्रबन्ध अभिकर्ता तो वास्तव में जोंक के समान हैं जो कि देश का रक्त चूस रहे हैं ।

अंशधारियों को समवायों के सीधा नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व सौंपने के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान हालैंड की ओर आकर्षित करता हूं । हालैंड में अंशधारी एक छोटा सा निकाय नियुक्त करते हैं और वही निकाय उस समवाय का सारा प्रबन्ध करता है और उसे प्रबन्धकों के कार्यकलापों

[श्री वल्लाथरास]

पर वीटो करने का अधिकार प्राप्त होता है । वह निकाय उन अंशधारियों का अपना ही होता है, अतः प्रबन्ध में भ्रष्टाचार अथवा दुरुपयोग का कोई भय नहीं होता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में इस प्रणाली को अपनाया नहीं जा सकता प्रत्येक समवाय में उनके हितों को प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होने चाहियें । प्रश्न यह है कि क्या इस छोटी सी संख्या को वीटो का अधिकार दिया जाये या नहीं । खैर, यह तो एक विवादास्पद प्रश्न है परन्तु हम इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर दृष्टि रखने के लिये अंशधारियों का एक अन्तरिम गुट बना दिया । मैं चाहता हूं कि विधेयक में इस के बारे में एक उपबन्ध रखा जाय ।

सन् १८६७ से आज तक निजी उद्योगों के विकास में तीन अवस्थायें दृष्टि गत होती हैं । प्रथम अवस्था वह थी जब कि अंग्रेज़ निदेशक भारत में नहीं रहते थे अतः अपना काम चलाने के लिये उन्हें भारत में प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करने पड़े थे । धीरे धीरे इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने लगभग सभी अधिकार स्वयं संभाल लिये और वे अपनी इच्छानुसार नये उद्योग भी स्थापित करने लगे । इस प्रकार से जब उन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर दिया, तो १९१३ में इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं के विरुद्ध एक भयानक आन्दोलन किया गया । समवाय विधेयक को संशोधित करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की मलभूत खराबी की ओर संकेत भी नहीं किया गया । अतः प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली निर्विघ्नतापूर्वक पहले के समान चलती रही ।

द्वितीय अवस्था : सन् १९३६ में इस विधि के इतिहास में एक नया युग प्रारम्भ हुआ । १९३६ में विभिन्न निकायों के प्रतिनिधियों ने सरकार को ज्ञापन भेजे । उनके आधार पर सरकार प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर कुछ नियंत्रण लगाने लगी । परन्तु इससे कोई विशेष लाभ न हो सका ।

तृतीय अवस्था : सन् १९५१ में विधेयक में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बारे में एक नयी धारा जोड़ दी गयी, परन्तु फिर भी कोई विशेष सुधार न हुआ । बल्कि इन पांच वर्षों में तो और भी अधिक दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार का बाज़ार गरम रहा है ।

वास्तव में आज के युग में इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं है । आज इसका कोई उपयोग नहीं है । आज धन उपलब्ध है उपक्रम करने वाले मौजूद हैं और प्रविधिक कमचारी मौजूद हैं इसलिये इस प्रणाली की आवश्यकता नहीं है । यह बात सत्य है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली से उद्योगों में पर्याप्त उन्नति हुई है, इसके कारण भ्रष्टाचार भी तो कम नहीं हुये हैं । गत १५ वर्षों के आंकड़े स्पष्टतया बताते हैं कि प्रति वर्ष लगभग ४०० नये समवाय पंजीबद्ध होते रहे हैं और लगभग ४०० से ८५५ तक समवाय असफल होते रहे हैं । पिछले १०० वर्षों के अन्दर प्रबन्ध अभिकर्ताओं में अकौशल, स्वार्थपरायणता, विधि को धोखा देने, कदाचार करने, बेइमानी और कपट आदि की इतनी बुरी लत पड़ गई थी कि इसके कारण ये समवाय असफल रहे । १९३६ के पश्चात् भी इन में कोई सुधार नहीं हुआ । यदि प्रबन्ध अभिकर्ता थोड़े से उत्साह के साथ भी देश के हितों का ध्यान रखते हुये काम करते तो यह अवस्था न होकर, हमारी दशा कुछ अच्छी होती ।

किसी स्वाभाविक अपराधी को सुधारने के लिये कुछ समय दे देने से भी काम नहीं चलता है क्योंकि अपराध करना तो उसका

स्वभाव बन चुका होता है । यही हालत इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं की है उनका सुधार भी असम्भव है । प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को तुरन्त समाप्त न करने के पक्ष में कहा जाता है कि ऐसा करने से देश के हितों को हानि पहुंचेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हानि पहुंचेगी ? मैं मानता हूं कि इस प्रणाली में बहुत कम लोग ईमानदार हैं । अतः मैं समझता हूं कि सरकार इस विषय में बड़ी मन्द गति से चल रही है ।

३२३ से ३२९ तक खंडों में बड़ी द्विविधा फैलाई गई है । एक ओर तो १५ अगस्त, १९६० तक कतिपय उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने का उपबन्ध किया जा रहा है और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि उसके बावजूद भी कुछ उद्योगों में इस प्रणाली को क़ायम रखा जा सकता है । सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि अमुक उद्योगों में यह प्रणाली समाप्त की जा सकती है और अमुक में इसकी अनुमति दी जा सकती है । सूती वस्त्र उद्योग, कोयला उद्योग, पटसन उद्योग और चाय उद्योग में पिछले १०० वर्षों से बड़ा शोषण और बेईमानी होती रही है और करोड़ों रुपयों का दुर्व्यय हुआ है ? इन में तो यह प्रणाली अवश्य ही समाप्त कर दी जानी चाहिये ।

कहा जाता है कि यह विधेयक अंग्रेज़ी विधि के अनुसार बनाया गया है । परन्तु वहां तो आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन होता रहता है, किन्तु हमने १९१३ से १९३६ तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया । फिर दूसरी बात यह है कि इंगलिस्तान में ईमानदार लोग, यहां की तरह बेईमान नहीं, समवायों के काम में भाग लेते हैं और देश के विकास तथा समृद्धि को ध्यान में रखते हुये समवायों का प्रबन्ध करते हैं । आज १९५५ में भी अंगरेजी विधि का अनुसरण करना हमारे लिये कितना हास्यास्पद है ।

वित्त मंत्री कहते हैं कि समवाय विधि का पुराना ढांचा कायम रखा गया है और ग़ैर सरकारी क्षेत्र को उसी प्रकार रखा गया है । आज के युग में पुराने ढांचे को रखने का क्या औचित्य है ? हमें सुधार करते समय, जैसा कि १९५० में योजना आयोग के प्रतिवेदन में और औद्योगिक नीति संकल्प, १९४८ में कहा गया था, इस बात का निश्चय करना चाहिये कि संयुक्त उपक्रम को कायम रहने के लिये व्यापार का कोई नवीन मार्ग निकाला जाना चाहिये । इन दो बातों पर ही देश की समृद्धि निर्भर है । इस विधेयक में हमें योजना आयोग और औद्योगिक नीति पर विश्वास है और योजना आयोग का यह विश्वास है कि यह प्रणाली दृढ़ आधार पर आधारित की जानी चाहिये । वह इस का पुनर्गठन चाहता है । परन्तु इस विधेयक में अंशधारियों की सुरक्षा के लिये कुछ रोक लगाये जाने के अतिरिक्त प्रबन्ध अभिकर्ताओं को मनमानी करने दिया गया है । वास्तव में इस विधेयक से योजना आयोग का उद्देश्य पूरा नहीं होता है । वर्तमान परिस्थितियों में ग़ैर सरकारी क्षेत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता । वित्त मंत्री का कथन है कि ग़ैर सरकारी क्षेत्र को केवल उसी क्षेत्र तक सीमित रखा गया है, जहां सरकारी क्षेत्र नहीं जाता है । दूसरे इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिये समय दिया गया है । मेरा निवेदन यह है कि चाहे पुराना ढांचा रहे या न रहे, किन्तु अंशधारियों का अनुविहित आधार पर एक प्रतिनिधित्व निकाय होना चाहिये जो प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कृत्यों पर कड़ी दृष्टि रखे और तदनुसार सरकार को सूचना दे ।

प्रबन्ध अभिकर्ताओं को दो निदेशक नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं । अंश पूंजी केवल सामान्य अंशों और वरीय अंशों का वर्ग ही नहीं होता है । प्रश्न यह है कि

[श्री वल्लाथरास]

समवाय में प्रबन्ध अभिकर्ता की पूंजी को किस प्रकार कम किया जाये । पूंजी व्यवस्था की नवीन प्रणाली के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ता वैतनिक कर्मचारी होता है और उसे नाम निर्देशित किया जा सकता है तथा उसे हटाया भी जा सकता है । ऐसी अवस्था में उसे निदेशित नियुक्त करने की शक्ति देना सर्वथा अनुचित है । पहले तो जान बूझ कर उन्ह यह शक्ति दी जाती थी ताकि वह अंशधारियों के अधिकारों को कुचलता रहे । सरकार इसमें चाहे जितना प्रतिनिधित्व प्राप्त करे, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, परन्तु प्रबन्ध अभिकर्ताओं को अपने अंशों से अधिक प्रतिनिधान नहीं मिलना चाहिये ।

इन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों ने इस विधेयक की प्रतिक्रिया में व्यापारी समाज को चेतावनी दी है कि हम सरकार से कोई प्रत्याभूति नहीं चाहते । हमें परिवर्तित स्थितियों के अनुसार अपने आप को बना कर अधिकाधिक पूंजीपति बनना चाहिये ।" उनका आयोजित गुट सदा विधि को धोखा देता रहेगा, इसलिये हमें उनसे दूर ही रहना चाहिये । हमें यह देखना चाहिये कि क्या संविधान का निदेशक नीतियों का पालन किया गया है अथवा नहीं । केवल इसी उपाय से हमें इन उद्योगपतियों और व्यापारी समाज की चेतावनी का मुकाबला कर सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार श्री वल्लाथरास को परीचालन प्रस्ताव रखने के नाते इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया गया है, क्या एक दृष्टान्त बन जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक को परिचालन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ही बोलने के लिये कहा गया था और वह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था । विधेयक पर उनको बोलने का अवसर नहीं मिला था ।

श्री वल्लाथरास : हम इन निहित-स्वार्थों वाले व्यक्तियों पर अपनी योजनाओं की कार्यान्विति के लिये अधिक विश्वास नहीं कर सकते हैं । क्योंकि उन्होंने कहा है कि यदि सरकार बेकारी और निर्धनता को दूर नहीं कर सकती है तो इसे समाप्त हो जाना चाहिये । सरकार के अतिरिक्त और कौन इन समस्याओं को हल कर सकता है ? ये पूंजीपति समझते हैं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की सफलता उन्हीं पर निर्भर है । उन्हें काम करके ही जीवित रहने का अधिकार है । सरकार को उन पर अधिक निर्भर ही रहना चाहिये । उनको यह अनुभव होने देना चाहिये कि प्रजातंत्रात्मक सरकार उनकी सहायता के बिना अपने आप अपनी योजनाओं को सफल बना सकती है । और यदि वे लोग सरकार की सहायता नहीं करते तो उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

इस विधेयक के पीछे सामाजिक, राजनैतिक और अन्य प्रकार के बड़े परिवर्तन छिपे हुये हैं । इस लिये हमें इस समस्या का हल ध्यानपूर्वक सोचना चाहिये । मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह अपनी नीति में संशोधन करे और देश के हित के लिये अधिक से अधिक जो कुछ भी किया जा सकता है, वह करे ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस लम्बे वाद-विवाद के बाद मुझे पहले से अधिक विश्वास हो गया है कि संयुक्त समिति ने जो योजना पेश की है वह इन परिस्थितियों में सर्वोत्तम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कल अपना भाषण जारी रखें ।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"राज्य सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम १६२ के उप-नियम (६) के उपबन्धों के अनुसार, मुझे एत द्वारा भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५५ को, जो लोक सभा द्वारा २६ जुलाई, १९५५ को पारित किया गया था और राज्य सभा को सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापिस करना है है और यह बताना है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

इस के पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPND—HS—224 LSD—3-7-56—190